कुरुक्षेत्र

मार्च, 1989

मूल्य : 4 रुपये

पंचायती राज पर विशेष सामग्री

पंचायती राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी कुछ महिला प्रतिनिधियों के साथ ।

एक महिला प्रतिनिधि प्रधानमंत्री को गुलदस्ता भेंट करते हुए ।

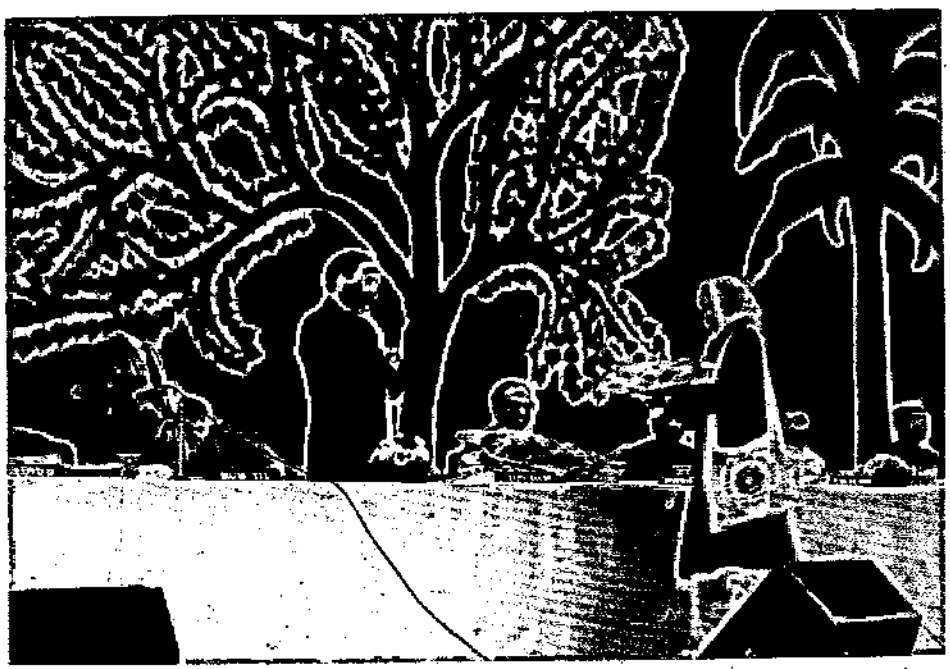

वर्ष-34 अंक 5,फाल्गुन-चैत्र, शक 1910-1911

कार्यवाहक सम्पादक: गुरचरण लाल लूथरा
उप सम्पादक : राकेश शर्मा

सहायक निदेशक : राम स्वरूप मुंजाल (उत्पादन)

आवरण पृष्ठों का साज सज्जा : पी.के. सेनगुप्ता
चित्र : रमेश कुमार, फोटोग्राफर, ग्रामीण विकास विभाग से साभार

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास विभाग का प्रमुख मासिक

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र आदि भेजिए । अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है ।

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत, व्यापार व्यवस्थापक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए ।

एक प्रति : 4.00 रु.
वार्षिक चंदा : 20 रु.

विषय-सूची

पंचायती राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण 2
पंचायती राज और ग्रामीण सुरक्षा 8
सीताराम सिंह
पंचायत राज के बढ़ते चरण 12
बलवन्त सिंह हाड़ा
ग्राम-स्वराज के लिए पंचायती राज अपरिहार्य 14
रामजी प्रसाद सिंह
पंचायती राज संस्थाएं : विस्तार को स्वरूप 20
डा. सूरत सिंह
पंचायती राज सम्मेलन : प्रतिनिधियों से भेंटवार्ता 25
प्रस्तुति : प्रवीन गर्ग
"हर नागरिक का यह विशेषाधिकार है कि वह शासन भी करेगा और शासित भी होगा....." 29
डा. सिंघवी
पहला पंचायती राज सम्मेलन-एक नजर में 35
वेद प्रकाश अरोड़ा
"ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरी तरह से पंचायतों के माध्यम से, पंचायतों के द्वारा होने चाहिये....." 39
प्रो. रेड्डी
पंचायती राज – एक नज़र 43
दीपक भल्ला
खुद का न्याय 47
पूरन सरमा
पंचायती राज का पुनर्जीविकरण 51
डा. एन.आर्शीवाद
पंचायती राज सम्मेलन-एक विश्लेषण 55
प्रस्तुति : भवन मोहन
नगालैंड में विकेन्द्रीकरण : एक प्रयोग 57
डा. बी. एन. सहाय
टिस्को का ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक समीक्षा 61
डा. एन.पी. अग्रवाल एवं सतीश मोहन गोयल
राजगृह का विकास मेला 63
कृष्ण मुरारी सिंह 'किसान'
भारत में रेशम उत्पादन 68
राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह
पंचायती राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री का समापन भाषण 69

प्रकाशित लेखों में अभिव्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं तथा यह आवश्यक नहीं कि सरकारी दृष्टिकोण भी यही हो।

सम्पादकीय पत्र व्यवहार: सम्पादक, कुरुक्षेत्र (हिन्दी), कृषि मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें। दूरभाष: 384888

पंचायती राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री का उद्घाटन भाषण

"हमें उम्मीद है कि जो नया सिस्टम बनेगा वह जनता की असली मांगों के अनुरूप काम कर पाएगा। वह सिस्टम आज की असलियत को ध्यान में रखते हुए बनेगा और उसमें पिछली गलतियाँ दुबारा नहीं की जाएंगी। हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बिल्कुल ग्रास रूट तक जाएगा और इससे विकास भी ग्रास रूट तक पहुँचेगा।"

जिला परिषद के चैयरमैन, पंचायत समिति के प्रधान, सरपंच, चैयरमैन म्यूनिसिपल बोर्ड, भजनलालजी, चिदम्बरमजी, पुजारीजी, दलबीर सिंहजी, त्यागीजी, विनोद पांडेजी, मंत्रीगण, साथियो, बहनो और भाइयो,

आज इस सम्मेलन में आकर मुझे एक खास खुशी हुई है। पहले तो मैं मंत्रालय को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो दिन उन्होंने इस सम्मेलन के लिए चुने हैं, हमारे चालीसवें गणतंत्र दिवस और गांधीजी के शहीदी दिवस के बीच के चुने हैं। एक तरफ जब हमने अपने गणतंत्र दिवस पर संविधान माना था तो हमने वायदा किया था कि हम जनता के हाथ में शक्ति देंगे। दूसरी तरफ गांधीजी की अंग्रेजों के साथ और सरमायेदार शक्तियों के साथ पूरी लड़ाई हुई कि शक्ति जनता के हाथ में आये। इसलिए मुझे खास खुशी हुई है कि हमें यह मौका मिला है कि इन दो दिनों के बीच में बहुत गंभीर बातों पर विचार कर लें। एक मेरी शिकायत है जो मैं अंत में कहना चाहता था लेकिन पहले ही कह रहा हूँ। भजनलालजी ने 8000 लोगों को दिल्ली आने की दावत दी है। लेकिन सिर्फ एक दिन और रात ही बातचीत के लिए रखी हैं। अगर दो प्रतिशत लोगों को 5-5 मिनट बोलने दें तो इससे पूरा समय निकल जाएगा। इससे मुझे लगता है कि इन गहरी बातों पर इतने कम समय में ठीक तरह से विचार नहीं हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि भजनलालजी इसे दो दिन के लिए और बढ़ा देंगे ताकि इससे दुगने लोग बोल पाएं। कैम्प व्यवस्था इन दो और दिन के लिए बेहतर कर दें।

हमने आजादी की लड़ाई में, और आज़ादी के बाद संविधान में वायदा किया था कि हमारे लोकतंत्र की जो तीसरी कतार है हम उसे मज़बूत करेंगे। पहली और दूसरी कतारें जो दिल्ली में और राज्यों की राजधानियों में हैं वे बहुत मज़बूत हो गई हैं। बहुत से चुनाव हो चुके हैं। उनकी जड़ इतनी मज़बूत हो गई है कि उन्हें कोई हिला नहीं सकता। लेकिन तीसरी कतार में कमजोरी रह गई है और इसका असर पहली और दूसरी कतारों पर भी होता है। ऊपर के लोग एकदम कागजी शेर बन जाते हैं और निचले स्तर पर ताकत नहीं होती। इससे ढांचा खोखला रह जाता है। अगर हमें इसे ठीक करना है तो पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना होगा।

हमारे लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए दिल्ली में ही नहीं, राज्यों की राजधानियों में ही नहीं,

बल्कि पंचायत स्तर पर भी, लोकतंत्र को मजबूत करना है। विकास लाने के लिए जरूरी है कि हम पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करें—जिला स्तर पर भी और ब्लाक स्तर पर भी। हमने इसके लिए पिछले एक-डेढ़ साल में अनेक स्तरों पर बहुत कोशिश की है। शुरूआत में मैंने डी.एम. और कलेक्टरों के साथ बातचीत की। फिर हमारी पार्टी में बातचीत हुई। सचिवों और मुख्य सचिवों से बात हुई। मंत्रालयों में भी बहुत बहस हुई है। अब हम आपके सामने आए हैं तो खाली हाथ नहीं आए हैं। बल्कि हम घर पर काफी काम कर के आए हैं। हमें उम्मीद है कि आपकी मदद से हम पुराने वायदों को पूरा करेंगे। आजादी के आन्दोलन में भी वायदे किए गए थे और संविधान में भी समय-समय पर वायदे होते रहे। लेकिन उन वायदों को पूरा करने में किसी ने भी तेजी नहीं दिखाई बल्कि ऊपर के लोग राजनीति और प्रशासन दोनों में अपनी ताकत बनाने में लगे रहे और नीचे की संघीय संस्थाओं को उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया। चुनाव या तो नाम को हुए या स्थगित होते रहे। ज्यादातर नामिनेशन के द्वारा काम चलता रहा। इससे ताकत कभी नहीं बन सकी। जो सुपुर्दगी होनी थी वह ठीक तरह से नहीं हुई, ज्यादातर नाममात्र को हुई। जो सुपुर्दगी हो भी गई वह मनमाने तरीके से हटा भी ली गई। जहाँ कई राज्यों में सुपुर्दगी दी भी है वहां पर हाथ की सफाई से या तो प्रशासन में किसी को ऊपर लगा दिया या किसी मंत्री को नामिनेट करके ऊपर बैठा दिया। तो असलियत क्या है ? निर्णय लेने की ताकत या तो प्रशासन के हाथ में रही या राज्य सरकारों के हाथ में, नीचे किसी के हाथ में नहीं पहुँची। इसके अलावा काफी साधन भी नहीं दिए गए और जो साधन दिए भी गए वो इस तरह से बंधे रह गए कि उन्हें कोई भी अपनी जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर पाया और फिर हमारी योजना बनाने में, कार्यक्रम बनाने में और उनके कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को बहुत कम शामिल किया गया है। इस स्थिति को भी किसी तरह से बदलना है। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि जो शक्ति गांधीजी, पंडितजी और हमारा संविधान जनता के हाथ में देना चाहते थे वो शक्ति जनता के हांथ में नहीं पहुँची। मतलब ये कि योजनाएं और कार्यक्रम ऐसे बने जो आपकी मांगों को ठीक से पूरा नहीं करते। ये कार्यक्रम दिल्ली में बने या राज्यों की राजधानियों में बने और जो आपकी तकलीफें थीं, जो आपके सामने कठिनाइयां थीं, उनके साथ ठीक से उनका संबंध हर वक्त नहीं रहा। यह नहीं कि बिल्कुल ही संबंध नहीं था, कई जगह था लेकिन कई बार नहीं भी रहा। इसका नतीजा यह हुआ कि जब ये कार्यक्रम पूरे कर लिये गए तो उनका फायदा पूरी तरह से आपको नहीं पहुँचा। जो आर्थिक विकास हुआ उसकी जड़ ठीक तरह से जम नहीं सकी क्योंकि योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन के बिन्दुओं में फासला ज्यादा हो गया। नतीजा यह हुआ कि सब लोग सरकार की तरफ इस तरह देखने लगे जैसे बच्चे हर काम के लिए माँ—बाप की तरफ देखते हैं। कोई छोटे से छोटा काम भी होता है तो लोग भागते हुए सरकार के पास जाते हैं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में बहुत बारीकी से बता सकता हूँ कि लोग किस तरह भाग-भाग कर छोटी-छोटी चीजों के लिए मेरे पास आ जाते हैं लेकिन जिस तरह से छोटे-छोटे काम के लिए संसद सदस्य और विधायक मेरे पास आते हैं, जिस तरह से मुख्य मंत्री दिल्ली आते हैं उससे मैं जानता हूं कि कुछ गड़बड़ जरूर है। साधारण काम जो गांव के स्तर पर ही हो जाने चाहिए वे सरकार को करने पड़ते हैं और जब सरकार ऐसे छोटे-मोटे और साधारण काम करती है तो काम ठीक नहीं होता। बहुत-सी एजेंसियां छोटे-छोटे काम में लग जाती हैं। आप जानते ही हैं जितने ज्यादा लोग किसी काम में हाथ लगाते हैं उतनी ही बीच में गड़बड़ी हो जाती है। फिर आप शिकायत लेकर हमारे पास आते हैं। हम कार्यवाही करने की कोशिश करते हैं लेकिन दिल्ली से कितनी दूर तक हमारी दृष्टि या हमारे हाथ जा सकते हैं। जानकारी आपकी होती हैं, कार्यवाही हमें करनी पड़ती है और नतीजा यह होता है कि कार्यवाही हो नहीं पाती। हमें देखना है कि हमारी जनता में ऐसी भावना पैदा हो कि वे सब कुछ केन्द्र सरकार या राज्य सरकार पर न छोड़ें बल्कि खुद ही काम करना शुरू करें। विकास का काम शुरू करें। समाज में परिवर्तन लाने का काम शुरू

करें। ऐसा करने के लिए हमें कई काम करने होंगे। पहले हमें यह देखना है कि प्रशासन और आम जनता के बीच जो दूरी पैदा हो गई है उसे किसी तरह खत्म किया जाए। हरेक को, चाहे वे राजनीति में हो या प्रशासन में, अपने कामों के लिए दौड़कर प्रदेशों की राजधानी में या दिल्ली में न आना पड़े। जो काम जिलों में हो सकता है वह जिलों में ही हो जाना चाहिए, जो काम ब्लाक में हो सकता है वह ब्लाक में ही होना चाहिए और जो काम ग्राम स्तर पर हो सकता है उसे गांव के स्तर पर ही होना चाहिए। प्रशासन और आम जनता के बीच फासला पैदा हो जाने से काम ठीक से और तेजी से हो नहीं पाएगा। हम चाहते थे कि बेइंसाफी दूर हो और सामाजिक न्याय मिले। लेकिन यह ठीक तरह से नहीं हो पाया है। हम चाहते थे कि अत्याचार खत्म हो। आज भी जगह-जगह पर अत्याचार होते हैं—कमजोर तबकों पर, हरिजनों पर, आदिवासियों पर, महिलाओं पर। हम चाहते थे कि भारत के लोग देश के निर्माण के काम में शामिल हों। ये भी हम पूरी तरह से नहीं कर पाये हैं। हम चाहते थे कि काम करने की पहल हमारे देश के हर व्यक्ति में हो, ये भी हम पूरी तरह से नहीं कर पाये हैं। इन सब बातों का नतीजा यह हुआ है कि देश में सत्ता के दलालों का सिस्टम खड़ा हो गया है। चाहे राजनीति हो या विकास, हर क्षेत्र में सत्ता के दलाल पैदा हो गए हैं। कोई काम करना हो, किसी के पास जा कर सलाम करना पड़ता है। इस सिस्टम को तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम ज्यादा पॉवर पंचायती राज संस्थाओं के सुपुर्द करें। यही गांधीजी चाहते थे और पंडितजी भी यही चाहते थे। लेकिन जो उनकी भावना थी वह खो गई, जो उनका उद्देश्य था वह कहीं पीछे रह गया। अब हमारी कोशिश है कि हम गांधीजी और पंडितजी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी ताकत बढ़ायें। बहुत से काम करने की ज़रूरत है। इसमें हमें खास ध्यान देना होगा कमजोर तबकों पर, हरिजनों पर, आदिवासियों पर और महिलाओं पर। मैं देख रहा हूँ कि आज बहुत कम महिलाएं नज़र आ रही हैं। ये बात भी किसी तरह से बदल जानी चाहिए। हमें खास ध्यान देना होगा हमारे भाषाई अल्पसंख्यकों की तरफ और दूसरे अल्पसंख्यकों की तरफ। अल्पसंख्यकों को बचाना होगा। हमें देखना होगा कि जब हम यह सुपुर्दगी करें तो हमारे समाज की कड़ियाँ इनमें भी नीचे न आ जाएं। हमें देखना होगा कि सुपुर्दगी के साथ अत्याचार और कम हों, बढ़ न जाएं। साथ में हमें यह भी ध्यान देना होगा कि कुछ मजबूत जाति के लोग जातिवाद के आधार पर दूसरों को नीचे दबाने के लिए आगे न बढ़ जाएं। हमें खासतौर से यह देखना होगा कि हम इस सुपुर्दगी से देश के कमजोर और गरीब लोगों को सामाजिक न्याय दिला सकें। इन बातों पर हम आपकी बहस सुनना चाहते हैं।

हम चाहते हैं कि आप इन दो दिनों में, और हो सकता है कि चार दिन हो जायें तो इन चार दिनों में दिल खोल कर बहस करें। इस बहस में आपको याद रखना है कि जो भी सुपुर्दगी हो, जो भी ढांचा बने उसमें कमजोर तबके सुरक्षित रहें। हमें कमजोर तबकों को बचाने के लिए खास कदम उठाने पड़ेंगे। जब हम खास कदम के बारे में सोचते हैं तो ध्यान एकदम आरक्षण की तरफ जाता है। आपको सोचना होगा कि आरक्षण खाली जगहों के लिए भी हों। आपको सोचना होगा कि अगर आरक्षण करना है तो सुरक्षित सीटें कैसे भरी जायें—नामीनेशन से, इलेक्शन से या जैसा कि कई देशों में होता है कि जो हारने वाला सबसे ज्यादा वोट हासिल करता है उसको रिजर्वेशन में गिना जाता है, या किसी और तरह से ? हर तरीके की अलग ताकत होती है। अगर हम पूरा रिजर्व रखते हैं तो इस तरह से हम समाज के एक हिस्से को अलग कर देते हैं और उसे मुख्य धारा में नहीं जाने देते। दूसरे तरीके में सब लोग चुनाव लड़ते हैं अगर कोई इस ग्रुप का नहीं आता तो उनमें से जो सबसे कम वोट से हारता है वो अपने आप कोआप्ट हो जाता है या रिजर्वेशन में आ जाता है। तो रिजर्वेशन के अलग-अलग तरीके हैं और उनकी अलग-अलग कमजोरियाँ और खूबियाँ हैं। आपको हर दृष्टि से देखना होगा। खासकर आप कमजोर तबकों की दृष्टि से देखें और फिर हमें बताएं कि हम उनकी मदद कैसे करें। एक तरीका वह भी हो सकता है जो किसी जमाने में लोकसभा में होता था यानि मल्टी मेम्बर कान्स्टीटुएंसी। एक तरीका यह भी हो सकता है कि

एक खास कमेटी बनाई जाए—हरिजनों के इलाकों के लिए, आदिवासियों के इलाकों के लिए, दूसरे अल्पसंख्यकों के इलाकों के लिए, जहाँ भी कमजोरी हो उनके लिए। जहाँ भी कुछ लोग ताकत में हैं वहाँ एक ग्रुप के लोग अल्पसंख्यक होंगे। दूसरी जगह जहाँ दूसरे लोग ताकत में हैं वहां अन्य लोग अल्पसंख्यक होंगे। ये बिल्कुल बैलेंस चलेगा। इन सब बातों को सोचकर आपको अपने विचार रखने होंगे कि कैसे हम यह सुपुर्दगी देने में अपने कमजोर तबकों को बचाएंगे।

फिर आपको बहुत गंभीरता से सोचना होगा कि प्रशासन और पंचायती राज संस्थाओं का रिश्ता क्या हो ? यह बहुत ही बारीकी से सोचने की बात है क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो काम रुक जाएगा। आपको सोचना होगा कि जो कलेक्टर हैं या मजिस्ट्रेट हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनका रिश्ता जिला परिषद के साथ क्या होगा, जिला परिषद अध्यक्ष के साथ क्या होगा ? क्या वह सेक्रेटरी बनेगा, उसके नीचे क्या काम आएंगे ? किस तरह से नीचे का ढांचा चलेगा। फिर आपको सोचना होगा कि कौन—कौन सी संस्थाएं जिला परिषद के नीचे आनी चाहिए, कौन-कौन सी संस्थाएं ब्लाक के नीचे आनी चाहिए और कौन—कौन सी संस्थाएं ग्राम स्तर पर होनी चाहिए। आपको सोचना होगा कि किस तरीके से सबसे ज्यादा काम हो सकता है।

अपने-अपने छोटे-छोटे राज्य बनाने में नहीं लगना चाहिए क्योंकि इससे और भी ज्यादा कमजोरी आ जाएगी। एक और बहुत बड़ी बात है कि म्यूनिसिपल क्षेत्रों का जिला परिषदों से क्या रिश्ता होना चाहिए। उन्हें जिला परिषदों के बराबर होना चाहिए, जिला परिषदों में होना चाहिए या उनके नीचे होना चाहिए। हर तरीके में अपनी खूबियाँ और कमजोरियाँ हैं। अगर एक तरह से जिला सरकार सी बन जाएगी तो जिला परिषद मजबूत होगी। अगर उसमें छोटे शहर होंगे तो विकास के केन्द्र बन जाएंगे और उससे फायदा होगा। अगर म्यूनिसिपल क्षेत्रों को जिला परिषद से बाहर रखेंगे तो उससे भी एक तरह से फायदा होगा कि ज्यादा ध्यान देहात की तरफ जाएगा। महत्ता दोनों की है। देखना यह है कि क्या रिश्ता आप निकालते हैं जिससे ताकत दोनों तरफ बने क्योंकि आज हम देहात का जो विकास कर रहे हैं वह काफी नहीं हैं। आज देहात के युवक पढ़ लिखकर दूसरी तरह का रोजगार चाहते हैं। वे चाहते हैं कि रोजगार के लिए किसी छोटे या बड़े शहर में जाएं और शहरी सुविधाएं हासिल करें। हमें देहात और शहर दोनों को मिलाकर एक ढांचा बनाना है। आपको सोचना होगा कि यह ढांचा कैसा हो जिसमें गरीबी हटाने के काम में तेजी आए। आपको यह भी सोचना है कि जिले, ब्लाक और गांव योजना बनाने के काम में क्या भूमिका निभाएंगे।

आठवीं योजना के लिए मैंने योजना आयोग से कह दिया है कि हम जिला स्तर से योजना बनाना चाहेंगे। उन्होंने भी वायदा किया है कि कुछ शुरुआत होगी। जैसी शुरुआत हम करना चाहते थे समय की कमी के कारण वैसी नहीं हो पा रही है। लेकिन उसका रास्ता भी मिलेगा और हमें उम्मीद है कि आठवीं योजना के दूसरे तीसरे साल तक यह काम बहुत अच्छी तरह शुरू हो जाएगा और जिलों, राज्य के योजना आयोगों और हमारे योजना आयोग के बीच तालमेल बन जाएगा। आपको देखना होगा कि हम कैसे इस रिश्ते को और मजूबत कर सकते हैं।

फिर एक बहुत बड़ा प्रश्न साधन का भी है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम आज साधन दे रहे हैं वैसे ही देते रहेंगे तो इससे विकास ठीक तरह से नहीं होगा। आप साधन मांगते रहेंगे और कोई यह नहीं देखेगा कि काम ठीक तरह से हो रहा है या नहीं क्योंकि साधन बड़ी दूर से मिलता है, कार्यक्रम बहुत दूर से बनता है। ज्यादातार आप यह नहीं देखते कि आपकी असली जरूरत क्या है। आप देखते हैं कि सरकार की जेब में क्या फालतू पड़ा हुआ है और आप क्या ले सकते हैं। कभी-कभी हमीं लोग आपको बताते हैं

कि आप यहाँ तो मांग कर रहे हैं आप वहां मांगिये, वहां हमारे पास साधन हैं लेकिन आप दूसरी चीज मांग लेते हैं। इससे विकास भी ठीक नहीं होता और पैसे भी ठीक से खर्च नहीं होते हैं।

दूसरी बात यह कि जो पैसे खर्च किए जाते हैं वे आमदनी के साथ नहीं बंधे होते। इसलिए आपको यह भी सोचना है कि क्या हम जिला स्तर पर और उससे निचले स्तर पर भी कुछ साधन जुटा सकते हैं। राजस्व उगाहने के लिए आपको कुछ ताकत देनी चाहिए कि नहीं और अगर हम यह ताकत आपको दें तो कैसे दें?

आपको यह भी सोचना है कि यह जो सुपुर्दगी होगी किस तरह से होगी। जब पंचायती राज की बातें शुरू हुई थी तो हमने यह जिम्मेदारी राज्यों को दे दी थी लेकिन राज्य सरकारों ने यह जिम्मेदारी आप तक ठीक तरह से नहीं बांटी और, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जहां पर बांटी वहां एक हाथ से दी तो दूसरे हाथ से वापस ले ली। इसलिए अब आपको सोचना है कि अगर हमें यह शक्ति आपको देनी है तो उसे किस तरह से दिया जाए। हम इसे केन्द्र से दें या राज्यों से दिलवायें और कितनी मज़बूती से दिलवायें। हम संविधान में संशोधन करें या किसी दूसरे तरीके से यह काम करें। अगर संविधान में संशोधन करना है तो कितना कम से कम हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। कहीं बीच में ठीक जगह निकालनी है। कम से कम के मायने हैं कि हम केवल इतना कहें कि चुनाव समय पर ही होना चाहिए। और चुनाव बेवजह स्थगित नहीं होना चाहिए। और अगर किसी वजह से स्थगित हो जाएं तो कितने समय में होना चाहिए—जैसा कि लेजिस्लेटिव के लिए है, विधान सभाओं के लिए है उसी तरह से हम निचले स्तर पर भी कर सकते हैं। संविधान में सुपुर्दगी की एक चौथी लिस्ट आ सकती है, पांचवी लिस्ट आ सकती है, छठी लिस्ट आ सकती है जिससे हम सीधे केन्द्र से आपको ताकत दें, सीधे राज्य से आपको ताकत मिले और उसे कोई तोड़ न पाए। ये आपको सोचना है कि बीच का सबसे अच्छा रास्ता क्या और कैसे निकलेगा। हम चाहते हैं कि हम सिर्फ यही नहीं करें कि पंचायती राज संस्थाओं को दुबारा आपके हाथ में दे दें बल्कि उनका नवीकरण करके, उन्हें मज़बूत करके आपके हवाले करें ताकि चुनाव समय पर हों, शक्ति आपके हाथ में आए, जनता के हाथ में आये आज 25 साल के अनुभव से हमें सीखना है कि क्या अच्छा हुआ, क्या नहीं कर पाए, कहां कमजोरी रही और हम कैसे उन कमियों को ठीक कर सकते हैं। हमें देखना है कि जो शक्ति जिला, ब्लाक और गांव को हम दें वह खत्म न हो जाए। वह किसी तरह से वापस न ले ली जाए। और हमें देखना है कि जो प्रशासन की जिम्मेदारियाँ हैं वे ठीक तरह से निश्चित हों, लिख दी जाएं और जो वित्तीय साधन हैं वे ठीक तरह से आपके हाथ में आएं और ठीक तरह से बांटे जाएं। सबसे ज्यादा जरूरी है कि कमजोर तबके मज़बूत हों, उनकी ताकत उसी तरह से बनी रहे और वे आगे बढ़ पाएं।

हमें उम्मीद है कि जो नया सिस्टम बनेगा वह जनता की असली मांगों के अनुरूप काम कर पाएगा। वह सिस्टम आज की असलियत को ध्यान में रखते हुए बनेगा और उसमें पिछली गलतियाँ दुबारा नहीं की जाएंगी। हमें उम्मीद है कि लोकतंत्र बिल्कुल ग्रास रूट तक जाएगा और इससे विकास भी ग्रास रूट तक पहुँचेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि जो सरमायेदार शक्तियाँ हमारे समाज को जकड़े हुए हैं और सत्ता की दलाल बन गई हैं उन्हें हम इससे तोड़ पाएंगे। हमें उम्मीद है कि हम असली शक्ति जनता के हाथ में दे पाएंगे, जिला, ब्लाक और गांव में दे पाएंगे जहाँ हमारी आम जनता रहती है।

आपके लिए चार दिन का समय भी बहुत कम है। इसलिए एक प्रश्नावली बांटी गई है जिसमें आपके विचार आने हैं। हमें उम्मीद है कि आप इससे गम्भीरता से भरेंगे। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि हम एक-एक प्रश्नावली को बहुत गौर से पढ़ेंगे और आपके जो विचार आएंगे उन्हें अपनी विचारधाराओं में मिलाने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है कि चौथे दिन मैं दुबारा आपके बीच में

काफी समय के लिए आऊंगा। मैंने आपके बीच बैठने के लिए ढाई घंटे रखे हुए हैं। आज तो मैं बहुत ज्यादा बोल चुका हूँ। मेरी कोशिश होगी कि चौथे दिन मैं कम बोलूं, आपकी बातें ज्यादा सुनूं। मुझे उम्मीद है कि आप खुल कर अपनी बातें कहेंगे।

मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम महिलाएं आई हैं। मैं चाहूंगा कि भजनलाल जी इस बात पर खासतौर से ध्यान दें कि इन चार दिनों में महिलाओं को बोलने का पूरा मौका दिया जाए ताकि वे अपने विचार रख सकें।

अंत में, मैं दिल्ली में आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपके रहने के लिए जो व्यवस्था की गई है वह अच्छी है। अगर कोई कमी है तो आप हमें जरूर बताइये। हम उसे ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। कल परेड में मैंने आपको दो ब्लाकों में बैठे देखा था। मैं आकर आपसे मिल तो नहीं पाया लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने परेड का पूरा आनन्द लिया होगा।

यह सार्थक है कि आप अपनी बातचीत शुरू करने से पहले गांधीजी की समाधि पर हो आए। जो काम आपके सामने हैं बहुत गंभीर काम है, गांधीजी की विचारधारा का है, उनके सिद्धांतों का है और हमारी आजादी के आन्दोलन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एक तरह से छूट गया था, उसे पूरा करने का है।

मैं आपको आपकी बहस के लिए शुभकामनाएं देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि चौथे दिन जब मैं आपके बीच आऊंगा तो जो प्रश्न मैंने उठाएं हैं आप उनके बढ़िया कारगर जवाब देंगे। धन्यवाद।

पंचायती राज और ग्रामीण सुरक्षा

सीताराम सिंह

प्राचीन काल से ग्रामीण भारत के लोग गांवों में आत्म-निर्भर और पंचायतों की मार्फत स्व शासित समुदाय में रहते थे। इस पुरानी व्यवस्था में मुगल शासन काल तक अनेक शासकों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया लेकिन ब्रिटिश शासकों ने इस प्रणाली को विकलांग बना दिया। ब्रिटिश काल के दौरान, सरकारी अधिकार इतने बढ़ते गए कि पंचायतों के प्रशासनिक और न्यायिक मामलों को निपटाने के अधिकार भी छिन गए। विकेन्द्रीयकरण पर सरकारी आयोग (1907-08) ने भी यह अनुभव किया था कि गांवों की जो, स्वायत्तता थी, वह दीवानी और फौजदारी अदालतों की स्थापना और राजस्व तथा पुलिस प्रशासन में तबदीली किए जाने के परिणामस्वरूप समाप्त हो गई थी।

स्वतन्त्र भारत की झांकी

इस पृष्ठभूमि में महात्मा गांधी ने स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व करने के साथ-साथ पंचायतों को पुनः सक्रिय करने के एक ठोस कार्यक्रम के द्वारा ग्रामीण लोगों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर बल दिया था। संविधान सभा, जिसने भारत के संविधान की रचना की, ने तदनुसार राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए अन्यों के साथ–साथ राष्ट्र नीति के दो महत्वपूर्ण नीति निर्देशों को शामिल किया। संविधान के अनुच्छेद 38 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे, भरसक कार्य साधक रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। अनुच्छेक–40 में भी यह व्यवस्था की गई है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वयत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।

बदलता ग्रामीण ढांचा

26 जनवरी, 1950 को संविधान के अधोवर्तन ने भारत को अपने सभी नगरिकों को संविधान में निहित विभिन्न अधिकारों और स्वतन्त्रताओं की गारन्टी देते हुए व्यस्क मताधिकार पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी प्रजातन्त्र, राष्ट्र बना दिया। गत दो दशकों के दौरान पंचवर्षीय योजनाओं, हरित क्रान्ति के सफल कार्यान्वयन और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभकारी परिणामों ने ग्रामीण भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ढांचों में उल्लेखनीय उत्थान किया है। गांव के गरीब लोगों में संविधान में प्रख्यापित उसके मानवीय, सामाजिक और कानूनी अधिकारों के प्रति निश्चितता बढ़ी है। पिछड़े वर्ग, ऐसे उच्च वर्गों, जो हमेशा से ऐसे पदों पर रहते आये हैं, को हटा कर, अधिकार और नियंत्रण के पदों को प्राप्त करने के लिए आगे आ रहे हैं।

पिछले दशक में भारत के ग्रामीण चित्र की एक दुखद घटना, सम्पन्न वर्ग द्वारा उपेक्षित वर्ग का शोषण, कर रही है जबकि यह वर्ग सदियों से होते आ रहे सामाजिक अन्याय और हिंसा से स्वयं को मुक्त करना चाहता है। लोगों के गांव छोड़कर शहरों में चले जाने के बावजूद भी, 1981 की गणना के अनुसार लगभग,70 करोड़ की अनुमानित जनसंख्या में से अभी भी तीन चौथाई अर्थात 52.54 करोड़ गावों में रहते हैं और केवल 16 करोड़ लोग शहरों में बसे हुए हैं। देश में गांवों की संख्या लगभग 5.76 लाख और शहरों की संख्या 3939 है।

प्रश्न सुरक्षा का

देश की तीन चौथाई जनसंख्या गांवों में और एक चौथाई शहरों में रहती है, शान्ति और सुरक्षा की व्यवस्था बडे शहरों और नगरों में ही किया जाना राष्ट्र की समग्र

उन्नति और सम्पन्नता का सूचक नहीं है। विभिन्न राज्यों के पंचायती राज अधिनियमों के अन्तर्गत पुलिस के कार्य पंचायतों को सौपने में संदिग्धता के कारण गांवों में शान्ति और सुरक्षा बनाए रखने का काम अभी भी पुलिस का उत्तरदायित्व माना जाता है। पंचायतों की स्थापना के बाद से गांव का मुखिया ग्रामीण समुदाय पर अपने परम्परागत प्रभाव को खो बैठा है। इसके अतिरिक्त हमारी सरकार देश के 5.76 लाख गांवों में हर एक की चौकीदारी के लिए पुलिस कर्मियों को नियुक्त करने में अन्तर्ग्रस्त भारी खर्च को वहन नहीं कर सकती, इसलिए ग्रामीण सुरक्षा की समस्या का पूर्ण अभिमुखीकरण करने की जरूरत है ताकि नई चुनौतियों का सामना किया जा सके और ग्रामीण गरीबों के जान-माल को संरक्षण प्रदान किया जा सके जिसके बिना बहुत-सी ग्रामीण विकास योजनाएं कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं दर्शा पा रही हैं।

ग्रामीण पुलिस प्रशासन

प्राचीन काल से ही ग्रामीण भारत में गांवों के कार्य चुने हुए अथवा वंशानुगत मुखिया द्वारा विनियमित किये जाते थे, जिसकी सहायता ग्राम समुदाय द्वारा वेतन पर रखे जाने वाले एक या दो ग्रामीणों (चौकीदारों) द्वारा की जाती थी। मौर्य काल से लेकर मुगल काल तक जिन शासकों ने भी भारत पर राज्य किया, उन्होंने गांव में शान्ति और सुरक्षा के लिए इस प्रथा को जारी रखा। ब्रिटिश काल के आगमन पर अंग्रेजों ने भारत में चल रही अनेक संस्थाओं को समाप्त कर दिया था लेकिन उन्होंने भी ग्रामीण सुरक्षा की इस पद्धति को कुछ मामूली संशोधनों के साथ सभी प्रान्तों में जारी रखा।

अनेक परिवर्तनों का अनुभव कर लेने के बाद ईस्ट इन्डिया कम्पनी ने मुखिया और चौकीदार की परम्परागत पद्धति को 1814 में पुनः लागू किया। ग्रामीण पुलिस एजेन्सी का मुख्य काम क्षेत्राधिकार में आने वाले क्षेत्र में चौकीदारी कला, संदिग्ध गतिविधियों, अपराधों और सार्वजनिक असंतोष के बारे में पास के पुलिस स्टेशन में सूचित करना और कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा अपराधों की जांच करने में नियमित पुलिस की सहायता करना था। ब्रिटिश शासकों ने अपनी जरूरतों के अनुसार नियमित पुलिस बल की एक सहायक एजेन्सी के रूप में चौकीदारी प्रथा को ग्रामीण चौकीदारी अधिनियम, 1870 के अधीन विनियमित कर दिया था।

ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पुलिस अधिनियम, 1861 के अधीन भारत में नियमित पुलिस संगठन की स्थापना सामाजिक न्याय करने वाली एजेन्सी के रूप में नहीं की गई थी बल्कि वास्तव में इसका गठन निरंकुश उपनिवेशी सरकार का दमनकारी संयंत्र के रूप में कार्य करने के लिए किया गया था। बड़े दुख की बात है कि यह अधिनियम आजादी के 40 वर्ष बाद भी पुलिस अधिकारों और कार्य पद्धति का मूल स्रोत बना हुआ है। जिसका परिणाम यह है कि पुलिस का काम करने का तरीका आज भी वही है जो ब्रिटिश शासन के दौरान था। इस उपनिवेशी पृष्ठभूमि में, भारत के गांवों में इस समय पुलिस का काम करने का तरीका, बढ़ते हुए राजनीतिक दबाव के कारण जगरूकता और प्रत्यक्ष सामाजिक परिवर्तनों को सम्भालने में अनुपयुक्त है। इस प्रकार जटिल वातावरण के बीच फंसी भारतीय पुलिस स्वयं को विगत की बपौती और वर्तमान की दुर्लभ चुनौतियों के सामने पाती है। मानों यह एक 'ऐतिहासिक कैदी' और 'सामाजिक परिवर्तनों का शिकार' है।

सन् 1982 के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश के प्रति एक हजार किलो मीटर के लिए औसतन 28.4 पुलिसकर्मी हैं। इस दर में संघ शासित क्षेत्रों में और राज्यों में काफी अन्तर है। जम्मू व कश्मीर में यह दर केवल 9.5 है तो बंगाल में 85.4 है जबकि दिल्ली में यह 1940.9 है जो कि सबसे अधिक है। गांवों में पुलिस चौकियों की संख्या अधिक नहीं है और ये आम तौर पर पहुंच वाले क्षेत्रों में ही हैं। पुलिस चौकियों के स्थान और उनके विस्तार का निर्धारण आमतौर पर वहां की जनसंख्या, राजनीतिक और धार्मिक जटिलताओं, अपराधों की सम्भाव्यताओं और कानून और व्यवस्था की घटनाओं पर निर्भर करता है ताकि संवेदनशील क्षेत्रों पर कड़ी नजर रखी जा सके। चौकी के काम के स्वरूप और उसकी मात्रा के अनुसार चौकी इंचार्ज या तो सब-इंस्पेक्टर होता है अथवा हैडकांस्टेबल। समय-समय पर पुलिस गस्ती दल दो या तीन दिन के लिए गांवों का दौरा करते हैं जिसमें वे अपराध और अपराधियों के बारे में जानकारी एकत्र करते हैं, अदालतों के आदेशों को वहां तक पहुंचाते हैं, अपराधियों के विरूद्ध छानबीन करते हैं और गांव के बारे में पुलिस चौकी को स्थानीय जानकारी देने के लिए गांव के प्रमुख निवासियों से सम्पर्क स्थापित करते हैं।

पंचायत और पुलिस

राज्यों में पंचायती राज लागू किए जाने के बाद से ग्राम पंचायतों को ग्राम स्तर पर प्रशासन की मूल इकाइयों के रूप में मान्यता दी गई है। इसके परिणामस्वरूप ग्राम प्रशासन में दोहरापन आ गया है। एक ओर तो गांव के परम्परागत पुलिस अधिकारी अर्थात मुखिया और चौकीदार हैं और दूसरी ओर जनमत से चुनी हुई पंचायतें। दोनों ही पक्ष एक दूसरे के प्रति सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं रखते और कई स्थानों पर तो मुखिया और सरपंच में भारी मतभेद होता है। इसलिए ग्रामीण जनता की सुरक्षा सुनिश्चत करने, सामाजार्थिक कार्यक्रमों को सही और तेजी से अमल में लाने के लिए और असामाजिक तत्वों को ग्रामीण क्षेत्रों में से अपना रास्ता बनाने से रोकने के लिए ग्रामीण सुरक्षा की वर्तमान प्रणाली की समीक्षा करना जरूरी हो गया है।

स्वतन्त्रता के बाद नियुक्त किए गए राज्य पुलिस आयोगों की प्रतिक्रिया पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण सुरक्षा के विरुद्ध रही है। उनका यह कहना रहा है कि चूंकि इनका चुनाव ग्रामवासियों द्वारा किया जाता है और चुनाव के दौरान ने या अधिक पक्ष बन जाते हैं जिनके चुनाव सम्पन्न हो जाने के बाद भी सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण नहीं रहते और इसलिए सरपंच अपने उत्तरदायित्व को निष्पक्ष रूप से नहीं निभा पाते। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि कुछ वर्ष पहले तो भूतपूर्व जमींदार आदि गांव की पंचायतों पर कब्जा किए रहते थे और गांव के दीन-हीन वर्ग को न्याय नहीं मिल पाता था। तथापि, शिक्षा के प्रसार, दूरदर्शन कार्यक्रमों की ग्रामवासियों तक पहुंच और विकास कार्यक्रमों के लाभों ने ग्रामीण जनता को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बना दिया है।

सुधार के प्रयास

यह आश्चर्य की बात है कि हालांकि चौकीदारी प्रणाली को आज से सौ वर्षों पहले अपर्याप्त और निम्न श्रेणी का घोषित कर दिया गया था फिर भी इसे अगले सौ वर्षों के लिए जारी रखा जा रहा है। यह सही है कि भारतीय समाज ने अपने पुलिस संगठन को काफी बढ़ा दिया है और राज्य सरकारें अपनी इच्छा के विपरीत ग्रामीण सुरक्षा प्रणाली में सुधार लाने में सफल नहीं हुई हैं। अनेक पुलिस आयोगों और राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है और स्थिति कुल मिला कर वैसी है जैसी स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय थी।

यदि भारत में प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूत करना है तो ऐसी बुनियाद गांवों में रखी जानी चाहिये जहां पंचायतों को लाया जा रहा है। स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायतों के सामने आने से गांव के पुराने पुलिस कर्मी अपने वास्तविक महत्व, स्तर और प्रभाव को खो बैठे हैं। चौकीदारी प्रथा प्रभावहीन हो चुकी है और गांव की पुलिस कार्य को कर पाने के योग्य नहीं रही है। इसलिए जब ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का सहयोग प्राप्त करना है तो हम इसे नामित बिचौलियों की मार्फत करने की बजाय सीधे ही पंचायतों से क्यों नहीं करते जबकि वे उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। गांवों के चुने हुए प्रतिनिधियों से हम बड़ी संख्या में लोगों का सहयोग प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं।

एक गांव विकेन्द्रीकृत प्रशासन की पहली इकाई है। ग्राम समुदायों को उनके अपने कार्यों में सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए शिक्षित करना एक अच्छे प्रशासन का सूचक है। लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि, जो ग्राम पंचायतें बनाते हैं, अपने क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए, वर्तमान ढांचे में सरकार के सबसे अधिक उचित संयंत्र हैं। प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि हम ग्रामीण पुलिस के कार्यों और शक्तियों को धीरे-धीरे ग्राम पंचायतों को नहीं दे देते।

प्रस्तावित योजना

उपरोक्त पृष्ठभूमि में यदि ग्रामीण सुरक्षा की पुरानी चौकीदारी प्रथा के एक सक्षम विकल्प के बारे में सोचा जाए तो हमारे सामने ग्राम सेवक एकमात्र विकल्प है जोकि सुशिक्षित है और विकास खण्ड के अपने क्षेत्राधिकार में सामाजिक और विकास कार्यों के लिए प्रशिक्षित है। अपने कार्यों के स्वरूप के कारण वह लोगों के निकट सम्पर्क में रहता है और उनकी ख्याति और विश्वास को प्राप्त करता है। इसलिए यह उचित और लाभकारी होगा कि ग्राम सेवक को 'ग्राम रक्षक' नियुक्त किया जाए और उसे जांच कार्य के अलावा अन्य पुलिस शक्तियां दे दी जाएं। इन अतिरिक्त कार्यों के लिए उसे ग्राम पंचायत से 150/- रुपये का विशेष वेतन दिया जा सकता है।

ग्राम सेवक, ग्रामीण पुलिस का न केवल एक प्रभावशाली एजेन्ट होगा बल्कि ग्राम रक्षक के रूप में कार्य करने से उसकी उपयोगिता और कार्यशीलता को ध्यान में रखते हुए और साथ ही जनसंख्या के बढ़ने और संचार के

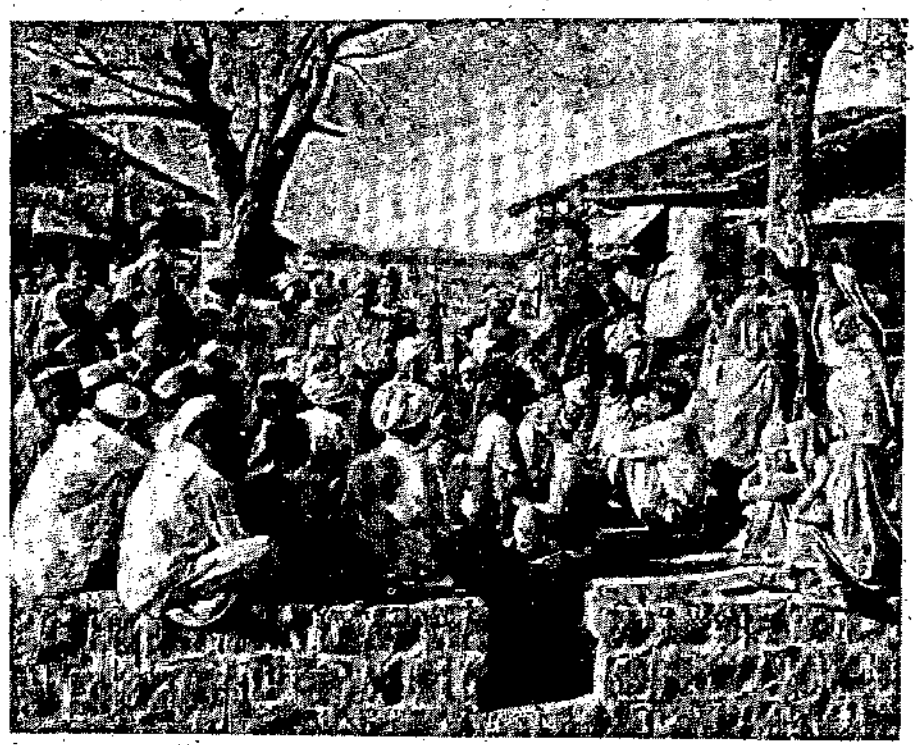

साधनों में तीव्र वृद्धि, कानून और व्यवस्था की जटिलता में बढ़ोतरी का मुकाबला करने के लिए, क्षेत्र को पूरी तरह कवर करने के लिए ग्राम रक्षक को एक कानूनी और सुसंगठित ग्राम सुरक्षा दल का सहयोग देना होगा जिसके लिए पंचायती राज अधिनियमों में उपयुक्त प्रावधान करना होगा। इसके अतिरिक्त, कोई प्रोत्साहन न होने की स्थिति में योजना ग्रामवासियों को यह कार्य करने और दूसरों के लिए त्याग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकती। कानूनी ग्राम सुरक्षा दल चौकीदारी का काम करने के अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में एक नागरिक सुरक्षा के प्रभावशाली संयंत्र के रूप में कार्य-करेगा। इसका ग्रामीण समुदाय में एक आवश्यक लोकप्रिय आधार होगा और शान्ति भंग करने, पशुओं की चोरी, फसल की चोरी को रोकने के दस्युरोधी उपाय करने में अपने लोगों की सेवा करने के लिए तैयार अनुशासित कार्यकर्ताओं के दल के रूप में उभरेगा। ऐसे ग्राम सुरक्षा दल में 18 से 25 वर्ष के युवकों को शुरू में पंचायतों द्वारा चुना जाएगा और अंतिम तौर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा उनकी शिक्षा, शारीरिक दक्षता के आधार पुलिस के सामान्य कर्तव्यों के अनुरूप चुना जाएगा और पहचान के लिए उन्हें बैज दिये जायेंगे। उन्हें अपनी साइकिल और लाठी आदि की व्यवस्था करने के लिए ग्राम पंचायत 50/- रुपये महीना देगी। क्षेत्र में चल रही परिस्थितियों के अनुसार उन्हें नियमित पुलिस सहायता के साथ बन्दूकों आदि की सहायता भी दी जा सकती है। ग्राम सुरक्षा दल के नेतृत्व के लिए चुनाव आम राय और नेतृत्व की योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

पुलिस के सभी राजपत्रित अधिकारी इस बात पर ध्यान रखेंगे कि जब भी वे ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा करें तो वहां ग्राम रक्षक, ग्राम सुरक्षा दल के सदस्यों से अवश्य मिलें और उनके कार्य करने के तरीकों को देखे तथा उन्हें उनमें सुधार लाने के उपाय बताएं। अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन के रूप में ऐसे कार्यकर्ताओं को जो ग्रामीण सुरक्षा दल में पाँच वर्ष सेवा कर चुके हों, पुलिस में भर्ती करने की व्यवस्था की जा सकती है।

इस प्रकार यह प्रस्तावित योजना केन्द्रीकृत ग्रामीण सुरक्षा और ग्राम समुदाय की ख्याति और सहयोग पर आधारित एक अधिक स्वायत्त प्रणाली के बीच एक तरह का समझौता होगी।

अनुवाद : श्रीमती किरण गुप्ता

पंचायत राज के बढ़ते चरण

बलवन्त सिंह हाड़ा

महात्मा गांधी ने ग्राम स्वराज के रूप में पंचायतीराज की कल्पना की थी। देश 15 अगस्त 1947 को जब उपनिवेशवादी शासन के चंगुल से आजाद हुआ तो देशवासियों की आंखों में नये सपने तैर रहे थे। असंख्य देशभक्तों के बलिदान की छाया में उन्होंने संकल्प लिया कि वे देश को विश्व में पूर्व–सा सम्मान दिलाने, उसे समृद्ध बनाने के लिए जी तोड़ परिश्रम करेंगे। इसी संकल्प के अनुरूप देश की संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकारते हुए 26 जनवरी 1950 से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष यात्रा प्रारम्भ हुई। भारत की 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। अतः भारत सरकार ने सन् 1952 से सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया था जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण जनता से सहयोग प्राप्त कर, उनके जीवन स्तर में सुधार लाना था।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम अधिक सफल बनाने हेतु, जन-प्रतिनिधियों को भागीदार बनाने की योजना तैयार हुई जिसका शुभारम्भ 29 वर्ष पहले 2 अक्तूबर 1959 गांधी जयंती के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों, राजस्थान के एक कस्बे नागौर में दीप जलाकर हुआ। उस दिन वहां प्रदेश के हर कोने से हजारों लोग अपने प्रिय नेता के हाथों से राज्य के लोगों को पंचायत राज की सौगात सौंपी जा रही थी, को लेने पहुंचे थे। उस दिन राष्ट्र नायक पं. नेहरु ने जो ऐतिहासिक भाषण दिया उसका कुछ अंश इस प्रकार है :–

"आज महात्माजी के जन्म दिन पर आपने इस काम को शुरू किया, जनतन्त्र को यहां फैलाया, जिसे आप पंचायत राज कहें, मैंने सोचा कि महात्माजी को प्रसन्नता होती अगर वे इस समय होते और देखते कि यहां राजस्थान में, जो कि भारत का एक माने में हृदय है, भारत का नक्शा भी देखा तब भी – यह उसका दिल-सा है, लोकतंत्र फैल रहा है। बड़ी भारी जिम्मेदारी आपने ली है। पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद का जो नक्शा बना है, इस काम को आप जोरों से चलायें। मेरा आशिर्वाद तो जरूर है, आपको और बधाई है और मुझे विश्वास है इस कदम से राजस्थान को लाभ होगा, याद रखें कि यह एक ऐतिहासिक कदम है।"

यह एक संयोग ही है कि यह वर्ष नेहरू जन्म शताब्दी के रूप में मनाया जा रहा है। राजस्थान में पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत बार आये लेकिन उनकी दो यात्रायें सदा याद रहेंगी। पहली यात्रा जब देशी राज्यो का विलयीकरण हुआ और उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का अधिवेशन हुआ, दूसरी यात्रा नागौर की, जब पंचायती राज का उद्घाटन किया। उन्होंने एक यात्रा की थी भारत के अभ्युदय की, यात्री नहीं रहा लेकिन यात्रा जारी है। इस राह पर आगे बढ़ते हुए भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 7 अक्तूबर, 1984 को अपनी अकाल मृत्यु से कुछ दिन पूर्व जयपुर में पंचायत राज रजत जयंती समारोह में प्रेरणादायी भाषण दिया था उसके कुछ अंश प्रस्तुत हैं:–

"25 वर्ष पहले मेरे पिताजी ने पंचायती राज की ज्योति जलाई थी, आज राजस्थान का देहाती चित्र कितना बदला है, शायद जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, परन्तु इस परिवर्तन में पंचायती राज का बहुत बड़ा हाथ है। पंचायती राज माध्यम है, साधन है, रास्ता है, दिशा है। इस दिशा में आगे बढ़ने का।"

उन्होंने अन्त में कहा, "मुझे पंचायती राज व्यवस्था से काफी उम्मीदें हैं। उसका सफल होना आपके काम पर ही निर्भर करता है। मुझे आशा है कि आप लोग वर्तमान चुनौतियों का सहर्ष सामना करेंगे और निष्ठा तथा कुशलता के साथ अपने लोगों की सेवा करेंगे। मेरी शुभ कामनाएं आपके साथ हैं।"

हमारे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पंचायत राज नवजीवन सम्मेलन में बीकानेर में जो भाषण दिया था वह

पंचायत राज के लिए बढ़े हुए अधिकार और कार्य क्षेत्र के साथ वरदान प्रमाणित हुआ।

पंचायत राज संस्थाओं ने गत वर्ष की अकाल की विभीषिका से बचने के लिए वाकई बड़े सराहनीय कार्य किए हैं और गांवों का विकास किया है। लोगों को रोजी रोटी दिलाने हेतु अनेक अकाल राहत व निर्माण कार्यों का सम्पादन किया है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम जैसे कार्यों में रुचि लेकर गरीब लोगों को लाभान्वित किया है। नये कुए खुदवाना, कुआं गहरा करवाना, पानी के नये स्रोत ढूंढना आदि कार्यों से सरकारी सहायता का लाभ किसानों को मिल रहा है। सौभाग्य से इस वर्ष प्रदेश में वर्षा भी अच्छी हुई है जिससे आशा है कि वर्तमान खरीफ एवं आगामी रबी की फसल भी अच्छी पैदावार देगी, जिससे राज्य में खुशहाली आने की संभावना है।

राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर विशेष बधाई के पात्र हैं जिन्होंने सूखे और अकाल के वातावरण में भी गत माहों में प्रदेश में गत वर्षों से टाले जाते रहे पंचायतों के चुनावों को पंचायत, पंचायत समिति, और जिला परिषदों तीनों स्तर पर कराकर पुनः पंचायत राज को नव जीवन दिया है। हमारे प्रधानमंत्री ने भी गत स्वतंत्रता दिवस पर पंचायतों को और सुदृढ़ बनाने हेतु अधिक अधिकार दिये जाने के सुझाव दिए हैं। उसकी पूर्ति हेतु प्रदेश में प्रयत्न प्रारम्भ हो गये हैं। नव निर्वाचित सरपंचों, प्रधानों, प्रमुखों को अपने दायित्वों को बोध कराने हेतु विभिन्न स्तरों पर सात दिवसीय प्रशिक्षण शिखर आयोजित किये जा रहे हैं।

2 अक्तूबर बापू की जन्मतिथि के साथ पंचायत राज की जन्म तिथि भी है, यह हमें अपने दायित्वों को याद दिलाने को हर वर्ष आती है। उनकी पूर्ति के लिए हमनें क्या किया और क्या नहीं किया, जो नहीं कर पाये उसके पीछे क्या कारण थे, उनको दूर करने का प्रयास करना है। पंचायत राज का उद्देश्य केवल गांव वालों को भौतिक सुख-सुविधायें उपलब्ध कराना ही पर्याप्त नहीं है। बापू के आदेशों के अनुसार गांव के हर व्यक्ति में सत्य, अहिंसा, प्रेम की भावना, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर को विकसित करना है।

गांवों में लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के फलस्वरूप नई चेतना जागी है। आज पंचायत जजाम पुर गांव का ठाकुर, सेठ, पटेल, ब्राह्मण और अस्पृश्य कहे जाने वाला अशिक्षित भी एक साथ बैठकर गांव के विकास के ध्वज को पकड़ कर बैठ सकता है।

पंचायत राज ने हमें दिया है—हम साथ मिलकर चलें—एक संकल्प एक विचार, हमारे में वर्ग—भेद का अन्तर खत्म हो, आर्थिक, सामाजिक विषमता के लिए कोई स्थान न हो। पंचायत राज जनता का जनता के लिए कार्यक्रम है अर्थात लोग स्वयं विकास के लिए पहल करें, उसके लिए जन समर्थन, जन सहयोग, जनसाधन जुटाना सीखें।

निस्संदेह ग्रामीण विकास के लिए प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति से ही चल रहे हैं। आज अपनी यात्रा में ग्रामीण विकास बहुत व्यापकता को प्राप्त हो चुका है परन्तु वह पूर्णता से अभी दूर है एक कवि ने कहा—

इस तरह तय की है, हमने मंजिलें,
गिरे पड़े, गिरकर उठे, उठकर चले।

आज हम पंचायती राज व्यवस्था को अनेक प्रश्नों से घिरा हुआ पाते हैं। सारे देश में ही अब पंचायत राज व्यवस्था को अधिक फलदायी बनाने हेतु केन्द्र और राज्य सरकारों में विचार विमर्श चल रहे हैं। ग्राम पंचायतों को सशक्त किए जाने की मांग की जा रही है। जिनमें 1. पंचायतों का समय पर चुनाव 2. पांच वर्ष का कार्यकाल 3. प्रत्येक पंचायत में एक सचिव 4. पटवारी, ग्राम सेवक, अध्यापक अर्थात पंचायत स्तर पर नियुक्त कर्मचारी पंचायत के अधीन सौंपे जाये। 5. राजस्व कर वसूली पंचायत द्वारा 6. पंचायत की सहायता अनुदान राशि 2.25 प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर पांच रुपया प्रति व्यक्ति किये जाने 7. सरपंच को मासिक 500 रुपया पारिश्रमिक 8. पंचायत कानून 1953 का संशोधन करना।

आशा है राज्य सरकारें समय-समय पर दिए गये सुझावों पर ध्यान देकर पंचायत राज में सुधार ला सकती हैं।

पंचायत प्रसार अधिकारी
जिला स्तर झालावाड़
पिन—326001

ग्राम-स्वराज के लिए पंचायती राज अपरिहार्य

रामजी प्रसाद सिंह

पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करना, सिर्फ गांव-वासियों के लाभ के लिए ही नहीं बल्कि गांधीजी की ग्राम-स्वराज की कल्पना को साकार करने और साथ ही संविधान-निर्माताओं के निर्देशों का परिपालन करने के लिए भी जरूरी है।

गांधीजी की धारणा थी कि देश के 80 प्रतिशत ग्रामवासियों को सुखी-सम्पन्न और आत्म-निर्भर बनाये बिना, स्वतंत्र भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। औद्योगिक विकास के लिए भी ग्राम-विकास जरूरी है। औद्योगिक उत्पादनों की खपत गांवों में तभी बढ़ेगी, जबकि गांव खुशहाल होंगे और गांव खुशहाल तभी होंगे, जबकि गांव वालों को आत्मनिर्भर होने के लिए समुचित अवसर दिया जायेगा। उन्हें अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने की छूट दी जायेगी। अपने विकास की योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए समुचित अधिकार और साधन दिये जायेंगे।

संविधान निर्माताओं ने इसी दृष्टि से संविधान में निर्देश दिया था :– "राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठायेगा और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत्त-शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हों।"

निःसंदेह संविधान निर्माताओं का यह निर्देश, उनके सभी निदेशों का मूल था, क्योंकि इस पर देश की 80 प्रतिशत आबादी की समृद्धि निर्भर थी। याद रखें यह निर्देश संविधान के प्रारूप में शामिल नहीं था। उसका समावेश, डा. राजेन्द्र प्रसाद के प्रयास से किया गया और इसके लिए स्वयं महात्मा गांधी ने प्रेरणा दी थी। महात्माजी को, जो बात गड़ जाती थी, उसे पूरा करने के लिए वे गोलबंदी (लौबिंग) नहीं करते थे। सीधे उस विषय को जनता की अदालत में ले जाते थे। जन सभाओं, प्रार्थना सभाओं में पेश कर देते थे। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ले जाने नहीं दिया करते थे।

संयोग से, स्वराज प्राप्त होते ही, पंडित नेहरू ने दिल्ली में एशियाई सम्मेलन बुलाया। गांधीजी ने ग्राम-स्वराज की अपनी परिकल्पना वहां भी रख दी थी।

गांधीजी ने विदेशी प्रतिनिधियों को सलाह दी, "आप गांवों में जायें। भारत की आत्मा वहां बसती है, दिल्ली में नहीं।"

गांव स्वतंत्र होंगे, तभी देश स्वतंत्र होगा। अपनी इसी मान्यता के अनुसार गांधीजी ने ग्राम स्वराज की सम्पूर्ण रूपरेखा तैयार की थी। साथ ही, इस पर अमल करने के लिए पद और प्रतिष्ठा से दूर रहकर काम करने वाले कार्यकर्ताओं की टोली बना दी थी। आचार्य विनोबा भावे, कुमारप्पा, दादा धर्माधिकारी आदि उनमें शामिल थे।

गांधीजी ने कहा–"गांव एक स्वतंत्र गणराज्य की तरह काम करें।" उन्हें अपनी मूलभूत जरूरतों की पूर्ति के लिए किसी पर निर्भर न रहना पड़े। वे खाना, कपड़ा, चारा, ईंधन, पेयजल आदि दैनिक जरूरत की चीजों के लिए मोहताज न रहें। वे अपनी चौपाल का प्रबन्ध खुद करें। रंगमंच स्वयं चलायें। बुनियादी शिक्षा का प्रबन्ध करें। सुरक्षा का प्रबन्ध भी स्वयं करें और बालिग स्त्री-पुरुष बैठकर अपने प्रधान/मुखिया, सरपंच का चुनाव करें। अन्य सारे मामलों में, वे गांव में एक दूसरे से मिलकर काम करें।

संविधान की धारा 40 में केवल ग्राम-पंचायतों का संगठन करने का निर्देश मात्र नहीं है। इसमें साफ कहा गया है कि उन्हें ऐसी शक्तियां दी जायें, ऐसा प्राधिकार दिया जाये, जो स्वायत्त शासन की एक इकाई के रूप में उन्हें सक्षम बनाये। संविधान सभा में यह अनुच्छेद सर्वसम्मति से पारित हुआ था।

इस धारा को समाविष्ट करने का प्रस्ताव करते हुए श्री टी.प्रकाशम् ने (जो बाद में मद्रास के मुख्यमंत्री बने थे) कहा था कि इसके बिना गांवों में समृद्धि नहीं आयेगी, वहां अंधकार बना रहेगा। पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि श्री सुरेन्द्र मोहन घोष का कहना था कि इस धारा के बिना सम्पूर्ण संविधान निरर्थक होगा। अब ग्रामीण जनता का इस संविधान से लगाव हो जायेगा। सेठ गोविन्द दास ने कहा कि "संविधान का प्रारूप तैयार करते समय इस विषय को कैसे नजरअंदाज किया गया, यह हैरानी की बात है।" भारत में गांवों की प्रारंभ से प्रधानता रही है। उपनिषदों में यहाँ तक कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गांवों की प्रधानता थी। शहरों की प्रधानता तो पश्चिमी देशों में रही है।

श्री अनन्त शयनम आयंगार (जो बाद में लोक सभा अध्यक्ष बने) ने कहा कि ग्राम पंचायतों को आर्थिक-सत्ता भी दी जाये। इसके बिना राजनीतिक सत्ता निरर्थक होगी। सिर्फ केन्द्रीकरण के बिना राजनीतिक विकेन्द्रीकरण लाभदायक नहीं होगा।

तत्कालीन..... मंत्री श्री के. सन्थानम ने इसे बेहिचक स्वीकार करते हुए कहा कि स्वायत्तशासी संगठन वास्तव में गांवों के लिए आर्थिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करेगा।

तत्कालीन विधि मंत्री श्री वी.आर. अम्बेडकर ने भी उनसे सहमति व्यक्त की। संविधान निर्माताओं ने राज्य (अर्थात राज्य और केन्द्र दोनों) को कुल 15 निर्देश दिये थे। इनमें ग्राम-पंचायतों के संगठन का निर्देश सबसे सरल और प्रसाध्य था। अतः सभी राज्य सरकारों ने संविधान के लागू होने के थोड़े ही समय बाद ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कानून बना दिया।

पंचायत प्रणाली हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई थी। अतः नये कानून के तहत पंचायतों के चुनाव आसानी से हो गये। कहीं प्रखंड और जिला स्तर की पंचायतें भी बन गयीं। छठे दशक में पंचायतों ने साधन, सुविधा और समुचित अधिकार की कमी के बावजूद बढ़िया काम किया। किन्तु सातवें दशक में सारे देश में खंड विकास कार्यालय की स्थापना के बाद उसके महत्व और प्रभाव कम होते चले गए। नतीजा, वे प्रखंड कार्यालय की इकाई बन गये। एक स्वायत्तशासी सरकार की उनकी गरिमा जाती रही।

राज्य सरकारों द्वारा ग्राम-पंचायतों का चुनाव समय पर नहीं कराने और चुनाव-प्रक्रिया जटिल और खर्चीली हो जाने के कारण, यह प्रणाली बिल्कुल नष्ट हो गयी। अनेक राज्यों में ग्राम-पंचायतों के मतदाता 18 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। अतः पंचायतों के मतदाताओं की संख्या लोक सभा के मतदाताओं से अधिक होती है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी। इस कारण राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के चुनाव पर आम चुनाव से भी ज्यादा खर्च करना पड़ता था। इसलिए राज्य सरकारें इसका चुनाव कराने से कतराती थीं। दूसरी ओर जिला एवं प्रखंड प्रशासन का ग्राम पंचायतों से सौतिया-डाह। तीसरी ओर गांवों में नई चेतना के कारण परिवर्तन की भूख के कारण ग्राम-पंचायतें या तो निष्क्रिय हो गयीं अथवा राजनीतिक खींचतान का केन्द्र बन गयीं। कई राज्यों में 13-14 वर्षों में एक बार भी पंचायतों के चुनाव नहीं हुए, जबकि साधारणतया तीन वर्षों में होने अपेक्षित थे।

जहाँ-तहाँ सामन्ती व्यवस्था भी परिवर्तन की इस प्रक्रिया में रोड़े डालने का काम कर रही थी। नौकरशाही भी अपने अधिकार क्षेत्र में दखल देने वाली किसी संस्था को देखना नहीं चाहती थी।

राज्य सरकारों ने ग्राम-पंचायतों को राजनीतिक सत्ता, कुछ हद तक जरूर सौंपी, परन्तु उसके वित्तपोषक का प्रबन्ध नहीं किया। फलतः साधन के अभाव में विकास के कार्यों में पंचायतें अपनी भूमिका अदा नहीं कर सकीं।

गांवों में रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा नहीं किये जा सके; नतीजा वहां से प्रतिभा पलायन आरंभ हो गया। गांवों से पूंजी भी गायब होने लगी क्योंकि शहरों में पूंजी-विनियोग ज्यादा लाभकारी साबित हुआ। ग्रामीण-पूंजीभी शहरों में आ गयी।

कुछ आदिवासी क्षेत्रों का दौरा करने के बाद श्री राजीवगांधी को स्पष्ट आभास मिला कि गांवों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। सरकार ग्राम विकास के लिए जो भी धन उपलब्ध कर रही है, उसका 70 प्रतिशत भाग गांवों तक नहीं पहुंच पाता। आधा से अधिक प्रशासन पर ही खर्च हो जाता है। श्री राजीव गांधी ने इस कटु सत्य पर पर्दा डालने की चेष्टा नहीं की बल्कि इन्होंने इस सत्य को सार्वजनिक मंचों पर ईमानदारी से उजागर किया।

श्री गांधी ने राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, योजनाभवन के उच्चाधिकारियों, मुख्य सचिवों और जिलाधिकारियों, बुद्धि-

जीवियों और वैज्ञानिकों, सभी के समक्ष यह बात रखी और कोई सरल रास्ता निकालने का आह्वान किया। ऐसा रास्ता निकाला जाये ताकि गरीबों और ग्रामवासियों के लिए निर्धारित लाभ उन तक पहुंच जाये। प्रशासन-व्यय घटे। देश के नव-निर्माण में गांवों के लोगों की साझेदारी बढ़े। सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो। गांव स्वावलंबी हों। बेकारी दूर हो। किसान-मजदूरों की स्थिति बेहतर हो। योजनायें स्थानीय तौर पर तैयार हों। उसके निर्माण और कार्यान्वयन में जनता भी भागीदार हो। सत्ता का अधिकतम विकेन्द्रीकरण हो।

श्री राजीव गांधीजी ने इस विषय को कांग्रेस कार्य समिति के समक्ष भी रखा और इसमें जन-सहयोग प्राप्त करने की चेष्टा की।

पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत कर उसे स्वायत्त-शासन की एक इकाई के रूप में विकसित करने के संविधान के निर्देश को लागू करने के लिए, श्री राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन करने का भी प्रस्ताव रखा। इसकी घोषणा उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराते हुए राष्ट्र के नाम अपने संदेश में की। इसके फलस्वरूप अनेक उच्च स्तरीय मंचों पर विषय गंभीरता से विचार मंथन शुरू हुआ।

पहले चरण में, राज्य सरकारों को निर्देश भेजा गया था कि ग्राम पंचायतों के चुनाव करायें। इसके बाद प्रायः सभी राज्य इस दिशा में सक्रिय हो गये। यहां तक कि विपक्ष द्वारा शासित प्रदेशों-आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और केरल में भी चुनाव हुए। कुछ राज्यों में न्यायालय का हस्तक्षेप हो गया है, तो कहीं कई चरणों में चुनाव कराये जा रहे हैं।

पंजाब में ग्राम-पंचायतों के चुनाव की घोषणा की जा चुकी है। उन पंचायतों के कार्यकाल अक्तूबर से समाप्त हो गये थे।

सबसे गंभीर चर्चा, योजना भवन में हो रही है, जहां पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता और साधन सुलभ करने के लिए तरह-तरह के विधायी और प्रशासनिक कदम उठाने का विचार किया जा रहा है।

विगत 23 अगस्त को गृह मंत्रालय के कार्मिक विभाग की संसदीय समिति की बैठक में, प्रधानमंत्री के आह्वान पर इस विषय में कई ठोस सिफारिशें की गयीं।

बैठक में, प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के इस विचार में सहमति व्यक्त की गई कि स्थानीय संस्थाओं को समुचित शक्ति और साधन दिये जायें, तो अनेक क्षेत्रीय आन्दोलन स्वतः समाप्त हो जायेंगे। इसके प्रभाव में क्षेत्रीय आन्दोलन, कभी-कभी विकराल रूप धारण कर लेता है।

उसने अशोक मेहता समिति और तत्कालीन चुनाव आयुक्त श्री एस.एल.शकधर की सिफारिशों पर भी गौर किया। मेहता समिति ने कहा था कि अवक्रमित (सुपरसीडेड) पंचायत समितियों के चुनाव छः माह के अन्दर कराये जायें। इसी तरह से शकधर ने यह सिफारिश भी की थी कि पंचायतों के चुनाव का भार भी चुनाव आयोग को सौंपा जाये।

समिति ने इस संदर्भ में सिफारिश की कि पंचायतों के निर्माण के सम्बन्ध में केन्द्र को एक आदर्श अधिनियम बनाना चाहिए। समिति ने सिफारिश की कि पंचायत प्रमुखों के चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर किये जायें तथा शेष पंचों का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के आधार पर कराया जाये।

पंचायतों के वित्त-पोषण के बारे में, समिति ने कहा कि उसके लिए राज्य के बजट में व्यवस्था की जाये और धन सीधे उसके खाते में भेज दिया जाये।

उसने कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, सड़क, संचार और न्यूनतम मंजूरी आदि नमूने के तौर पर 17 जिला पंचायत परिषदों को सपुर्द किये जाने की सिफारिश की है।

इस पर राज्यों के मुख्य सचिवों और राज्यपालों के सम्मेलन में विचार हो चुका है।

आशा की जाती है कि संसद के आगामी बजट अधिवेशन में, पंचायती राज-प्रणाली को शक्ति और साधन सम्पन्न बनाने के लिए एक विधेयक पेश किया जायेगा। ताकि सारे देश में पंचायत सच्चे अर्थ में सम्पूर्ण गणराज्य के बीज के रूप में फले-फूले।

स्वभावतः उक्त विधेयक में पंचायती संस्थाओं के लिए सुगम कार्य पद्धति बनाने, पंचायतों के चुनाव अल्प व्यय साध्य बनाने और पंचायतों की आय का पक्का स्रोत बनाने के

प्रावधान किये जायेंगे।

इसका लाभ राज्य सरकारों को भी मिलेगा, क्योंकि सशक्त ग्राम-पंचायतें, उसके प्रशासन का भार यथेष्ट मात्रा में उठा लेंगी। आजकल राजस्व की वसूली पर सरकार की आमदनी से ज्यादा खर्च है। यह स्थिति दूर हो जायेगी। पंचायतें वसूली करेंगी और वेतन भी स्वयं बांटेंगी। गांव में विकास की छोटी–छोटी योजनाओं को भी वह लागू करेंगी। उससे सरकारी खर्च घटेगा और कम पैसे में अधिक साधन तैयार होंगे।

गांव में विभिन्न सड़कों, पुलों, नालों-नालियों और बांधों के रख-रखाव पर सरकार का कम खर्च होगा, क्योंकि गांव वाले उनकी अपने खून पसीने की कमाई के रूप में रक्षा करेंगे।

इस प्रकार संविधान के एक उत्तम निर्देश पर अमल होगा और गांधीजी के सपनों के भारत का निर्माण होगा।

इसके बाद सुदृढ़ पंचायतें संविधान के अन्य निर्देशों की पूर्ति में भी सहायक होंगी। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, दुर्बल वर्ग की अभिवृद्धि, पोषाहार का उत्पादन, पशुधन का विकास, पर्यावरण का संरक्षण आदि का भी लक्ष्य पूरा होगा।

बी : 2 बी, 285, जनकपुरी
नई दिल्ली–110058

पंचायती राज के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण विकास की प्रशासन उपलब्धियां

डा. अशोक शर्मा

राजस्थान को लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की दिशा में, पंचायती राज व्यवस्था लागू करने में देश का अग्रणी राज्य होने का गौरव प्राप्त है। 1957 में बलवंतराय मेहता ने सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की समीक्षार्थ प्रस्तुत प्रतिवेदन में यह मत व्यक्त किया था कि विकास की समस्त योजनाओं की क्रियान्विति को सफल बनाने के लिए अधिकतम जन-सहभागिता सुनिश्चित करना परम आवश्यक है। तभी से राजस्थान में विकास के रथ को आगे बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिवर्ष नूतन दायित्व प्रदान किए गए हैं। इन दायित्वों का निष्पादन पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे द्वारा, राज्य-सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशन में किया जाता है। इन्हीं संस्थाओं द्वारा राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम विकास की प्रशासनिक उपलब्धियों—विशेषकर 1987-88 के सन्दर्भ में यहां रेखांकित किया जा रहा है।

बीस सूत्री कार्यक्रमों से सम्बद्ध उपलब्धियां

यह सर्वविदित है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 20 सूत्री कार्यक्रम की क्रियान्विति में पंचायती राज संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। प्रधानमंत्री के बीस-सूत्री कार्यक्रम के सूत्र संख्या-9 'गरीब को छप्पर' के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कमजोर वर्ग के ऐसे परिवारों को, जिनके पास मकान नहीं हैं, उन्हें आवासीय सुविधा देने के लिए निःशुल्क भूखण्ड आबंटित किए जाते हैं। वर्ष 1985-86 में लक्ष्यों की तुलना में 218 प्रतिशत, 1986-87 में 145 प्रतिशत और 1987-88 में (माह जनवरी, 88 तक) 126 प्रतिशत लक्ष्यों की उपलब्धि राज्य में की गई है। 1987-88 में 30,000 परिवारों को निःशुल्क भूखण्ड आबंटित करने के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1988 तक 37,769 निःशुल्क भूखण्ड आबंटित किए गए। लाभान्वित परिवारों में 48 प्रतिशत अनुसूचित जाति के तथा 27.6 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के हैं।

ग्रामीण आवासीय भवन निर्माण सहायता

ग्रामीण आवासीय सहायता कार्यक्रम हेतु राज्य में चार पृथक-पृथक योजनाओं द्वारा ग्रामीणों को लाभान्वित किया जा रहा है। प्रथम विभागीय अनुदान सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत 175 लाख रुपये के अनुदान 23,333 मकानों के निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1988 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 21,953 घरों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में भी इस वर्ष 8,619 मकान निर्मित कराए गए हैं। तीसरी, इन्दिरा आवास योजना में भी एक पक्का कमरा तथा रसोई घर की आधारभूत सुविधा 8,999 परिवारों को उपलब्ध कराई गई थी। इस कोटि की चतुर्थ योजना 'अकाल सहायता अनुदान' के मद में भी सहायता विभाग द्वारा 2 हजार रुपये का भुगतान मजदूरी हेतु प्रति लाभार्थी किया और ऐसे 4,237 भवन जनवरी, 1988 तक निर्मित कराए गए।

बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

बंजर भूमि पर वृक्षारोपण द्वारा विकास, राष्ट्रीय स्तर का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राजस्थान में इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने हेतु, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक निर्देशन समिति का गठन किया गया है तथा जिला एवं पंचायत समिति पर भी क्रमशः जिलाधीश एवं उपखंड अधिकारी एवं ग्राम स्तर पर सरपंच की अध्यक्षता में समितियां बनाई गई हैं। इस योजना के अन्तर्गत आबंटित भूमि में से पंचायत समितियों द्वारा 4,334 तथा अन्य संस्थाओं द्वारा 3,931 हैक्टेयर भूमि में क्रमशः 34 लाख तथा 39 लाख पौधे लगाये गये हैं। इसी तरह पौधशाला विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 331 पौधशालाओं में 71 लाख पौध तैयार की गई।

राजस्थान सरकार की राज्य स्तरीय निर्देशन समिति के इस निर्णय से इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित भूमि का आबंटियों के नाम राजस्व रिकार्ड में इंद्राज किया जाये और

उन्हें उसके अनुसार पट्टा भी दिया जाये।

पेयजल : हैण्डपम्पों का संधारण

पिछले कुछ वर्षों में वर्षा के अभाव में पीने के पानी के हुए संकट को कम करने की दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में हैण्डपम्प लगाये गये हैं। हैण्डपम्प लगाने का कार्य जहां जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा किया जाता है वहीं उनके संधारण या रख-रखाव का दायित्व पंचायती राज की संस्थाओं को दिया गया है। हैण्डपम्प का कार्य राज्य की पंचायत समितियां करती हैं। राजस्थान में कुल 65,769 हैण्डपम्पों के संधारण हेतु 1,425 हैण्डपम्प मिस्त्री कार्यरत हैं। इतनी बड़ी संख्या में हैण्डपम्पों के विपरीत अल्प मिस्त्री होने के कारण राज्य में बन्द पड़े हैण्डपम्पों की शिकायतें भी समाचार-पत्रों में आती रहती हैं।

ग्रामीण शौचालय एवं स्वच्छता कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा अब नगरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शौच सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम' चालू किया गया है। सरकार का इस दिशा में अधिकतम प्रयत्न अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को लाभान्वित करने का होता है। राज्य में 'युनिसेफ' के सहयोग से वर्ष 1987-90 तक की एक योजना राज्य के 24 जिलों में क्रियान्वयन हेतु हाथ में ली गई है। इस योजना के अन्तर्गत भी अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों में स्वच्छ वातावरण देने की दृष्टि से 11,500 शौच इकाइयों का निर्माण कराया गया है।

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्रियान्विति पहले से ही पंचायती राज संस्थाएं करती आ रही हैं। राज्य में कुल 25,175 प्राथमिक शालाओं में 47,277 अध्यापक-अध्यापिकाएं 22,13,133 छात्र व छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। 47 विकास खण्डों में 59 विद्यालय भवन ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के अन्तर्गत बने हैं। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत पंचायत समितियों में कार्यरत 7,000 अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया है।

पोषाहार कार्यक्रम

राज्य के 10 जिलों की 82 पंचायत समितियों में 6,233 केन्द्रों के माध्यम से स्कूलों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं को मध्याह्न पोषाहार कार्यक्रम में 80 ग्राम दलिया व 5 ग्राम तेल प्रति छात्र के हिसाब से वितरित किया गया है। राज्य सरकार 'केयर संस्था' से प्राप्त इस पोषाहार सामग्री के प्रशासन व परिवहन पर 19.38 लाख रुपये प्रतिवर्ष व्यय वहन करती है।

उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

भारत सरकार के द्वारा प्रवर्तित इस उन्नत चूल्हा कार्यक्रम से खाना पकाने का 65 प्रतिशत ईंधन बचाया जाता है। तेजी से लुप्त होती जा रही वन सम्पदा को बचाने की दिशा में उन्नत चूल्हा कार्यक्रम एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम है। 1984-85 में राजस्थान इस कार्यक्रम में पूरे देश में प्रथम रहा था। 1987-88 में 75,000 उन्नत चूल्हों के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी, 1988 तक 73,594 चूल्हों का निर्माण किया गया।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना में स्थानीय व्यक्तियों का चयन ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य चिकित्सा सेवार्थ उन्हें प्रशिक्षित किया जाना भी एक उल्लेखनीय उपलब्धि रही है। इसी तरह अनौपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में 7,200 केन्द्र बालकों व 3,000 केन्द्र बालिकाओं को यह लाभ पहुँचा रहे हैं। राज्य का लोक प्रशासन संस्थान ग्रामीण विकास से सम्बद्ध कर्मचारियों एवं जन-प्रतिनिधियों के लाभार्थ अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। पंचायती राज पर चिंतन एवं अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा सूचना संकलन आदि की सुविधा निरन्तर उपलब्ध रखने हेतु जयपुर में पंचायती राज से सम्बद्ध जन-प्रतिनिधियों, कर्मचारियों व अधिकारियों आदि के ठहरने हेतु पंचायत भवन तथा इन्दिरा गांधी पंचायती राज संस्थान निर्माणाधीन है जिनके 1988-89 में बनकर तैयार हो जाने की आशा है।

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित विकास कार्यक्रम की यह संक्षिप्त सूची राजस्थान के विकास की एक तस्वीर मात्र है। इस दिशा में अभी बहुत कुछ किया जाना जन-हित में अभीष्ट है।

92, लवकुश नगर प्रथम
टोंक फाटक, जयपुर 302015

पंचायती राज संस्थाएं : विस्तार का स्वरूप

डा. सूरत सिंह

पंचायती राज संस्थाएं, देश के राजनीतिक ढांचे की प्रक्षेपक और बुनियाद होने के कारण, अपने उच्चतर स्तरों के प्रतिरूपों की भांति जनतांत्रिक प्रणालियों के अनुसार स्थापित की गई हैं। ये संस्थाएं लोकसभा से लेकर ग्राम सभा तक जनता द्वारा जनतांत्रिक रूप से संस्थापित की गई हैं। अधिकतर राज्यों में पंचायत ही ऐसी संस्था है जिसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद जैसी उच्च स्तरीय संस्थाएं ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा एक-दूसरे के बीच संगठनात्मक संबंध स्थापित करने हेतु संगठित की जाती हैं।

वर्तमान में देश में पंचायतों की संख्या दो लाख 17 हजार से थोड़ी अधिक है, जिसके अंतर्गत 5,53,668 गांव आते हैं। देश के लगभग 95 प्रतिशत ग्रामवासी इसके अंतर्गत आते हैं। सभी राज्यों में प्रति पंचायत, ग्रामों की औसत संख्या भिन्न-भिन्न होती है। पूरे देश में प्रति ग्राम पंचायत गांवों की संख्या औसत 2.8 तथा जनसंख्या लगभग 2,306 है। प्रति पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों की औसत संख्या तथा प्रति जिला परिषद, पंचायत समितियों की संख्या सभी राज्यों में भिन्न-भिन्न होती है।

पंचायती राज संस्थाएं अथवा जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण, सत्ता को लोगों को हस्तांतरित करने का प्रयास है। मेघालय और नगालैंड को छोड़कर सभी राज्यों ने अपनी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पंचायती राज प्रणाली को अपनाया है।

आंध्र प्रदेश

आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 (1986 में संशोधित) और आंध्र प्रदेश मंडल प्रजा परिषद, जिला परिषद प्रणालिका अभिवरुद्धी मंडल अधिनियम, 1986 के अंतर्गत तीन स्तरीय प्रणाली कार्य कर रही है। मंडल प्रजा परिषद में, निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडल में ग्राम पंचायत के पदेन सरपंच तथा नामांकित सदस्य होते हैं। जिले के अध्यक्ष के पदों में से नौ प्रतिशत महिलाओं के लिए तथा 25 प्रतिशत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होते हैं। पंचायत में 5 से 17 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य तथा सरपंच होता है। जिला स्तर पर जिला प्रणालिका अभिवरुद्धी मंडल होता है, जो कि पूर्णतः एक परामर्शदात्री संस्था है। पैंतीस से पचास हजार की जनसंख्या पर एक मंडल होता है, जिसका अध्यक्ष प्रत्यक्षतः निर्वाचित होता है। आंध्र प्रदेश में जिला परिषद का अध्यक्ष भी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित किया जाता है। राज्य में 19,511 ग्राम पंचायतें हैं जिनके अंतर्गत 29,293 गांव तथा 409.85 लाख ग्रामीण जनसंख्या आती है। प्रति पंचायत गांवों की औसत संख्या 1.5 गांव; प्रति मंडल, ग्राम पंचायतों की औसत संख्या लगभग 15 तथा प्रति जिला परिषद 45-60 मंडल हैं। वर्तमान में राज्य में 1,104 मंडल तथा 23 जिला परिषदें हैं। नए अधिनियम के अंतर्गत मंडल प्रजा परिषदों और जिला परिषदों के चुनाव 1987 में हुए थे और ग्राम पंचायतों के चुनाव मार्च 1988 में पूरे हुए।

असम

असम पंचायती राज अधिनियम 1972 (1973 का असम अधिनियम 11) में दो स्तरीय प्रणाली-उपक्षेत्रीय स्तर पर मोहकुमा परिषदों और गाओ पंचायतों का प्रावधान है। गाओ पंचायत में 1 से 15 प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं और इसका कार्यकाल चार वर्ष होता है। राज्य के 20,799 गांवों के लिए 714 पंचायतें हैं तथा प्रति गाओ पंचायत औसत 29.1 गांव हैं। राज्य में 31 मोहकुमा परिषदें हैं, जिनके अंतर्गत 171.83 लाख जनसंख्या आती है। राज्य में इन संस्थाओं के अंतिम चुनाव जनवरी 1979 में हुए।

बिहार

राज्य में दिसम्बर 1961 में पंचायती राज की तीन स्तरीय पद्धति अपनाई गई। राज्य सरकार ने 15 अगस्त 1961 को चार जिलों में तथा 15 अगस्त 1962 तक शेष

जिलों में पंचायती राज शुरू करने का संकल्प किया। वर्तमान में ये संस्थाएं बिहार पंचायती राज अधिनियम, 1947 (बिहार अधिनियम 6/1962) के अंतर्गत आती हैं। राज्य में 611.24 लाख जनसंख्या वाले 77,964 गांवों के लिए 11,378 पंचायतें, 588 पंचायत समितियां और 33 जिला परिषदें हैं। राज्य में औसत 6.8 गांवों के लिए एक पंचायत; 19.3 ग्राम पंचायतों के लिए एक पंचायत समिति और 17.8 पंचायत समितियों के लिए एक जिला परिषद है। ग्राम पंचायत में औसत आठ–चार निर्वाचित और शेष चार नामांकित सदस्य होते हैं। राज्य में प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत औसत जनसंख्या 5,378 है। राज्य में ग्राम पंचायतों के चुनाव मई 1978 में तथा पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव 1980 में हुए थे।

गुजरात

पंचायती राज संस्थाओं की संस्थापना गुजरात पंचायत अधिनियम, 1961 के अंतर्गत की गई है। अधिनियम में पंचायती राज के स्तरों गांव, ताल्लुका और जिला का प्रावधान है। ग्राम पंचायत में 7 से 15 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य होते हैं। पंचायत समिति में 15 से 31 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं तथा ज़िला परिषद में 31 से 51 अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य होते हैं। दस हजार तक की जनसंख्या वाले ग्राम में एक ग्राम सभा होती है। राज्य में 13,173 पंचायतें, 182 पंचायत समितियां तथा 19 जिला परिषदें हैं जिनके अंतर्गत 18,550 गांव आते हैं। प्रति पंचायत औसत गांवों की संख्या 1.4; प्रति पंचायत समिति औसत ग्राम पंचायतों की संख्या 72.4 तथा प्रति जिला परिषद औसत पंचायत समितियों की संख्या 9.6 है। पंचायतों, पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों के अंतिम चुनाव 1981 में हुए। अगले चुनाव 1986 में होने थे लेकिन अब तक नहीं हो पाए हैं।

हरियाणा

पंचायती राज की दो स्तरीय प्रणाली दो अलग-अलग अधिनियमों ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 और पंजाब पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कार्य कर रही है। राज्य में उच्च स्तरीय जिला परिषद 1973 में समाप्त कर दी गई है। गांव पंचायत में 5 से 19 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य और सरपंच होता है। पंचायत समिति में 15 से 26 अप्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें चार अनुसूचित जाति के तथा दो महिलाएं होती हैं। राज्य में ग्राम पंचायत की औसत संख्या 1,818 है। राज्य में 5,554 ग्राम पंचायतें तथा 98 पंचायत समितियां हैं। इनके अंतर्गत 100.95 लाख ग्रामीण जनसंख्या आती है। राज्य में औसतन 1.2 गांवों के लिए एक ग्राम पंचायत तथा 56.7 ग्राम पंचायतों के लिए एक पंचायत समिति होती है। हरियाणा में पंचायतों के अंतिम चुनाव जून 1988 में तथा पचायत समितियों के 1984 में हुए थे।

हिमाचल प्रदेश

राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना नवंबर 1952 में हुई। 15 नवम्बर 1970 को नया हिमाचल प्रदेश अधिनियम, 1968 लागू किया गया तथा पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली को अपनाया गया। पांच सौ से पांच हजार तक की जनसंख्या के लिए ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। वर्तमान में राज्य में 1,498 ग्राम सभाएं हैं। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है तथा यह गांवों की जनसंख्या के अनुसार पांच से नौ के बीच में होती है। राज्य में 2,357 ग्राम पंचायतें, 69 पंचायत समितियां तथा 12 जिला परिषदें हैं। इनके अंतर्गत 16,916 गांव आते हैं। प्रति पंचायत, गांवों की औसत संख्या 7.2; प्रति पंचायत समिति, पंचायतों की औसत संख्या 34.2 तथा प्रति जिला परिषद, पंचायत समितियों की औसत संख्या 5.8 है। इनके अंतर्गत लगभग 100 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या आती है। राज्य में तीनों स्तरों के चुनाव 1985 में हुए।

जम्मू एवं कश्मीर

पूरे राज्य में ग्राम पंचायत की एक स्तरीय प्रणाली प्रचलित है। पंचायत में 7 से 11 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य में 1,469 पंचायतें हैं जिनके अंतर्गत 6,900 गांवों की 47.27 लाख जनसंख्या आती है। औसत 3,218 जनसंख्या के लिए एक पंचायत और 4.7 गांवों में एक ग्राम पंचायत होती है। राज्यों में पंचायतों के चुनाव 1977 में हुए थे और तब से अब तक चुनाव नहीं हुए।

कर्नाटक

राज्य में 1983 के अधिनियम के अनुसार तीन स्तरीय प्रणाली अपनाई गई है। मंडल पंचायतों, ताल्लुका पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों की स्थापना कर्नाटक ज़िला परिषद, ताल्लुका पंचायत समिति, मंडल पंचायत तथा न्याय पंचायत अधिनियम, 1983 के अंतर्गत की गई है। मंडल

पंचायत में निर्वाचित सदस्यों की संख्या, प्रति 500 जनसंख्या पर एक सदस्य है। प्रत्येक मंडल पंचायत में 25 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए तथा 18 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इनका मुखिया/प्रधान और उप–प्रधान होता है। राज्य में मंडल पंचायतों की संख्या 3,000 से अधिक है जिनके लगभग 52,000 निर्वाचित सदस्य हैं। इनमें से लगभग 27,000 स्थान मान्य है। लगभग 12,000 अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित हैं तथा लगभग 13,000 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। राज्य में 19 जिला परिषदों में 768 निर्वाचित सदस्य है जिनमें से 397 स्थान सामान्य हैं, 196 महिलाओं के लिए आरक्षित हैं तथा 175 अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। राज्य में 175 ताल्लुका पंचायत समितियां हैं जिनके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। विधान सभा तथा विधान परिषद के संबंधित सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। विधान सभा के जिस सदस्य के पास ताल्लुका में, अपने निर्वाचन क्षेत्र का बड़ा भाग होता है, वह समिति का अध्यक्ष होता है। नए अधिनियम के अंतर्गत, 1987 में चुनाव कराए गए।

केरल

राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना केरल पंचायत अधिनियम, 1960 तथा जिला प्रशासन अधिनियम, 1979 के अंतर्गत की गई। राज्य में केवल ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं। इसमें 7 से 15 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य तथा एक अध्यक्ष होता है जो कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। राज्य में 206.82 लाख जनसंख्या वाले 1,219 गांवों में केवल 1,001 ग्राम पंचायतें हैं। औसत 20,661 जनसंख्या वाले 1.2 गांवों के लिए एक ग्राम पंचायत है। राज्य में पंचायतों के चुनाव 1987 में हुए थे।

मध्य प्रदेश

राज्य में ग्राम पंचायत अधिनियम 1962 में अधिनियमित किया गया था। इसने राज्य में पंचायती राज के राजनीतिक और प्रशासनिक विकास को काफी हद तक प्रभावित किया। वर्तमान में राज्य में मध्य प्रदेश पंचायत अधिनियम 1981 के अंतर्गत पंचायती राज की तीन स्तरीय प्रणाली प्रचलित है। अधिनियम में जिन तीन स्तरों का प्रावधान है वे हैं ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद। पंचायत में 10-12 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य होते हैं। इनमें एक अनुसूचित जाति का, एक अनुसूचित जनजाति का तथा तीन महिलाएं होती हैं। सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य में 17,603 गांवों के लिए 18,801 पंचायतें, 393 जनपद पंचायतें तथा 43 जिला परिषदें हैं। राज्य में प्रति पंचायत औसतन 2,212 जनसंख्या वाले 4.1 गांव; प्रति जनपद पंचायत 42.5 पंचायतें तथा प्रति जिला परिषद 103 जनपद पंचायतें हैं। अधिनियम में यह प्रावधान है कि यदि पंचायत, जनपद पंचायत और जिला परिषद में अनुसूचित जातियों/जनजनजातियों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से अधिक है तो सरपंच, उपाध्यक्ष और उप-सभापति पिछड़ी जाति/जनजाति के ही होंगे। पंचायतों, जनपद पंचायतों तथा जिला परिषदों के चुनाव क्रमशः 1983, 1984 और 1985 में हुए। जिला परिषदों की संस्थापना 1985 में पहली बार की गई।

महाराष्ट्र

राज्य में पंचायती राज संस्थाएं दो अधिनियमों बम्बई ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 और महाराष्ट्र जिला परिषद तथा पंचायत समिति अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। अधिनियम में पंचायती राज के तीन स्तरों – गांव, ताल्लुका और जिला, का प्रावधान है। राज्य में 1962 में गुजरात की भांति एक शक्तिशाली जिला परिषद की स्थापना की गई तथा इसकी कार्यकारी समिति के रूप में पंचायत समिति की भी स्थापना की गई है। पंचायत के 7 से 15 सदस्य होते हैं तथा सहकारी समिति का अध्यक्ष होता है। इसमें दो स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं तथा पिछड़ी जातियों/जनजातियों के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के अनुसार होता है। राज्य में 407.91 लाख जनसंख्या वाले 76,603 गांवों के लिए 24,504 पंचायतें, 298 पंचायत समितियां तथा 29 जिला परिषदें हैं। औसतन 1,665 जनसंख्या के लिए एक ग्राम पंचायत है तथा 1.6 गांवों के लिए एक ग्राम पंचायत है। राज्य में प्रति पंचायत समिति 82.2 पंचायतें तथा प्रति जिला परिषद 10.3 पंचायत समितियां हैं।

उड़ीसा

राज्य में उड़ीसा ग्राम पंचायत अधिनियम, 1964 के अंतर्गत पंचायतों की स्थापना की गई है। इनके अंतर्गत 232.60 लाख जनसंख्या वाले 51,639 गांव आते हैं। राज्य ने उड़ीसा पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 के अंतर्गत तीन स्तरीय प्रणाली को अपनाया है।

अधिनियम 26 जनवरी 1961 को लागू किया गया था। जिला परिषदें 1967 में समाप्त कर दी गईं और अब केवल दो स्तरीय प्रणाली ही प्रचलित है। ग्राम पंचायत और ग्राम समिति में क्रमशः 11 से 25 और 18 से 25 सदस्य होते हैं। राज्य में 4,388 ग्राम पंचायतें हैं तथा 5,301 जनसंख्या के लिए औसत एक पंचायत है। प्रति पंचायत औसत 11.8 गांव हैं तथा प्रति पंचायत समिति 14.0 पंचायतें हैं। पंचायतों और पंचायत समितियों का चुनाव जनवरी-फरवरी 1984 में हुआ।

पंजाब

पंजाब में 1959 से पहले पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 तथा पी.ई.पी.एस.यू. पंचायत राज अधिनियम लागू थे। पंजाब ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 1959 पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम, 1952 तथा पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1961 के अंतर्गत तीन स्तरीय प्रणाली लागू की गई। 1979 से ऊपरी दो स्तरों को निष्प्रभावी कर दिया गया है। ग्राम पंचायत में 5 से 11 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्य में 12,796 गावों के लिए 10,951 पंचायते हैं। राज्य में प्रति पंचायत औसत जनसंख्या 1,109 तथा प्रति पंचायत औसत 11.2 गांव हैं। राज्य में प्रति पंचायत समिति 92.8 पंचायतें तथा प्रति जिला परिषद 9.8 पंचायत समितियां हैं। पंचायतों के चुनाव सितंबर-1983 में हुए।

राजस्थान

आंध्र प्रदेश के साथ-साथ राजस्थान भी मेहता दल द्वारा सुझाई गई पद्धति को अपनाने में अग्रणी रहा है। राज्य में राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953 तथा राजस्थान पंचायत समिति व जिला परिषद अधिनियम, 1959 के अंतर्गत तीन स्तरीय प्रणाली अपनाई गई है। ग्राम पंचायत में 5 से 20 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य और सरपंच होता है। राज्य में 270.51 लाख ग्रामीणों के लिए 7,292 पंचायतें, 236 पंचायत समितियां तथा 27 जिला परिषदें हैं। राज्य में औसत 3,719 जनसंख्या वाले 37,124 गांव हैं। औसतन प्रति पंचायत 5.1 गांव, प्रति पंचायत समिति 30.9 पंचायतें तथा प्रति जिला परिषद 8.7 पंचायत समितियां हैं जिनके अंतर्गत 100 प्रतिशत जनसंख्या आती है। मध्यम स्तर के पास योजना तथा कार्यान्वन की शक्तियां होने के कारण यह प्रणाली में सबसे शक्तिशाली है। पंचायतों, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव हाल ही में जून-जुलाई 1988 में सात वर्षों के बाद हुए।

तमिलनाडु

मद्रास पंचायत अधिनियम, 1950 के अंतर्गत गांव स्तर पर पंचायतों का प्रावधान था। जनवरी 1960 से तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1958 तथा तमिलनाडु जिला विकास परिषद अधिनियम, 1958 के लागू हो जाने से गांव स्तर पर पंचायतें तथा ब्लॉक स्तर पर पंचायत केन्द्रीय परिषदें स्थापित की गईं। नए कानून के बनने के बाद तीन स्तरीय प्रणाली अपनाई गई है। ग्राम पंचायत में 5 से 15 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य तथा प्रधान होता है। राज्य में 16,696 गांव हैं तथा औसत 1.3 गांवों पर एक पंचायत है, 34.6 पंचायतों पर एक केन्द्रीय परिषद तथा 15.8 केन्द्रीय परिषदों पर एक जिला विकास परिषद है। 1970 के चुनाव के बाद ये संस्थाएं निष्प्रभावी कर दी गईं तथा फिर 6 वर्षों के पश्चात इन्हें पुनर्जीवित कर 1986 में ग्राम पंचायतों और केन्द्रीय परिषदों के चुनाव कराए गए।

उत्तर प्रदेश

राज्य में 1947 से ग्राम पंचायतें कार्य कर रही हैं। राज्य में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1961 के अंतर्गत तीन स्तरीय प्रणाली अपनाई गई है। पंचायत का कार्यकाल पांच वर्ष होता है। इसमें 7 से 15 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य और प्रधान होता है। राज्य की 909.13 लाख जनसंख्या के 11,3395 गांवों में 74,060 पंचायतें, 895 क्षेत्र समितियां तथा 56 जिला परिषदें हैं। राज्य में प्रति पंचायत औसत 1.5 गांव, प्रति क्षेत्र समिति औसत 82.8 पंचायतें तथा प्रति जिला परिषद औसत 16.0 क्षेत्र समितियां हैं। लगभग 1,228 औसत जनसंख्या के लिए एक पंचायत है। ग्राम पंचायतों के चुनाव जून 1988 में हुए। क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव 1983 में हुए।

पश्चिम बंगाल

राज्य में पंचायतों ने अपना कार्य 1964 में शुरू किया। पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973 में तीन स्तरीय प्रणाली का प्रावधान है। राज्य में 394.78 लाख ग्रामीणों के लिए 3,242 पंचायतें हैं, 324 पंचायत समितियां और 15 जिला परिषदें हैं। प्रत्येक पंचायत समिति के अंतर्गत औसत 12,177 जनसंख्या आती है। ग्राम पंचायत में 7 से 25 प्रत्यक्षतः निर्वाचित सदस्य और प्रधान होता है। प्रति

पंचायत औसत 11.7 गांव, प्रति पंचायत समिति 10.0 पंचायतें तथा प्रति जिला परिषद 21.6 पंचायत समितियां हैं। तीनों स्तरों के चुनाव निश्चित समय पर हाल ही में 1988 में हुए। राज्य सरकार 1978 से नियमित रूप से चुनाव करा रही है।

निष्कर्ष

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायती राज संस्थाएं सभी राज्यों और केन्द्र शासित क्षेत्रों में स्थापित की गई है। जहां इन्हें सभी स्तरों पर स्थापित नहीं किया गया वहां पर भी स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल कम से कम गांव पंचायतें तथा पंचायत समितियां तो स्थापित की ही गई हैं। उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र के शेष राज्यों में ढार्चे (जनजातीय परिषद) का संरक्षण संविधान में पृथक प्रावधानों द्वारा किया गया है। कुछ केन्द्र शासित क्षेत्र इस वर्ग में आते हैं।

पांडिचेरी में भिन्न प्रणाली है। गोआ, दमन और दीव, दिल्ली, अंडमान और निकोबार में ग्राम पंचायतें हैं। दादरा और नागर हवेली में राष्ट्रीय दो स्तरीय प्रणाली है तथा 'वरिष्ठ पंचायत' इसकी सलाहकार संस्था है। चंडीगढ़ में, जहां कि पंजाब पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम लागू होता है, तीन स्तरीय प्रणाली है। नगालैंड और मेघालय में सांविधिक पंचायतें हैं परन्तु वहां परंपरागत पंचायतें कार्य कर रही हैं। नगालैंड में प्रत्येक गांव में गांव परिषद हैं, जो कि गांव की परंपराओं के अनुसार गठित की गई हैं। इसका संचालन 'गांव तथा क्षेत्र परिषद अधिनियम' के अनुसार तथा परंपरानुसार मिश्रित रूप से किया जाता है। सभी राज्यों में एक अन्य संस्था 1980 से स्थापित की गई है, जिसे गांव विकास बोर्ड कहा जाता है।

इसमें संदेह नहीं कि ये संस्थाएं दिन-प्रतिदिन और अधिक लोकप्रिय होती जा रही हैं। 22 सितंबर 1986 को प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने अखिल भारतीय पंचायत परिषद के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए कहा था, "यदि हम पंचायतों के यथोचित चुनाव नहीं करवाते तो राज्य सरकार और ग्रामीण प्रशासन में दरार पड़ जाएगी। हमें इन्हें संस्थागत करना चाहिए। हमें ऐसी प्रणाली अपनानी चाहिए जहां पंचायतों के चुनाव संसद तथा विधान सभाओं के चुनाव की भांति नियमित रूप से हों। ऐसा करने से ही हम गांवों में लोकतंत्र ला सकते हैं तथा हमारा लोकतंत्र पूरी तरह शक्तिशाली हो सकता है।" 30 अप्रैल 1988 को जयपुर में जिला न्यायधीशों/कलैक्टरों के चार दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की थी, "संसद और राज्य विधान सभाओं के चुनाव तो नियमित रूप से होते हैं, लेकिन स्थानीय संस्थाओं के चुनाव अनिश्चित ही होते हैं। स्थानीय संस्थाएं प्रायः निष्प्रभावी कर दी जाती हैं तथा इनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के स्थान पर प्रायः नामांकित व्यक्ति ले लिए जाते हैं।" उन्होंने जिला न्यायधीशों से पंचायती राज संस्थाओं के नियमित चुनाव कराने के उपायों के सम्बन्ध में सुझाव मांगे। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं के लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराने तथा इन चुनावों के पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के संबंध में भी न्यायधीशों की राय मांगी।

ग्राम पंचायतों की महत्ता को देखते हुए हम आशा करते हैं कि इन संस्थाओं की ओर और अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा इनके चुनाव नियमित रूप से कराए जाएंगे।

अनुवाद : आदीप सेठिया

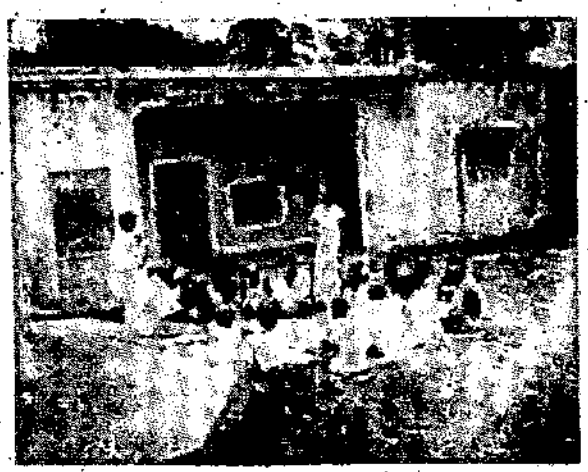

पंचायती राज सम्मेलन : प्रतिनिधियों से भेंटवार्ता

प्रधानमंत्री के आह्वान पर ग्रामीण विभाग के तत्वाधान में 27 से 30 जनवरी, 1989 को दिल्ली में आयोजित पंचायती राज सम्मेलन में उत्तरी और पश्चिमी राज्यों से लगभग 6000 प्रतिनिधि दिल्ली पधारे। जहां एक ओर वे इस बात से पुलकित थे कि स्वयं प्रधानमंत्री ने बुनियादी स्तर के जन प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए दिल्ली बुलाया है, वहीं उनमें पंचायती राज की मौजूदा प्रणाली की अनेक खामियों को लेकर एक रोष भी व्याप्त था।

इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से बात करने का अवसर मिला जिसमें उन्होंने जो अपने विचार व्यक्त किये, उनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है :

बिहार के होशियारपुर विकराम के सरपंच श्री श्रीनिवास चौधरी ने कहा कि मैं पंचायती राज संस्थाओं से पिछले 29 वर्षों से जुड़ा हुआ हूं और अपने इस लम्बे अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि भारत के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, इसलिए गांवों की उन्नति होना आवश्यक है। इस हेतु पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये। उन्होंने इस बात पर भी बल दिया कि यदि पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां देने के लिये संविधान में संशोधन भी करना पड़े, तो सरकार को पीछे नहीं हटना चाहिये।

गुजरात के गांधीनगर के जिले के अड़लाग ग्राम के सरपंच श्री लालूभाई पटेल ने बताया कि यदि राष्ट्र का विकास करना है तो गांवों का विकास होना चाहिये। हमें एक ऐसा अभियान चलाना है कि ग्राम पंचायत राज में हर जाति और कमजोर वर्ग को पूर्ण प्रतिनिधित्व मिले, शक्तियां और संसाधन मिले। उन्होंने सरपंचों के अप्रत्यक्ष चुनाव का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि चुनाव के लिये प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिये।

हरियाणा से आये सरपंच श्री अजीत सिंह ने मांग की कि पंचायतों के चुनाव समय पर होने चाहिये, इनका ढांचा त्रि-स्तरीय होना चाहिये और चुनावों की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिये। चुनाव में राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना

चाहिये। उनका कहना था कि बुनियादी स्तर पर विकास के लिये पंचायतों को वित्तीय शक्तियां और अधिकार मिलने चाहिये।

पंजाब से आये सरपंच सरदार अजीत सिंह मल्ल ने स्वतंत्रता के बाद पहली बार इतने बड़े विशाल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि हमारे युवा प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से हमारी समस्याओं को गहराई से समझा है, उससे मुझे आशा है कि समस्याओं का हल निकल ही जायेगा।

मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के सरपंच श्री पहलवान सिंह ने कहा कि पंचायती राज के अंतर्गत देश में एक जैसे पदों के लिये अलग-अलग नाम इस्तेमाल किये जाते हैं। इनमें एकरूपता लाई जानी चाहिये। मार्केट कमेटी और ब्लॉक समिति में ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधि होने चाहिये। मध्य प्रदेश में एक गवर्निंग बॉडी होती है जो ग्राम पंचायतों द्वारा बनाई गई योजनाओं को प्राय: अनदेखा कर देती है। इन संस्थाओं को समाप्त किया जाना चाहिये।

उत्तर प्रदेश के पौड़ी-गढ़वाल जिले से आई श्रीमती शान्ति विष्ट एक सरपंच हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को पिछड़े और कमजोर वर्गों की तरह कम से कम 30 प्रतिशत आरक्षण मिलना चाहिये। महिलायें जिस प्रकार से घर को संवारती हैं, वे समाज को भी सुधार सकती हैं। उन्होंने कहा कि नये स्कूलों के खोले जाने और गांवों में लघु तथा कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये और यह कार्य पंचायतों के सुपुर्द किया जाना चाहिये। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेना चाहिये और सरकार को भी ऐसे प्रावधान करने चाहिये कि महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो सके।

राजस्थान के जिला अजमेर के प्रमुख श्री सत्य किशोर सक्सेना ने जिला स्तर पर जिला परिषद तथा पंचायतों के बीच सम्बन्धों पर अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि विकास योजनाओं को ग्राम पंचायतों द्वारा बनाया जाना चाहिये, फिर ब्लॉक स्तर पर और अंत में जिला स्तर पर उनकी समीक्षा की जानी चाहिये। उन्होंने कहा कि जिला परिषदों और अन्य नागरिक संस्थाओं के बीच एक तालमेल होना जरूरी है जिसके लिये यह आवश्यक है कि जिला परिषद के अध्यक्ष को इन निकायों का पदेन सदस्य होना चाहिये। ग्राम स्तर पर पटवारी को ग्राम पंचायत का सचिव बनाया जाना चाहिये।

महाराष्ट्र के सांगली जिला परिषद के अध्यक्ष श्री शिवाजी राव नायक ने कहा कि जिला परिषद को राज्य में

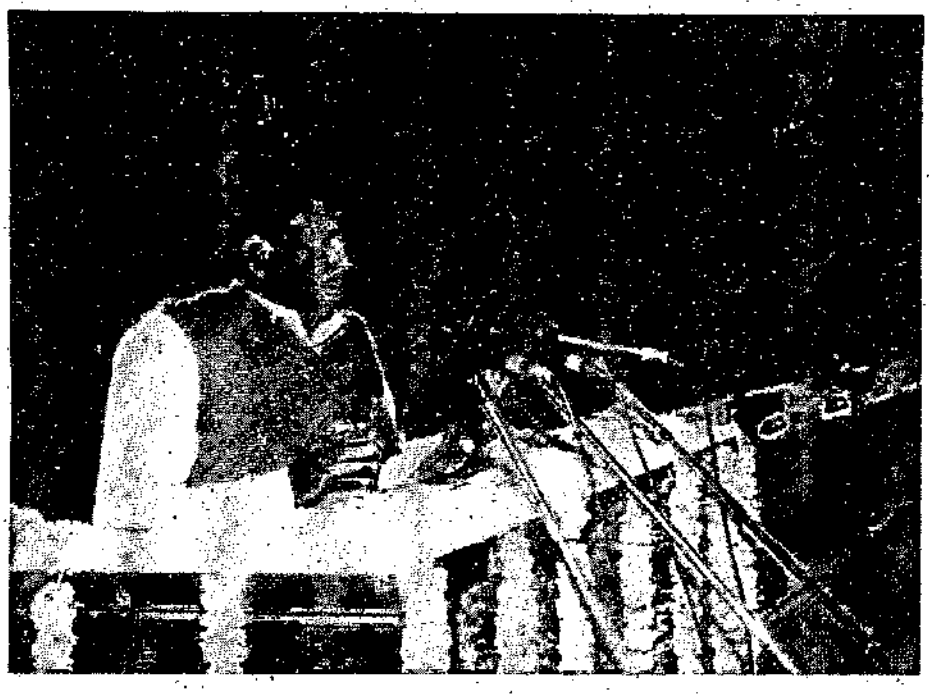

लगने वाले करों का एक अंश मिलना चाहिएं। अधिकतर यह देखा जाता है कि राज्य शासन वित्त-आयोग से तर्क करके अधिक हिस्सा ले जाते हैं। जिला परिषद की एक समिति होनी चाहिए जिसका राज्य सरकार के साथ पूर्ण सहयोग हो। जिला परिषद के राजस्व का मुख्य स्रोत भूमि राजस्व है पर पर्वतीय क्षेत्र में यह प्राप्त नहीं होता है इसलिए उन्हें वन अनुदान देना चाहिए। जिला परिषद को अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े हुए वर्गों के लिए अलग से सहायता मिलनी चाहिए ताकि उनके विकास की योजनायें बनायी जा सकें।

दिल्ली के श्री भरतसिंह ने कहा कि 1958 में दिल्ली में नगर निगम बनाया गया था। तब दिल्ली में 365 देहात थे और 325 पंचायतें थीं। धीरे-धीरे ये पंचायतें कम होती गयी हैं। इस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया कि वह पंचायती राज का एक समान ढांचा तैयार करे और सभी को समान शक्तियां और अधिकार प्रदान करें ताकि गांव का विकास हो सके।

गोवा, मालेगांव नगरपालिका के अध्यक्ष श्री संतोष कुमार ने बताया कि विकास कार्यों में वित्तीय संसाधनों का अभाव एक बहुत बड़ा अवरोध है जिसका मुख्य कारण है नगरपालिकाओं के राजस्व के साधन बहुत सीमित हैं। उन्हें इन साधनों को विकसित करने के लिए ऊपर स्तर के प्रशासन से अधिक आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। नगर पालिकाओं के पास सार्वजनिक सम्पत्ति को नुक्सान पहुंचाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उपयुक्त शक्तियां होनी चाहिए।

सम्मेलन में लगभग 200 प्रतिनिधियों ने अपने विचार व्यक्त किये और पंचायती राज से सम्बन्धित कमियों को दूर करने के लिये तथा इन संस्थाओं को मजबूत करने के लिये अपने बहुमूल्य सुझाव दिये। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने सम्मेलन को आश्वासन दिया कि सरकार उनके इन सुझावों पर गम्भीरतापूर्वक विचार करेगी, किन्तु अन्तिम फैसला आगामी मार्च और अप्रैल में होने वाली उत्तरी-पूर्वी दक्षिणी राज्यों के पंचायती राज सम्मेलनों के बाद ही लिया जा सकेगा। प्रतिनिधि इस बात से पूर्णतया संतुष्ट थे कि 4 दिन के सम्मेलन में न केवल उनकी बात बड़ी गम्भीरता से सुनी गई बल्कि उन्हें अमल में लाने का आश्वासन भी दिया गया है।

प्रस्तुति : प्रवीन गर्ग
बी–112, शक्करपुर,
दिल्ली–११० ०९२

श्री भगत द्वारा चलते-फिरते पुस्तक बाजार और प्रदर्शनी का उद्घाटन

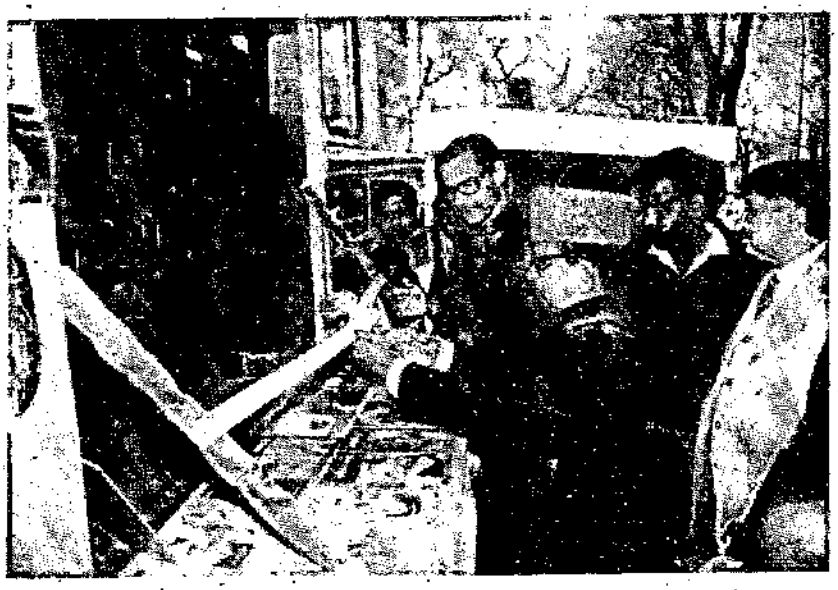

नयी दिल्ली, 9 फरवरी सूचना और प्रसारण मंत्री, श्री हरकिशन लाल भगत ने आज यहां पटियाला हाउस में आयोजित एक समारोह में प्रकाशन विभाग के चलते–फिरते पुस्तक बाजार व प्रदर्शनी का उद्घाटन, किया ।

प्रकाशन विभाग के इतिहास में यह अपने किस्म का पहला बाजार है जो एक बड़ी मोटर वैन में लगाया गया है । इसका नाम 'अपना बाजार' रखा गया है । इस अनोखे बाजार का उद्घाटन ऐसे समय किया है जब पूरे देश में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह और पुस्तकों के प्रेमी पंडित जवाहर लाल नेहरू की जन्म शताब्दी मनाई जा रही है ।

इस अवसर पर श्री भगत ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि पुस्तकें व्यक्ति के विकास में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और देश के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में इनका बड़ा महत्व है । व्यक्ति ज्ञान के बिना अधूरा है और ज्ञान केवल पुस्तकें ही देती हैं ।

उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जाहिर की कि विभाग की यह गाड़ी स्कूलों, कालेजों, विश्वविद्यालयों तथा दूसरी शिक्षा संस्थाओं में पुस्तकें और पत्रिकाएं सुलभ कराएगी । बाद में यह दूर-दराज के क्षेत्रों में भी जाएगी ।

प्रकाशन विभाग के निदेशक डा. श्याम सिंह शशि ने बताया कि उनके विभाग ने साहित्य, कला, इतिहास, संस्कृति, गांधी साहित्य और बच्चों के साहित्य पर अब तक लगभग 6300 किताबें प्रकाशित की हैं । विभाग द्वारा शुरू की गयी कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं में 'हम सबकी पुस्तकमाला', 'आधुनिक भारत के निर्माता', 'हमारे राज्य', 'भारत के सांस्कृतिक नेता', 'भारत के गौरव' आदि शामिल हैं । इसके अलावा यह विभाग विभिन्न भारतीय भाषाओं में 20 पत्रिकाएं प्रकाशित कर रहा है । डा. शशि ने बताया कि विभाग की योजना गाड़ियों पर ऐसे और चलते-फिरते बाजार खोलने की है ।

"हर नागरिक का यह विशेषाधिकार है कि वह शासन भी करेगा और शासित भी होगा....."

डा. सिंघवी

प्रख्यात विधिवेत्ता, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता, विचारक, साहित्यकार और भूतपूर्व सांसद डाक्टर लक्ष्मीमल्ल सिंघवी ने पंचायती राज व्यवस्था का गहरा अध्ययन किया है। उन्हीं की अध्यक्षता में केन्द्र सरकार ने एक समिति बनाई थी, जिसने पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। डाक्टर सिंघवी का कहना है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं के अनुरूप है और महात्मा गांधी के सम्पूर्ण स्वराज के स्वप्न को साकार करने का प्रयास। परमेश कश्यप ने डा. सिंघवी से इस संबंध में बातचीत की।

प्र. *महात्मा गांधी का कहना था, "केन्द्र में बीस लोग बैठ कर लोकतंत्र नहीं चला सकते, वास्तविक लोकतंत्र तो तभी होगा जब हर गांव के लोग मिलकर इसका संचालन करें।" पंचायती राज व्यवस्था के पीछे भी यही भावना थी। पंचायती राज के बारे में आपकी क्या धारणा है ?*

उ. *संविधान के 40वें अनुच्छेद में जिस पंचायती राज की परिकल्पना की गई है, यह वही है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। गांधीजी चाहते थे कि व्यक्ति के साथ-साथ हर क्षेत्र में सामुदायिक विकास भी हो। जब देश का संविधान बनाया जा रहा था तो उस वक्त दो विचारधाराएं थीं। डाक्टर आम्बेडकर के अनुसार हमारे लोकतंत्र की नींव समाज नहीं बल्कि व्यक्ति है। संविधान में भी इसी भावना को लिया गया। हालांकि डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने इस बात पर जोर दिया कि गांवों को स्वायत्त शासन की इकाई मानने से संबंधित गांधीजी के विचारों का और अधिक अध्ययन किया जाना चाहिए। पर तब तक शायद संविधान की संरचना का काम लगभग पूरा हो गया था। अतएव यह फैसला किया गया कि देश की शासन व्यवस्था के एक मूलभूत सिद्धांत के रूप में महात्मा गांधी की कल्पना के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को स्वीकार कर लिया जाए और संविधान के 40वें अनुच्छेद में यही किया गया।*

इसके कोई नौ साल बाद जवाहरलाल नेहरू ने नागौर (राजस्थान) में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि पंचायती राज के माध्यम से ही देश में असली लोकतंत्र स्थापित होगा। जब तक गांव के स्तर पर लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था से नहीं जुड़ते तब तक देश का समुचित विकास भी नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से बाद के वर्षों में पंचायती राज व्यवस्था को विकास कार्यों में सहायक मानने के पक्ष पर ही अधिक जोर दिया गया और यह माना जाने लगा कि पंचायती राज व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था से अधिक कुछ नहीं है। पंचायती राज इकाइयों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ा। स्वायत्त शासन के महत्वपूर्ण लक्ष्य भुला दिए गए और लोग आपसी विवादों, स्वार्थों में फंस गए।

प्र. शुरू-शुरू में पंचायती राज व्यवस्था के प्रति बहुत उत्साह था, मगर लोगों का यह उत्साह धीरे-धीरे ठंडा पड़ गया और इस व्यवस्था से हमें जो आशाएं थीं वे पूरी नहीं हुईं। इसके क्या कारण हैं ?

उ. हुआ यह है कि इस व्यवस्था को भी प्रशासनिक व्यवस्था का एक गौण अंग माना जाने लगा और सारी गिरावट इसी से शुरू हुई। दूसरा कारण यह था कि संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का पंचायती राज इकाइयों के चुने हुए प्रतिनिधियों से विभिन्न स्तरों पर विरोध हुआ। उन्हें लगा कि पंचायती राज व्यवस्था के कारण जो नया नेतृत्व उभरा है उससे उनका और उनके अधिकारों का महत्त्व घटता है। अतः संसद और विधानसभाओं के सदस्यों ने इस नेतृत्व को दबाने की कोशिश की। नतीजा यह निकला कि पंचायती राज व्यवस्था की कार्यकुशलता घट गई और जिस व्यवस्था को इतने जोर शोर और उत्साह से शुरू किया गया था, वह मंद पड़ गया। इस गिरावट का एक और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि पंचायती राज इकाइयों के प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण नहीं दिया गया और न ही उनमें मिल-बैठ कर निर्णय लेने की भावना जगाई गई।

प्र. पंचायती राज व्यवस्था की दुर्दशा का एक और महत्वपूर्ण कारण यह माना जाता है कि इसकी इकाइयों का नेतृत्व तथाकथित ऊंची जाति के लोगों अथवा सम्पन्न वर्ग के लोगों तक सीमित रहा। फलस्वरूप अधिकांश लोग इस व्यवस्था से अपने आपको कटा हुआ महसूस करने लगे।

उ. मेरी राय में आपकी बात बहुत हद तक सही है, पर ऐसा भी नहीं है कि यही एकमात्र कारण था। यह सही है कि कुछ समुदाय पंचायती राज व्यवस्था से अलग-थलग रहे या उससे पूरी तरह नहीं जुड़ पाए। मेरा विचार है कि समस्याएं समय के साथ-साथ अपने आप समाप्त हो जाती हैं। पंचायती राज इकाइयों को हमें पूरा अवसर देना चाहिए और साथ ही यह भी जरूरी है कि पंचायती राज प्रतिनिधियों को उचित प्रशिक्षण दिया जाए, उनमें मिल बांट कर काम करने और मिलकर निर्णय लेने की भावना जगाई जाए। सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था हो और यदि ऐसा होता है तो कोई वजह नहीं कि ऐसी समस्याएं निबटाई न जा सकें।

प्र. पंचायती राज इकाइयों के ठीक से काम न करने का एक और कारण समय पर चुनाव न होना है। कहीं-कहीं तो चौदह-पन्द्रह साल तक कोई चुनाव नहीं हुए ....

उ. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तीन बातें हैं— एक तो पंचायतों, तहसील और जिला परिषदों के आपसी विवाद इस स्थिति के उत्तरदायी रहे हैं। यह विवाद कचहरियों तक पहुंच गए और सालों तक इनका कोई निबटारा नहीं हुआ। दूसरी बात राज्य सरकारें मनमाने तरीके से पंचायतों को भंग करती रहीं। जब जहां उन्हें कोई पंचायत पसंद नहीं आई तो उसे भंग कर दिया गया और यह सब बहुत गलत हुआ। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि चुनाव नियमित रूप से नहीं कराए गए। ऐसे भी राज्य हैं, जहां चौदह साल-पन्द्रह साल और बीस साल तक पंचायती राज इकाइयों के लिए चुनाव नहीं कराए गए। इससे पूरी पंचायती राज व्यवस्था की विश्वसनीयता नष्ट ही गई.....

प्र. सुझाव है कि संविधान के 40वें अनुच्छेद में संशोधन कर यह व्यवस्था की जाए कि पंचायती राज चुनाव भी निर्वाचन आयोग की देखरेख में हों। और इन चुनावों को नियमित रूप से कराने के लिए संवैधानिक व्यवस्था हो ....

उ. यह सुझाव मेरा ही था। सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के बारे में जो समिति बनाई थी मैं उसका अध्यक्ष था। हमने अपनी रिपोर्ट में यह यह सिफारिश की थी और मुझे प्रसन्नता है कि संविधान में संशोधन से संबंधित हमारे प्रस्ताव का स्वयं प्रधानमंत्री ने समर्थन किया है। समिति की सिफारिशों में प्रधानमंत्री ने गहरी दिलचस्पी ली है। समिति की सिफारिशों में कहा गया है कि पंचायती राज इकाइयों के लिए नियमित रूप से चुनाव कराए जाने के साथ-साथ यह भी पूरी व्यवस्था करनी होगी

कि पंचायतों के लिए समुचित साधन जुटाए जाएं, उन्हें मनमाने तरीके से भंग न किया जाए और पंचायती राज विवादों के निबटारे के लिए एक अलग प्राधिकरण की स्थापना हो। ये सिफारिशें बहुत पहले, पन्द्रह-बीस वर्ष पहले की थीं और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री ने इनका समर्थन किया है।

प्र. ...पर अभी तक इस दिशा में कुछ विशेष हुआ नहीं ....

उ० काफी कुछ हुआ है। हमारी रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को भेजी गई थी और उस पर उनकी राय ली गई है। विचार-विमर्श की यह प्रक्रिया जारी है। जहां तक प्रधानमंत्री का प्रश्न है, उन्होंने इस संबंध में संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव का स्पष्ट समर्थन किया है। वास्तव में यह एक क्रांतिकारी कदम है और इससे हम गांव-गांव तक लोकतंत्र ले जा सकेंगे।

प्र. राजनीतिक दलों के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था के लिए चुनाव हों, इसके बारे में आपकी क्या राय है ?

उ. यह वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था का यह सबसे मुश्किल सवाल है। एक प्रश्न तो यह है कि जब सारे देश में राजनीति है और सारे देश में चुनाव राजनीतिक दलों के आधार पर होते हैं तो क्या यह संभव है कि हमारे देश में पंचायती राज इकाइयों के चुनाव बिना किसी राजनीतिक दल के हों ? ऐसा तभी हो सकता है जब सारे राजनीतिक दल मिलकर इस बात पर निर्णय करें कि बाकी सब ठीक, किन्तु जहां तक पंचायती राज व्यवस्था का सवाल है हम लोग पार्टी के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। किन्तु यह बात एक रूमानी कल्पना की तरह लगती है। मैंने कई बार अलग-अलग जगह इस बात पर बहस की है, लोगों को सुना है और समझने की कोशिश की है कि जब तक सारे राजनीतिक दल मिलकर इस बात पर निष्ठा से और निश्छल रूप से, बिना किसी हिचकिचाहट और संकोच के, विचार नहीं कर लेते, तब तक इस प्रकार की निर्दलीय पंचायती व्यवस्था होना संभव नहीं है। अगर यह हो तो वह एक आदर्श होगा, नहीं तो फिर खुले हाथ, खुले रूप से हमको राजनीतिक दलों का प्रवेश स्वीकार करना पड़ेगा। इसलिए मेरा यह मानना है कि अगर सब राजनीतिक दल मिलकर यह निर्णय नहीं कर सकें कि हम स्वेच्छा से, निश्चित रूप से और सच्ची तरह से, ईमानदारी से राजनीतिक दलों को पंचायती व्यवस्था से बाहर रखेंगे, हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये सब भाग लें, हिस्सा लें, किन्तु जिम्मेदारी के साथ और उस जिम्मेदारी के लिए हमको कई प्रकार के साधन जुटाने पड़ेंगे, कई प्रकार के प्रशिक्षण देने पड़ेंगे और कई प्रकार के प्रयोग करने पड़ेंगे और यह भी करना पड़ेगा कि अगर उस स्तर पर राजनीति का दुरूपयोग होता है तो उसका नियंत्रण या निराकरण कैसे किया जाए। यह सब संभव है। किया जा सकता है और करना ही होगा, मेरा ऐसा मानना है।

प्र. इस संबंध में क्या कुछ संवैधानिक अथवा कानूनी या प्रशासनिक कदम उठाए जा सकते हैं ?

उ. वैधानिक रूप से यह संभव है कि हम कहें कि राजनीतिक दल इसमें भाग नहीं लेंगे, किन्तु केवल कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, अगर आपने कानून बना भी दिया तो खुले रूप से नहीं, औपचारिक रूप से नहीं तो अनौपचारिक रूप से राजनीतिक दल भाग लेंगे। कानून वही बनाना चाहिए जो व्यवहारिक हो और व्यावहारिकता के आधार पर हो।

प्र. यह जो पंचायती राज के सिद्धांत सत्ता के विकेन्द्रीकरण पर आधारित है। मगर छठे दशक के अंत में और उसके बाद भी हमारा ज्यादा रुझान रहा केन्द्रीकरण पर, तो ये दोनों बातें, एकतरफ केन्द्रीकरण है और दूसरी विकेन्द्रीकरण है। चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वह अधिक से अधिक सत्ता अपने पास रखना चाहेगी। ऐसा न हो और सत्ता का वास्तविक विकेन्द्रीकरण हो और पंचायती राज संस्था मजबूत हो, यह हम कैसे करेंगे ?

उ. इस व्यवस्था के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि सारे राजनीतिक दल, सरकार के सारे स्तर, केन्द्रीय

सरकार भी और राज्य सरकार भी इस बात को एक मूल प्रस्तावना के रूप में स्वीकार करें कि हमको पंचायती राज विकेन्द्रीकरण स्वीकार करना है और उसको सफल बनाना है। फिर दूसरी बात यह है कि उनमें एक जनचेतना जगानी है, उसके बिना केवल संस्था के सुधार करने से नहीं होगा। तीसरी बात कि राजनीतिक दल भाग लें तब भी वे उस मर्यादा को स्वीकार करें जिसकी चारदीवारी में वे लोग काम करें। चौथी बात कि जो लोग चुने जाते हैं उनको भी प्रशिक्षित करें न केवल चुनने वालों को प्रशिक्षित करने की कोशिश करें, किन्तु जो लोग चुने जाते हैं उनको फौरन एक गहरे प्रशिक्षण का अनुभव दें। पांचवी बात, इस बात की तैयारी में रहें कि जैसे भी हो पंचायती राज व्यवस्था में आपस के झगड़े कम से कम हों, अगर हों तो उनको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए और जहां तक उनके अधिकारों का सवाल है, उनके कर्त्तव्य का जहां तक सवाल है, सुविधाओं का जहां तक सवाल है, उनके काम कामकाज का सवाल है, उसमें उनको पूरी तरह से सलाह भी दी जाए, आगे बढ़ने का मौका दिया जाए और उनके साधन के स्रोत सुरक्षित किए जाएं और उनकी जिम्मेदारियों को समझने-समझाने का एक ऐसा प्रयास उपलब्ध हो, जिससे कि उनके मन पर यह बात छा जाए कि इनके न करने पर सजा मिलने वाली है।

प्र. यह तो हुआ राजनीतिक स्तर पर, जो हमारी नौकरशाही है, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में, एक तरह से शोषण का आधार रही है। उससे बचने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं ?

उ. इससे बचने के कई उपाय हैं। एक तो है जनसम्पर्क का, राष्ट्रीय सहमति, देश की प्रैस, देश की जन भावना, सब देखती रहे तो यह बात निश्चित है कि किसी भी नौकर शाही की चल नहीं सकती। नौकरशाही अपना मौका ताकती है और वह मौका तभी ताकती है जब वह जानती है कि उसकी पीठ पर कोई घुड़सवार नहीं है। जब वह जानती है कि जनता की मनोवृत्ति क्या है, शासन की मनोवृत्ति क्या है, देश का संविधान क्या कहता है तो वह समझते हैं और वे जानते हैं कि हमको किस प्रकार किस व्यवस्था में, किस प्रणाली से, किस शैली से रहना है। यह उनको समझाना जरूरी है, उनकी ट्रेनिंग भी करना जरूरी है। नौकरशाही ट्रेनिंग अगर नहीं करेंगे तो कोई काम आगे नहीं बढ़ सकता। आज मैं देखता हूँ कि कई ऐसे अफसर हैं जो इस बात को समझने लगे हैं, जो इसके बड़े उत्साही समर्थक हो गये हैं। किन्तु कई ऐसे हैं जो आपको बाहर से कुछ भी कहें, मन में उनके प्रति एक मनोमालिन्य भी है, वैमनस्य भी है, एक शंका भी है और उपहास की भावना भी, क्योंकि उनका यह मानना है कि ये लोग क्या अपने आपको शासित कर सकते हैं। शासन तो हम लोगों का जन्मजात अधिकार है। इस परंपरा को, इस संस्कार को, इस सोच को बदलना पड़ेगा और उसको बदलने के लिए लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा।

प्र. एक और बड़ा कारण वित्तीय साधनों की कमी का है। अधिक से अधिक ये पंचायती राज संस्थान खर्च का कुल बीस प्रतिशत आय के स्रोत जुटा सकते हैं। 80 प्रतिशत तो केन्द्र को या राज्य सरकारों को देना होगा, साधनों की वैसे ही कमी है.....

उ. यह बात सही है और इसमें यह सोचना पड़ेगा, मेरा जो तरीका है सोचने का वह यह है कि एक तो केन्द्र में, राज्य में और स्वायत्त शासन के स्तर पर हम सबको समझना पड़ेगा कि इस देश में जितना खर्चा हम इस तंत्र के ताम-झाम में करते हैं उसको कम करना पड़ेगा। सच बात यह है कि कई लोग स्वायत्त शासन की संस्थाओं में भी उसी प्रकार का ताम-झाम देखना चाहते हैं। नये जिला परिषद के प्रमुख हुए, वे भी उसी प्रकार करना चाहते हैं जैसा कि मिनिस्टर करता है या कलेक्टर करता है। नये स्तर हमको कायम करने पड़ेंगे, नये मानक हमको बनाने पड़ेंगे। बहुत सादगी के साथ, बहुत कम खर्चे के साथ, मितव्ययता के साथ इस काम को चलाना पड़ेगा। पहली बात और अगर आज भी हमारी केन्द्रीय और राज्य सरकारों में जो खर्च होता है और हमारे प्रधानमंत्री ने बार-बार कहा कि खर्च को कम करना जरूरी है। अगर उस खर्चे को कम करने का एक बड़ा अभियान चलाया जाए तो स्वायत्त संस्थाओं को जरूरत

को पूरा करने के लिए बहुत कुछ साधन निकल जाएं। किन्तु वह तो होना नहीं है या होना बहुत आसान नहीं है, तो हमें यह सोचना होगा कि साधन कहां से आएंगे। मेरी दृष्टि से दो राय हैं– एक तो यह है कि उनके वित्तीय साधनों की अत्याधिक कमी और उनके अभाव को देखते हुए हर राज्य में एक वित्त आयोग कायम किया जाए और उसको भी अधिकार दिया जाए कि कितना और किस प्रकार से उनको रुपया मिलेगा। इन संस्थाओं को भी तैयार होना पड़ेगा कि हम किस प्रकार अपने लिए आवश्यक साधन जुटाएं, यानि कि स्थानीय कर लगाने की, उनको वसूल करने की क्षमता उनमें होनी चाहिए। मेरा यह मानना है कि यह यदि करों की वसूली नहीं हुई तो उनका उपयोग ठीक से नहीं हो पायेगा। फिलहाल तो वित्तीय साधनों के लिए राष्ट्रीय वित्त आयोग को और हर राज्य में ऐसे वित्त आयोग स्थापित करने के बाद उनको यह कहा जाए कि आप इसमें साधन जुटाएं और हर राज्य को यह जरूरी हो और केन्द्र के लिए जरूरी हो कि इस कार्य के लिए साधन जुटाएं जाएं।

प्र. क्या पंचायती राज संस्थाओं पर फिजूलखर्ची, भ्रष्टाचार के आरोप हैं ?

उ. जनता का पुण्य प्रकोप जो मैं कहता हूं वह तभी होगा जब उनकी सार्वजनिक शिक्षा हो, उनका अपना अधिकार हो और कर्त्तव्यों की समझ हो। एक बात दूसरी जो पंचायती राज व्यवस्था में चुने जाएं, उनका प्रशिक्षण गहरा प्रशिक्षण, मूल व्यवस्था में उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, प्रक्रिया में उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, कार्य-प्रणाली में उनका प्रशिक्षण होना चाहिए, कर्त्तव्यों और अधिकारों में उनका प्रशिक्षण होना चाहिए और ऐसा गहरा प्रशिक्षण हो कि वे दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं। तो यह हो सकता है और तीसरा कानून और व्यवस्था। इसमें एकदम साफ हो जाए कि जो आदमी इन आदर्शों से, इन नियमों से हटेगा और अपनी जेब भरने की कोशिश करेगा, अपना घर भरने की कोशिश करेगा, लोगों के साथ अन्याय करेगा तो उसको सजा दी जाएगी।..... एक बात और है पंचायती राज व्यवस्था के लोकतांत्रिक आधार के अलावा न्याय व्यवस्था के लोकतांत्रिक आधार में भी यही निष्ठा है और मैं समझता हूं कि न्याय पंचायतों को फिर से हमको उनको पुनर्व्यवस्थित करना चाहिए, उनकी पुनर्स्थापना करनी चाहिए और उनमें फिर से प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। यह भारतवर्ष की जीनियस, भारतवर्ष की ईश्वर प्रदत्त जो शक्ति है भारत वर्ष की मानसिकता में उसको फिर से पाने की बात है और मेरा यह मानना है कि हमारे यहां की न्याय प्रणाली एक अत्यंत सधी हुई न्याय प्रणाली है, क्योंकि अभी तक भारतवर्ष के आम नागरिक में मेरी गहरी निष्ठा है, मेरा गहरा विश्वास है। उसको तोड़ने की हमने बहुत कोशिश की, उसकी सारी निष्ठाओं को, उसके सारे तरीके को, उसके सारे सलीके को हमने क्षत विक्षत कर दिया, किन्तु फिर भी आज एक आम भारतवासी के मन में जो साधारण मूल्य हैं जो मूलभूत आधार मूल्य होते हैं वह आज भी कायम हैं।

प्र. तो क्या आपकी राय में ये पंचायती राज संस्थाएं न्यायप्रणाली तक ही .....

उ. इसके साथ-साथ जैसे हमने पहले प्रयोग किए थे, इसके साथ-साथ न्याय पंचायती व्यवस्था अलग से हो, स्वायत्त हो, लोकल हो, स्थानीय हो। आम आदमी को अगर सौ मील दूर जाना पड़ता है अपने छोटे से मामले को सुलझाने के लिए तो वह सही नहीं है। दूसरा बहुत दूर जाता है तो सच और झूठ में वह फर्क करना नहीं जानता। अपने गांव में, गांव के चौराहे पर खड़ा होकर वह यह नहीं कह सकता कि यह हुआ है ऐसा नहीं हुआ है, हर आदमी उसके झूठ को पहचान जाएगा। किन्तु गांव से सौ मील दूर जाकर वह कुछ भी कहे, उसको कोई देखता नहीं है। तो ईश्वर के रूप में जनता देखती है, उसका एहसास हर आदमी को तभी होता है जब न्याय भी स्थानीय हो और खासतौर पर छोटे मानवीय मामलों में न्याय स्थानीय होना चाहिए। न्याय को हर आदमी के घर पर, हर आदमी के गांव पर दस्तक देनी चाहिए।

प्र. एक और प्रश्न था कि जो यह पंचायती राज की परिकल्पना की गई, वह कुछ क्षेत्रों के लिए तो ठीक है, मगर जैसे देश के उत्तर-पूर्वी प्रदेश हैं, वहां जनजाति समाज है, वहां की व्यवस्था अलग रही है।

उ. वहां तो पंचायती व्यवस्था के प्रारूप पहले से ही मौजूद हैं। उन इलाकों में मेरी गहरी दिलचस्पी रही है। वहां के मेरे सम्पर्क सूत्र बहुत गहरे हैं। आप खासी जाति को लें, सारे मेघालय में जाइए आप। वहां यह आपकी दी हुई परंपरा नहीं है। वह संविधान से बहुत प्राचीन परंपरा है। भारतवर्ष की यह परंपरा है और जनजातियों में यह परंपरा अत्यंत गहरी है, क्योंकि उनके यहां निष्ठा है। उनके यहां इस प्रकार के संस्थानों की बात चलती है, बात मानी जाती है और आज भी मैं जानता हूं कि कई ऐसे इलाके हैं जहां कि जनजातियों की अपनी पंचायत है। उनकी मान्यता आपकी अदालतों से ज्यादा है, आपकी संसद और विधान सभाओं से ज्यादा है, क्योंकि उनकी जो परंपराओं की मर्यादाएं हैं...तो वे उनको संस्कार की डोरी से बांध देती हैं। इसलिए वहां पर संभव हैं किन्तु यह जरूरी नहीं कि सब जगह एक ही प्रकार की व्यवस्था हो।

प्र. वैसे तो पंचायतें तो बहुत पहले से रही हैं पूरे देश में मगर जो उससे ऊपर के स्तर पर मंडल पंचायतें वगैरह हैं वे वहां पर स्थापित नहीं हो पाई हैं। उनकी स्थापना के लिए क्या करना होगा।

उ. यह बात सही है कि जो गांव की पंचायत है वह अच्छी तरह से काम करे, तो गांव के पंचायत का चुना हुआ प्रतिनिधि भी अच्छी तरह से काम करेगा। आप एक बार गांव की पंचायत को ठीक तरीके से चला देते हैं तो सारी दूसरी संस्थाएं उसके अनुरूप ढलने लगेंगी। इस पर बहुत बड़ी बहस है कि तीन स्तर पर ढांचा हो पंचायती राज व्यवस्था का या दो पर हो। एक बड़ा प्रश्न है कि आज का गांव है उसको लिया जाए या कई गांवों को मिलाकर नया गांव बनाया जाए, किन्तु ये सब प्रश्न हैं, जो सुलझाए नहीं जा सकते जब तक कि राष्ट्रीय सहमतियां पैदा न करें। इसमें सबको एक साथ मिलकर एकजुट होकर काम करना चाहिए। बल्कि पंचायत में हम सहयोग की शैली या सहयोग का वातावरण बना सकें तो देश में सर्वत्र एक मिसाल हो जाएगी और गांव में पुराने वक्त एक साथ बैठकर काम करने की परंपरा है। हमारे वेदों में कहा है सहधर्मम्, सहकर्मम्, सहवीर्यम् कर्वावहे। पंचायत की शैली है कि हम एक साथ बैठकर भाईचारे से बात करें। एक साथ बैठें, एक साथ सोचें, एक साथ काम करें। यह परंपरा हमारे देश में बहुत पुरानी है और उस परंपरा को हम खोते चले जा रहे हैं। सवाल किया था इस दृष्टि से कि हमको सत्ता मिल जाए, पर सत्ता के संघर्ष में अगर इन मूल्यों को अगर हमने खो दिया तो लोकशाही कमजोर पड़ जाएगी। लोकशाही के लिए जो बल है, जो स्फूर्ति है वह तो इस देश की जमीन से और इस देश की जड़ों से मिलने वाली है, वह इंग्लैण्ड और अमरीका से आने वाली नहीं, रूस और चाइना से आने वाली नहीं है और इस देश की भूमि में और इस देश की जमीन में जब तक हम यह बात पैदा नहीं कर सकते कि हम अपने आपको स्थापित कर रहे हैं यानी हर नागरिक का यह विशेषाधिकार है कि वह शासन भी करेगा और शासित भी होगा। जब तक इस विशेष अधिकार का कर्म हम नहीं समझते तब तक हम पंचायती राज व्यवस्था की बात नहीं समझ सकते। और तब तक हम लोकशाही की बात नहीं समझ सकते चाहे वह पंचायत हो, या पार्लियामेंट ही हो। जो सत्य है, ध्रुव सत्य है, मनुष्य के स्वभाव का है, वह तो एक ही है।

अनुवाद : सरोज कश्यप

पहला पंचायती राज सम्मेलन—एक नजर में

वेद प्रकाश अरोड़ा

ग्रामीण विकास विभाग के राज्यमंत्री श्री जनार्दन पुजारी एक पंचायत प्रतिनिधि से बात करते हुए।

जब हमारा संविधान तैयार किया जा रहा था तब राष्ट्र पिता गांधीजी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया कि स्वतंत्र भारत के इस संविधान में उनकी सर्वप्रिय संस्था पंचायत का जिक्र तक नहीं है। इस पर गांधीजी ने कहा—निस्संदेह यह एक चूक है, जिसकी ओर तत्काल ध्यान देना निहायत जरूरी है, तभी हम जनता के अरमानों-उमंगों को सही माने में व्यक्त कर सकेंगे। अंततः हमारे संविधान में ग्रामीण भारत में पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया। हमारे संविधान के अनुच्छेद 40 में कहा गया है, "राज्य गांव पंचायतें अपनाने और उन्हें ऐसे अधिकार और सत्ता सौंपने के लिए कदम उठायेगा जिससे वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। पंचायतों की अवधारणा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना कर मूर्तरूप दिया। लेकिन चूंकि यह राज्यों का विषय है, इसलिए केन्द्र इसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा सका और उधर राज्यों ने इन्हें प्राणवान बनाने की बजाए उनकी तरफ से आंखे मूंद लीं। अब हमारे युवा प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने इन संस्थाओं को सुदृढ़ करने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि अभी इन निम्न स्तरीय संस्थाओं का ढांचा कमजोर है। इनके कमजोर होने का कारण यह है कि या तो इन्हें भुला ही दिया गया है, या फिर सत्ता के सूत्र थामें हुए राजनीतिज्ञ अथवा सत्ता के दलाल इनका अपनी सुविधा के अनुसार उपयोग करने से नहीं चूकते। ये संस्थाएं बिना रीढ़ वाली संस्थाएं बन गई हैं और इस तरह हमारे स्वाधीनता संग्राम के राष्ट्रीय नेताओं का सपना चकनाचूर हो गया है। पंचायती राज के लिए यह कहा जाने लगा है कि यह न तो पंचायती और न राज ही रहा है। हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जिला, राज्य और केन्द्र इन तीनों स्तरों वाली सीढ़ीनुमा लोकतांत्रिक सरकार की परिकल्पना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य एक ऐसा पैरामिड ढांचा तैयार करना था जिसकी नींव मजबूत गांव हों, क्योंकि मजबूत नींव पर ही विशाल भवन का निर्माण हो सकता है। लेकिन समय के बीतने के साथ-साथ इस बात को नजरअंदाज किया जाता रहा है। हालांकि ऊपर के दो हिस्से अर्थात केन्द्र और राज्य-पूरे

जनजातियों, भाषाई और अन्य अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं को समुचित हिस्सा देने की जोरदार अपील की।

कृषि मंत्री श्री भजनलाल ने अपने प्रारंभिक संक्षिप्त भाषण में कहा कि पंचायती राज प्रणाली में कई कमजोरियाँ घर कर गई हैं। पंचायती राज ढांचे को मजबूत बनाने और देश के समुचे विकास से यहां की मिट्टी से उपजी सब से नीचे के स्तर की संस्थाओं को जोड़ने के लिए ये कमजोरियां दूर करनी होंगी। पहले इसी बात को अधिक जोरदार शब्दों में व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रतिनिधियों से गहराई से यह विचार करने का अनुरोध किया है कि पंचायती राज को देश के विकास का केन्द्र बिंदु बनाने के लिए कैसा ढांचा खड़ा किया जाए और किस हद तक संवैधानिक संशोधन किया जाए।

विभिन्न पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के चार दिन के विचार विनिमय में कई मुद्दों पर आम सहमति उभर कर सामने आई। कृषि मंत्री ने आखिरी दिन इन मुद्दों को संक्षेप में प्रस्तुत किया।

सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने अन्य कई मूल्यवान सुझाव दिए। उदाहरण के लिए कुछ प्रतिनिधियों ने सुझाया कि पंचायतों का विषय, राज्य सूची से हटाकर केन्द्र की सूची में शामिल कर दिया जाए। कुछ प्रतिनिधि पंचायत संस्थाओं में महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत आरक्षण चाहते थे। कुछ अन्य चाहते थे कि आयोजना को लोकतांत्रिक स्वरूप देने और विकास को पहले से अधिक गति प्रदान करने के लिए विकास योजनाएं सही मानों में ग्राम, खंड और जिला स्तर पर तैयार की जाएं।

प्रधानमंत्री ने अंतिम दिन पंचायती राज प्रणाली के विभिन्न पहलुओं पर लंबी और गहन बहस का जवाब देते हुए कहा कि देशभर में एक छोर तक समान त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू करना व्यावहारिक नहीं होगा। इसका कारण यह है कि देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या अलग-अलग है। उनके विकास का स्तर भी अलग है और साथ ही देश का आकार प्रकार विशाल है। एक उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का एक जिला मोटे तौर पर अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र के बराबर है। साथ ही नगालैंड का आकार छोटा होने के कारण वहां दो स्तरीय प्रणाली पहले ही लागू है। तो भी उन्होंने ग्रामीण भारत में लोकतांत्रिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए यह घोषणा की कि संसद के आगामी बजट अधिवेशन में अथवा निश्चित रूप से इसी वर्ष सबसे नीचे के स्तर की संस्थाओं को अधिकार हस्तांतारित करने का विधेयक पेश किया जायेगा। उन्होंने सूचित किया कि आज (30 जनवरी को) सवेरे ही मंत्रिपरिषद की बैठक में पंचायती राज प्रणाली की समस्याओं और उसे मजबूत बनाने के उपायों पर विस्तार से विचार के लिए मंत्रियों की तीन समितियां बनाई गईं। वर्तमान सम्मेलन के सुझावों पर दो अन्य सम्मेलनों में ब्योरेवार विचार किया जायेगा। इनमें से एक सम्मेलन मार्च में कलकत्ता में और दूसरा अप्रैल में बंगलौर में होगा। मंत्रिमंडल की समितियों द्वारा सभी सिफारिशों पर पूरी तरह विचार कर लिए जाने के बाद ही पंचायती राज प्रणाली के भावी ढांचे और अन्य परिवर्तनों के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया जायेगा। उन्होंने उपस्थित सरपंचों तथा खंड और जिला प्रमुखों से कहा कि "हम पूंजीपतियों की अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन ग्रामवासियों की नहीं।" उन्होंने इन्दिरा गांधी के इन शब्दों को उद्धृत किया। 'गरीबी से बढ़ कर कोई अन्य प्रदूषण नहीं।' उन्होंने कहा कि समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्प संख्यकों के हितों की रक्षा की ओर अधिक ध्यान दिया जायेगा।

कई केन्द्रीय मंत्री, संसद सदस्य और आयोजन तथा विकास से सम्बद्ध अन्य अनेक व्यक्ति उद्घाटन और समापन समारोहों में उपस्थित थे। सम्मेलन का समापन करते हुए कृषि मंत्री ने आयोजकों के प्रति इस बात के लिए आभार व्यक्त किया कि उन्होंने बुराड़ी गांव में प्रतिनिधियों को ठहराने का सुचारू आरामदेह प्रबन्ध किया। उन्होंने प्रतिनिधियों को भी पंचायती राज संस्थाएं मजबूत बनाने के बहुमूल्य सुझाव देने के लिए बधाई दी।

अनुवाद : नीलम सिकंद
268, सत्य निकेतन,
मोती बाग,
नई दिल्ली–110021

"ग्रामीण विकास कार्यक्रम पूरी तरह से पंचायतों के माध्यम से, पंचायतों के द्वारा होने चाहिए....."

प्रो. रेड्डी

प्रो. जी. राम रेड्डी भारत में खुला विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के जनक माने जाते हैं। वे इस समय इन्दिरा गांधी खुले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति हैं जिसकी स्थापना 20 सितंबर, 1985 को हुई थी। प्रो. रेड्डी आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय के संस्थापक कुलपति रहे हैं। प्रो. रेड्डी इससे पूर्व उस्मानिया विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र व लोक प्रशासन के प्रोफेसर और फिर कुलपति पद पर रहे और ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विषयों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। प्रो. रेड्डी से पंचायती राज प्रणाली के बारे में ओम प्रकाश दत्त ने विस्तार से बातचीत की।

प्र. *पंचायती राज प्रणाली का मूल उद्देश्य सबसे निचले स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना और ग्राम स्तर के लोगों को अपने विकास में भागीदारी को बढ़ावा देना था। इस उद्देश्य की पूर्ति कहां तक हो पायी है।*

उ. *पांचवें दशक में पंचायती राज प्रणाली आरंभ करने का उद्देश्य यह था कि राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर लोकतंत्र-अर्थात संसद तथा विधानसभाओं की तरह स्थानीय ग्राम स्तर पर भी पंचायतों के जरिए लोकतंत्र प्रणाली में लोगों को भागीदार बनाया जाये और इस तरह उन्हें अपने क्षेत्र के और एक प्रकार से स्वयं के विकास में योगदान के लिये प्रेरित किया जाये, वे स्वयं इस बारे में निर्णय लेकर उन्हें कार्यान्वित कर सकें। आरंभ में इसके प्रति बड़ा उत्साह था। परन्तु, बाद में इसमें कई कारणों से मंदी आती गयी। सबसे मुख्य कारण था इनके पास वित्तीय साधनों की कमी। दूसरा बड़ा कारण था राज्य स्तर के नेताओं की दखल अंदाजी और फिर उनके द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधिकार अपने हाथ में ले लेना। विधायकों और अन्य नेताओं की यह कोशिश रही कि विकास कार्य उनके माध्यम से हों। इस प्रकार राज्य स्तर के नेताओं तथा स्थानीय स्तर के नेताओं के बीच खींचतान, तनातनी होने लगी। पंचायतों की सदस्यता को अधिकार, हैसियत, दबदबा व पैसा बनाने का साधन बना दिया गया। देखिये न। लोग राज्य में मंत्री या विधायक के पास काम कराने, ऋण दिलाने, स्कूल, सड़क बनवाने आदि के लिये पहुंचने लगे। पर ये काम पंचायत स्तर पर ही कार्यान्वित होते हैं। उन्हें ये काम पंचायत से ही कराने होते हैं। वे खुद नहीं करा सकते। बस, दोनों के बीच तनातनी आरंभ हो गयी। फिर राज्य स्तर के नेताओं ने पंचायतों के अधिकार अपने हाथ में लेने आरंभ कर दिये। ये काम वे अधिकारियों, प्रशासन की मार्फत कराने लगे। ग्राम स्तर पर प्रशासन और पंचायत समानांतर काम करने लगीं। और धीरे-धीरे पंचायतें प्रभावहीन होने लगीं।*

प्र. *लोकतंत्र में चुनाव उसकी एक अभिन्न प्रक्रिया है लेकिन यही चुनाव पंचायती संस्थाओं के लिये अभिशाप सी बन रही है क्योंकि चुनावों के दौरान गांववासी अलग-अलग गुटों, खेमों में बंट जाते हैं, दबावों में घिर जाते हैं, रंजिश का वातावरण बन जाता है। इस स्थिति से कैसे निपटा जा सकता है?*

उ. *देखिये, लोकतंत्र चुना है तो चुनाव कराने ही होंगे। यह दुर्भाग्य की बात है कि चुनावों से समस्यायें भी*

पैदा हो जाती हैं । लेकिन जब तक मतदाता परिपक्व तथा अधिक सहिष्णु नहीं बनते, ये समस्यायें रहेंगी। हर चुनाव में – संसदीय, विधानसभा – समस्यायें उठती हैं । पंचायतों के स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं, इसलिये सरगर्मी अधिक होती है – क्योंकि उम्मीदवार, मतदाता – सब एक ही क्षेत्र के होते हैं ।

प्र. क्या राजनीतिक दलों के पंचायत चुनाव में शामिल होने के कारण भी ये समस्यायें पैदा होती हैं ?

उ. इस मुद्दे पर पहले चर्चा हो चुकी है । कुछ राज्यों ने कहा कि पंचायत चुनावों में राजनीतिक दलों को भाग न लेने दिया जाये । लेकिन इससे स्थिति सुधरी नहीं है । मतदाता जानते हैं कि कौन क्या है । कौन उम्मीदवार किसका है, किस दल का है, वे सब समझते हैं । तो उम्मीदवार किसी दल का है या नहीं इसका मतदाता पर असर नहीं होता । मैं तो यह कहूंगा कि दलों को पंचायत चुनाव लड़ने की छूट होनी चाहिये । तब वे इस जिम्मेदारी को महसूस करेंगे कि उसके उम्मीदवार को काम करके दिखाना है । क्योंकि अगर दल उम्मीदवार नहीं खड़े करेंगे तो कोई भी जिम्मेवारी महसूस नहीं करेगा और फिर आप यह नहीं कह सकते कि गैर-दलीय आधार पर पंचायती चुनावों से समस्यायें दूर हो जायेंगी । दरअसल मतदाता हर उम्मीदवार की असलियत जानता है । राजनीतिक दलों को पंचायती चुनावों में भाग लेना चाहिये ताकि उम्मीदवारों पर अच्छा प्रभाव पड़े और जिम्मेवारी महसूस करें ।

प्र. क्या पंचायत चुनावों में सुधार की आवश्यकता है ? क्या वे निर्वाचन आयोग की देखरेख में होने चाहिये ?

उ. मैं नहीं कह सकता कि निर्वाचन आयोग के लिये यह संभव होगा या नहीं लेकिन मैं यह जरूर महसूस करता हूं कि राज्य स्तर पर कोई स्वतंत्र चुनाव तंत्र अर्थात आयोग बनाया जा सकता है जो पंचायत चुनाव नियमित रूप से कराये जैसे केंद्रीय निर्वाचन आयोग अन्य चुनाव कराता है ।

प्र. पंचायतों में स्थानीय सम्पन्न वर्ग के दबदबे के कारण गांवों के लोग इन संस्थाओं से विमुख हो रहे हैं । क्या आप इस मत से सहमत हैं ?

उ. यह बात सही है कि गांवों में सम्पन्न वर्गों ने पंचायत चुनावों के जरिये इन संस्थाओं में दबदबा बना लिया था और चुनाव नियमित ढंग से नहीं हो रहे थे । लेकिन अब स्थिति बदल रही है । अब आप यह नहीं कह सकते कि पैसे वाला उम्मीदवार चुनाव जीत ही जाएगा । अब उम्मीदवारों की निजी योग्यता, विशेषता, चरित्र का महत्व है । लोग इस पर ध्यान देते हैं । वे जागरूक हो रहे हैं । और फिर अब कुछ उपाय भी किये गये हैं । जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, स्त्रियों जैसे समूहों के लिये आरक्षण से स्थिति बदल रही है ।

प्र. पंचायत प्रणाली के विरुद्ध एक आरोप यह लगाया जाता है कि इससे भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद पनपा है । यह आरोप कहां तक सही है ?

उ. अगर आप केवल भ्रष्टाचार व भाई-भतीजावाद, पक्षपात की बात कर रहे हैं तो ये बुराइयां जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं । इसलिये यह कहना सरासर अनुचित है कि केवल पंचायती संस्थाओं में ही यह सब हो रहा है । यह सही है कि इनमें पक्षपात है, भ्रष्टाचार भी है । लेकिन जब तक ये बुराइयां आम जनजीवन में मौजूद हैं, तो आप स्थानीय स्तर पर पंचायत स्तर पर इन्हें दूर कैसे कर सकते हैं । राज्य स्तर पर स्थिति मेरे विचार में पंचायत स्तर की स्थिति से भिन्न नहीं है । ये दोनों अलग-अलग हो भी कैसे सकती हैं । जो कुछ सामान्यतः समाज में होता है, वह पंचायतों में भी होगा । हां, इन्हें रोकने के लिये कुछ कानूनी प्रावधान किये जा सकते हैं । इस संबंध में कार्यवाही के लिये एक तंत्र गठित किया जा सकता है ।

प्र. एक आरोप यह भी है कि पंचायतों से गांवों में आर्थिक विषमता बढ़ी है । कुछ लोगों का कहना है कि विकास के लाभ स्थानीय दबदबे वाले लोगों ने ही उठाये हैं ।

उ. एक समिति में मैंने कहा था कि इस तरह की स्थिति को रोकने के लिये पंचायत समितियों में अलग कमेटी बननी चाहिये जो सभी कल्याण, विकास कार्यों की देखरेख करें । मैं नहीं मानता कि पंचायती राज से आर्थिक विषमता पैदा हुई है । आर्थिक विषमता तो समाज में पहले से ही रही है । यह विषमता पंचायती राज से न तो पैदा हुई है और न ही इससे बढ़ी है । यह बात ठीक है कि विकास के अधिकांश लाभ सम्पन्न वर्ग को ही मिलते हैं । पर यह तो समाज में सर्वत्र हो रहा है । पंचायतें समाज से अलग नहीं हैं ।

प्र. पंचायतों के सदस्यों को भी क्या अब अवैतनिक या मानद राशि मिलनी चाहिये ।

उ. मैं समझता हूँ कि सार्वजनिक पदों पर काम करने वालों को समुचित राशि दी जानी चाहिये । अगर कोई समिति अध्यक्ष के नाते काम कर रहा है, अपना समय दे रहा है, तो उसे पर्याप्त प्रोत्साहन राशि दी जानी चाहिये । जब संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य वेतन पाते हैं तो सार्वजनिक काम के लिए समय देने वाले जैसे कि समिति अध्यक्ष को भी कुछ मिलना चाहिये, अन्य सुविधाएं जैसे आने–जाने के लिए वाहन की सुविधा आदि मिलनी चाहिये ।

प्र. क्या ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे कि ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम पूरी तरह से पंचायतों के माध्यम से ही चलाने चाहिये ।

उ. बिल्कुल । वरना, पंचायती राज प्रणाली का फायदा क्या है ? सारे विकास कार्यक्रम पंचायतों के जिम्मे किये जाने चाहिये । उनके माध्यम से उनके द्वारा होने चाहिये और स्थानीय प्रशासन पंचायत के अधीन होना चाहिये । अधिकारियों को जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत के प्रति जवाबदेह बनाया जाना चाहिये । जब राष्ट्रीय स्तर पर संसद और राज्य स्तर पर विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका जवाबदेह है तो स्थानीय स्तर पर निर्वाचित पंचायत के प्रति क्यों न हो ? दोनों के बीच पूरा तालमेल होना चाहिये ।

प्र. पंचायतों की समस्या यह है कि न तो उन्हें प्रभावी अधिकार प्राप्त हैं और न ही उनके पास पर्याप्त वित्तीय साधन हैं । इस संबंध में आप क्या सुझाव देना चाहेंगे ?

उ. पंचायतों के लिये ये दोनों प्रमुख समस्यायें हैं । राज्य, केंद्र से संसाधनों की मांग करते हैं, उन्हें पंचायतों को भी संसाधन हस्तांरित करने चाहिये। एक पहलू इसका दूसरा भी है । अधिकांश पंचायतें संसाधनों के लिये राज्य सरकारों पर निर्भर हैं । वे स्वयं संसाधन जुटाने के लिये कुछ नहीं करतीं । इसलिये मेरा यह सुझाव है कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय आयोग है जो राज्यों को संसाधन आबंटित करता है, उसी तरह का स्थानीय वित्तीय आयोग होना चाहिये जो स्थानीय संस्थाओं के लिये संसाधन आबंटित करे । यह हर पांच वर्ष बाद राज्य सरकारों को सुझाव दे कि वे किन संसाधनों को स्थानीय संस्थाओं को सौंपें, किन में इन संस्थाओं का हिस्सा बढ़ायें । इससे पंचायतें वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बन सकेंगी । प्रभावशाली बन सकेंगी । इसके अलावा पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक संरक्षण प्रदान करना होगा । इन्हें ढांचे का तीसरा चरण बनाना होगा - केन्द्र व राज्यों के बाद स्थानीय संस्थाओं को रखना होगा । संविधान में इसके लिये व्यवस्था करनी होगी ।

प्र. क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि स्थानीय स्तर पर राजस्व वसूली पंचायतों के जरिये होनी चाहिये ।

उ. राजस्व वसूली के मामले में पंचायतें कमजोर हैं । संसाधन जुटाने में भी वे कमजोर हैं, प्रभावहीन हैं । राजस्व वसूली वास्तव में अलोकप्रिय काम है, और कोई भी लोकप्रिय एजेंसी यह काम नहीं करना चाहती। इसलिये यह कहा जा रहा है कि राजस्व वसूली का काम राज्य करें तथा इसे पंचायतों को हस्तांतरित करें । राज्य तंत्र स्थानीय लोगों के निरंतर सम्पर्क में नहीं आता जबकि पंचायत-उसका सरपंच, पंच स्थानीय आबादी के सम्पर्क में रहते हैं और इनके लिये लोगों से करों का तकाजा करना सुखद स्थिति नहीं

होगी। हम लोग अभी तक इतने परिपक्व नहीं हुये हैं कि इस तरह की बात को सहजता से लें, स्वीकार करें। इसलिये मेरे विचार में राजस्व वसूली का काम राज्य को करना चाहिये।

प्र.: पिछले कई वर्षों से अधिक से अधिक कार्यक्षेत्र को किसी केंद्र के अधीन करने, अर्थात केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति देखने में आयी है। दूसरी ओर पंचायती संस्थायें विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित हैं और स्वयं प्रधानमंत्री ने भी इसका जोरदार समर्थन किया है। लेकिन इन दो परस्पर विरोधी प्रवृत्तियों को एक साथ कैसे चलाया जा सकता है?

उ. आपकी बात सही है कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति काफी प्रबल रही है। लेकिन ऐसा कभी-कभी ही हुआ है। लेकिन प्रश्न तो यह है कि जब तक पंचायतें राज्य पर निर्भर रहेंगी, राज्य स्तर का नेतृत्व उनके अधिकार अपने हाथों में लेता रहेगा। इसलिये मैं इसे केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण का ही प्रश्न नहीं मानता। प्रश्न हमारी व्यवस्था के कामकाज का है। हमारा देश कितना विशाल है। कुछ जिले बहुत बड़े हैं। कुछ जिलों की आबादी 20 से 30 लाख तक है। कुछ जिलों का क्षेत्र बहुत अधिक है। इसलिये, राज्यों को अपने अधिकारों का विकेंद्रीकरण करना ही चाहिये। जब तक राज्य अपने जिलों, समितियों को अधिकार नहीं सौंपेंगे, वे काम नहीं कर सकतीं। केंद्रीकरण नहीं चल सकता। इसलिये प्रणाली का कामकाज चलाने के लिये विकेंद्रीकरण करना ही होगा। विकेंद्रीकरण तो अब कामकाज के लिये अनिवार्यता बन गया है। विकेंद्रीकरण ही काफी नहीं होगा। इसे प्रभावकारी बनाने के लिये इसे संवैधानिक संरक्षण भी प्रदान करना होगा। मैं तो यह कहूंगा कि पंचायती राज प्रणाली को हमें केन्द्र और राज्य के बाद स्थानीय संस्था के रूप में तीसरे स्थान पर रखना होगा। जैसे राज्यों की संविधान में गारंटी है, इसी तरह संविधान में स्थानीय संस्थाओं की गारंटी भी शामिल होनी चाहिये। इसके बिना पंचायती राज संस्थायें सुरक्षित नहीं चल पायेंगी।

प्र.: आम तौर पर पंचायती राज तीन चरणों वाली प्रणाली है। पर कुछ राज्यों ने इसका एक ही चरण लागू किया है। क्या यह प्रणाली सब जगह समान रूप से लागू होनी चाहिये या फिर स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार हो?

उ. मैं इस बात से सहमत हूं कि यह प्रणाली स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार होनी चाहिये। लेकिन केवल एक ही चरण पर्याप्त नहीं हो सकता। यह दो चरणों में लागू हो या तीन में यह बात राज्य स्तर पर तय हो सकती है। लेकिन केवल एक ही चरण पर्याप्त नहीं हो सकता। एक चरण लोगों की आकांक्षायें पूरी नहीं कर सकता। यह कारगर नहीं हो सकता।

प्र.: आप आंध्र प्रदेश से हैं। आपके राज्य में पंचायती राज प्रणाली का कामकाज कैसा रहा है?

उ. जैसाकि मैंने पहले कहा, यह प्रणाली कई चरणों से गुजरी है। आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ जैसाकि दूसरे राज्यों-महाराष्ट्र अथवा राजस्थान में हुआ। आरंभ में इसके प्रति उत्साह था, इससे बड़ी आशायें थीं। लोगों का विचार था कि इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आयेंगे। यह आशा वास्तविकता पर आधारित नहीं थी। कुछ देर तक यह दौर चला। फिर धीरे-धीरे निराशा होने लगी। इसका कारण वही था — संसाधनों की कमी, राज्य स्तर के नेताओं द्वारा इसमें दिलचस्पी की कमी। सब जगह यही हाल रहा। पर राज्य-स्तर के नेताओं ने फिर यह महसूस किया कि पंचायती संस्थाओं के बिना गुजारा नहीं है। इसलिये वे अब दिलचस्पी ले रहे हैं। पंचायतें भी उतनी ही सफल या असफल रही हैं जितनी कि अन्य लोकतांत्रिक संस्थायें-जैसे सहकारी समितियां। मैं तो पंचायतों को एक आइना मानता हूं जिसमें समाज अपना चेहरा देख सकता है। अगर समाज ठीक है तो आइने में ठीक नजर आयेगा, अगर नहीं है, तो ठीक नहीं दिखेगा।

अनुवाद : विनोद बाली

पंचायती राज – एक नज़र

दीपक भल्ला

देश में पंचायती राज की परिकल्पना का उद्देश्य यह रहा है कि निचले स्तर तक लोकतंत्रीय-प्रणाली का विस्तार हो, तथा गांवों के लोगों की व्यवस्था–संचालन में भागीदारी को प्रोत्साहन मिले। पंचायती राज दरअसल मानव समाज की ऐसी अवधारणा है जिसकी जड़ें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में टिकी हैं। आपसी सहायता-सहयोग व त्याग की भावना पंचायती राज का स्वर्णिम सिद्धांत है। यह ऐसी सामाजिक–आर्थिक व प्रशासनिक व्यवस्था की अवधारणा है जो अपने आप में तो पूर्ण है ही, इसमें अधिकारों का पूरी तरह विकेंद्रीकरण करके समाज की सर्वांगीण समता का लक्ष्य भी निहित है।

पंचायती राज प्रणाली तीन-स्तरीय स्थानीय स्वशासन व्यवस्था है और अधिकांश राज्यों में लागू है। लेकिन देश की विशालता व विभिन्न भागों में सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियां भिन्न-भिन्न होने के कारण इनकी पंचायती राज व्यवस्था में पूरी तरह एक-रूपता नहीं है।

ग्राम पंचायतें

सबसे निचले स्तर पर ग्राम पंचायतें हैं जिनमें उस क्षेत्र के सभी व्यस्क निवासी शामिल होते हैं। पंचायत एक कार्यकारिणी है और इसके सदस्यों का चुनाव गांव के निवासी करते हैं। गांव के व्यस्क निवासियों की आम सभा को ग्राम सभा कहा जाता है जबकि कार्यकारिणी को पंचायत कहा जाता है। ग्राम सभा वार्षिक खर्च-आय पर विचार करती है, ग्राम पंचायत की लेखा रिपोर्ट की जांच करती है, पिछले साल के कामकाज की जांच करती है और अगले वर्ष के लिये कार्यक्रम तय करती है। ग्राम सभा नये कर लगाने तथा सामुदायिक विकास के कार्यक्रमों पर भी विचार करती है।

ग्राम पंचायत का मुख्य काम गांव के रास्तों, गलियों, स्कूलों सफाई, पीने के पानी की सप्लाई की देखभाल, श्मशान व कब्रिस्तान की देखभाल, जन्म व मृत्यु का विवरण रखना, समाज व बाल कल्याण केंद्रों की स्थापना, परिवार नियोजन का प्रचार, कृषि व पशुपालन को प्रोत्साहन, सार्वजनिक इमारतों का निर्माण, पुस्तकालय व वाचनालय खोलना, सामुदायिक केंद्रों की स्थापना, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों की स्थापना, सामूहिक खेती का संचालन तथा मामूली झगड़ों का निपटारा करना है। राज्य सरकारें पंचायत कानून में संशोधन करके उन्हें विकास कार्यों, बेकार भूमि को खेती योग्य बनाने, भूमि सुधार लागू करने में सहायता आदि में आवश्यक राशि जुटाने के लिये बजट बनाने के लिये जिम्मेदारी सौंप सकती हैं। दरअसल ग्राम पंचायतें धन की कमी के कारण कई काम पूरे नहीं कर पातीं। पंचायतों को आम तौर पर राजस्व सम्पत्ति पर कर, लगान पर शुल्क, पंचायती भूमि को पट्टे पर देने से आमदनी से मिलता है। पंचायतों को विकास कार्यों के लिये राज्य सरकारों से भी बराबर का अनुदान मिलता है।

पंचायत-समितियां

बीच के स्तर पर पंचायत समितियां होती हैं। इनके निम्नलिखित प्राथमिक सदस्य होते हैं।

1. प्रखंड में ग्राम पंचायत के पंचों व सरपंचों द्वारा अपने में से ही निर्धारित संख्या में चुने गये सदस्य।

2. अनुसूचित जातियों व स्त्रियों के कुछ सहयोजित सदस्य।

3. पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्र में सहकारी समितियों के प्रतिनिधि, जिनका चुनाव इन समितियों के सदस्य स्वयं करते हैं।

4. पंचायत समिति के अधिकार क्षेत्रों में प्रखंड के मंडी समिति के प्रतिनिधि जिनका चयन समिति के सदस्य किसानों में से करते हैं।

(क) प्रखंड वाले निर्वाचन क्षेत्र के विधायक सह–सदस्य होंगे बशर्ते कि वह पंचायत समिति के प्राथमिक सदस्य नहीं हैं।

(ख) पदेन सदस्य जैसाकि तहसील अधिकारी (एस.डी.ओ.) जिसके अधीन खंड हैं, प्रखंड विकास व पंचायत अधिकारी। ये पदेन सदस्य व विधायक पंचायत समिति की किसी भी बैठक में मतदान नहीं कर सकते।

इस संस्था का अध्यक्ष सामान्यतः एक गैर-अधिकारी होता है जो समिति के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। समिति अपने लिये निर्धारित क्षेत्र में विकास का काम देखती है। यह विकास कार्यों का कार्यक्रम तैयार करती है और राज्य सरकार द्वारा इसके अनुमोदन के बाद इसे लागू करती है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाना भी इसी की जिम्मेदारी है। यह पंचायतों के कामकाज पर नजर रखती है तथा इनके खर्चों की जांच कर सकती है।

पंचायत समिति को अपने क्षेत्र के विकास कार्यों के लिये धन राज्य सरकार देती है। यह राशि प्रखंड बजट से दी जाती है। समिति को भू-राजस्व का भी कुछ हिस्सा मिलता है और राज्य सरकार से अनुदान भी मिलता है।

पंचायत समिति अन्य कार्यों के अलावा कृषि, पशुपालन, मछली पालन विकास, स्वास्थ्य व सफाई, सड़क जैसी संचार व्यवस्था, सामाजिक शिक्षा, सहकारिता आदि के क्षेत्रों में कामकाज करती है।

जिला परिषद

पंचायती राज प्रणाली में सबसे ऊपर जिला परिषदें होती हैं। जिला परिषद में आम तौर पर पंचायत समितियों के प्रतिनिधि, स्त्रियों व कमजोर वर्गों के कुछ प्रतिनिधि, तथा उस क्षेत्र में रह रहे संसद सदस्य व विधायक शामिल होते हैं। पंचायत समितियों के अध्यक्ष इन जिला परिषदों के पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद एक प्रकार से समन्वय संस्था है जो पंचायत समितियों पर निगरानी व नियंत्रण रखती है तथा राज्य सरकार को विकास योजनाओं को लागू करने के बारे में सलाह देती है। कुछ राज्यों में जिला परिषदें पंचायत समितियों के बजट को स्वीकृति देती हैं तथा उनमें धन वितरित करती हैं। जिला परिषद का काम है प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों, अस्पतालों व औषधालयों, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों, जच्चा-बच्चा कल्याण केंद्रों की स्थापना, देखभाल व निरीक्षण; बिजली व पानी की सप्लाई, सड़कों, नालियों, लघु सिंचाई कार्यों का निर्माण व देखभाल; स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन, मेलों-उत्सवों आदि की व्यवस्था करना।

जिला परिषदों को धन राज्य सरकारों से अनुदान व भू-राजस्व तथा अन्य स्थानीय शुल्कों व करों में हिस्से के रूप में मिलता है।

समस्यायें व संभावनायें

पंचायती राज की सफलता आशातीत नहीं रही है। इस प्रणाली के प्रारंभ में इसके बारे में बड़ा उत्साह था, इससे बड़ी-आशायें की गयी थीं, इसे एक महत्वाकांक्षी प्रयोग बताया गया था लेकिन यह न तो सही दिशा ले पाया है और न ही इसे गति मिल सकी है। इसके अनेक कारण हैं :–

1. पंचायती राज प्रणाली में चुनाव व्यवस्था के कारण गांवों के लोग दलों, ग्रुपों में बंट गये हैं। अक्सर न केवल स्वयं ग्रामीण ही बल्कि पंचायत/समिति, परिषद के सदस्य सामूहिक विकास कार्य के लिये भी आपस में असहयोग का दृष्टिकोण अपनाते हैं ऐसा इसलिये होता है क्योंकि ये विभिन्न गुटों में बंटे होते हैं। गुटबंदी पंचायत व्यवस्था की सबसे बड़ी बीमारी बन गयी है। यह इसलिये है क्योंकि निरक्षर ग्रामीण, स्वार्थी लोगों के बहकावे में जल्दी आ जाते हैं और वे यह नहीं सोच पाते कि चुनाव व्यवस्था लोकतांत्रिक संस्था का अभिन्न अंग है जिसमें किसी न किसी को हारना है और दूसरा कोई जीतेगा ही।

2. पंचायती राज को आशाजनक सफलता न मिलने का दूसरा कारण यह है कि सदस्यों में विकास कार्यों को करने में इच्छा शक्ति, संकल्प, निष्ठा व सेवा तथा कर्त्तव्य भावना का अभाव रहता है। केवल रुतबे के लिये पदों पर बैठ जाने की लालसा से इस प्रणाली की प्रगति में रूकावट आयी है।

3. ग्रामीणों में यह आम धारणा है कि इस प्रणाली के अंतर्गत चुने गये प्रतिनिधियों को कोई मानद राशि नहीं मिलती इसलिये वे कभी-कभी धन की हेराफेरी करते हैं। इसे रोका जा सकता है और अगर इन्हें कोई समुचित मानद भुगतान सरकार करने लगे तो विकास कार्यों में इनकी भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सकता है।

(शेष पृष्ठ 46 पर)

ग्राम पंचायत द्वारा वृक्षारोपण प्रेरणा

अशोक कुमार यादव

वृक्षारोपण की मुहिम ने सचमुच ही चितौड़गढ़ ज़िले की कपासन पंचायत समिति के हिंगोरिया ग्राम पंचायत क्षेत्र के स्वरूप को बदल दिया है। वृक्षारोपण मुहिम कांकरिया गांव से शुरू हुई है। कंकर यानी पत्थर से नाम हुआ कांकरिया। कंकर-पत्थर अब इस गांव में अधिक दिखायी नहीं देते क्योंकि अब उन्हें वृक्ष का रूप धारण करते पौधों ने ढक लिया है।

कार्यक्रम की शुरुआत में ग्राम पंचायत के लोगों को पौधे लगाने की बात नहीं जची। वे सरपंच को कोसते थे कि पौधे लगवा कर हमारी जमीन बिगड़वा दी। हमारे पशु कहां चरेंगे। आखिर चरनोट की बेकार पड़ी जमीन का उपयोग भी क्या था। पेड़-पौधों की बदोलत लाभ मिलने लगा तो धीरे-धीरे हिंगोरिया ग्राम पंचायत वासियों को बात समझ में आ गयी। न तो उनकी चरनोट की जमीन पंचायत ने ली और न ही उनको पौधे लगने से नुकसान हुआ। पेड़-पौधे लगने से उनके पशुओं के लिए पर्याप्त घास इन वन क्षेत्रों में पैदा होने लगी।

सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत हिंगोरिया ग्राम पंचायत ने अपनी बेकार पड़ी बंजर भूमि पर वृक्षारोपण की मुहिम वर्ष 1984 से शुरू की थी। पहले वर्ष में 20 हैक्टेयर पंचायत भूमि पर यह कार्य किया गया। इस वृक्षारोपण कार्य ने जोर पकड़ा और वर्ष 1987 तक ग्राम पंचायत ने अपने क्षेत्र जयसिंहपुरा, कांकरिया व हिंगोरिया गांवों में बेकार पड़ी पंचायत की 95 हैक्टेयर चरनोट भूमि पर वृक्षारोपण करा लिया। पंचायत क्षेत्र के तुरकिया कला गांव की ऐसी ही चरनोट भूमि पर 20 हैक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्य कराया गया है। अब इस पंचायत के पास दो-तीन बीघा चरनोट भूमि ही शेष बची है।

पंचायत भूमि पर वन लगाने के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग 5 वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की भूमि लेता है और उसमें वृक्षारोपण करवाता है। इस भूमि पर पैदा होने वाली घास तथा वन उपजों को ग्रामीणों को मुफ्त में दिया जाता है। पौधे बड़े होकर जब 5 वर्ष बाद वृक्ष हो जाते हैं तो इस वन क्षेत्र से जो आय होती है उसमें से आधी पंचायत को व आधी आय वन विभाग को दी जाती है। इसके साथ ही इस भूमि पर पैदा होने वाली ईंधन की लकड़ी नाममात्र की दर पर ग्रामीणों को उपलब्ध करायी जाती है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आय का एक जरिया प्रदान करना व लोगों में वृक्षों के प्रति लगाव पैदा करना है।

वन विभाग ने कोशिशों के बाद जब पहले वर्ष में हिंगोरिया ग्राम पंचायत से वृक्षारोपण के लिए भूमि ली तो धीरे-धीरे आस पास की निम्बाहेड़ा, बनाकिया, नारेला, धमाणा व नेतावल ग्राम पंचायतें भी आगे आने लगीं और उन्होंने पंचायत भूमि पर वृक्षारोपण कराया। वृक्षारोपण के इस कार्यक्रम में सबसे पहले बाजी मारने वाली हिंगोरिया पंचायत में अब घने वन लगे हुए हैं जिनमें से 80-90 प्रतिशत पौधे अब वृक्ष का रूप ले रहे हैं।

वृक्षारोपण से इस ग्राम पंचायत को आय का नया जरिया मिला है। ग्रामीणों को जहां स्वच्छ एवं संतुलित वातावरण का लाभ मिला है वहीं मजदूरी और पशुओं के लिए मुफ्त चारा मिलने लगा है। हिंगोरिया ग्राम पंचायत के इन वन क्षेत्रों से वर्ष 1985 में 3 हजार, वर्ष 1986 में आठ हजार तथा वर्ष 1987 में 30 हजार घास के पूले पैदा हुई। गत वर्ष अकाल की मार से जिले भर में पशुओं के लिए चारे की भारी किल्लत थी पर हिंगोरिया ग्राम पंचायत के लोग खुश नसीब थे। उन्हें तो इन्हीं वन क्षेत्रों से पशुओं को खिलाने के लिए पर्याप्त चारा मिल गया था। इस तरह से इस पंचायत ने चारे के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इसके साथ ही पिछले वर्षों में इन्हीं क्षेत्रों से साढ़े पांच क्विंटल धामण घास के बीज भी एकत्रित कराये गये हैं।

हिंगोरिया के इन वन क्षेत्रों में तरह-तरह के पेड़-पौधे फल फूल रहे हैं। वन विभाग ने बेर की झाड़ियों पर कलमी

बेर की आंख भी चढ़वायी हैं जिससे उन्नत किस्म के बेर का उत्पादन भी बढ़ा है। बेर बेचकर भी ग्रामीणों ने पिछले वर्षों में हजारों रुपये कमाये हैं। यही नहीं वन विभाग के प्रयासों के अलावा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने भी गत वर्ष इस पंचायत को 5 हैक्टेयर में वृक्षारोपण कराने का कार्य दिया। सामाजिक वानिकी के इस कार्य को भी अंजाम दे दिया गया है। ग्राम पंचायत के किसान अब अपने खेतों पर पौध शालाएं लगा रहे हैं।

ग्रामीणों ने बताया कि वृक्षारोपण के इस कार्य ने उनको वर्ष भर मजदूरी की गारंटी दी है। वे गर्मियों में खड्डे खोदते हैं, वर्षा ऋतु में पौधे रोपते हैं तो सर्दी की ऋतु में घास कटाई व उसके बीज इकठ्ठा करने का कार्य करते हैं। वृक्षारोपण के इस सारे कार्य को अपनी देखरेख में कराने वाले हिंगोरिया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच, श्री प्यारेलाल वर्मा का कहना है कि ग्रामीणों का आक्रोश अब समाप्त हो गया है। वे इस कार्य में सहयोग देने लगे हैं। ग्राम पंचायत की चरनोट भूमि पर होने वाला नाजायज कब्जा वृक्षारोपण से रुक गया है। वन क्षेत्र विकसित होने से तरह-तरह के पक्षियों का कलरव होने लगा है। हिंगोरिया गांव में लगने वाले झोइड़ाजी के पशु मेले में खरीद-फरोख्त के लिए आने वाले पशुओं के लिए चारे की समस्या नहीं रही। ढेर सारे फायदे इस वृक्षारोपण से हो गये हैं। ग्राम पंचायत की हिंगोरिया में डीयर पार्क बनवाने की योजना प्रस्तावित है। इस तरह ग्राम पंचायत को इस वृक्षारोपण की महिम ने ग्रामीणों को वृक्षों से प्रेम करना सिखाया है वहीं उनमें इनकी सुरक्षा करने की चेतना जागृत हुई है।

सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी
चितौड़गढ़

पृष्ठ 43 का शेष

4. हमारे यहां एकरूपता की भी समस्या है क्योंकि भारत एक विशाल देश है और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियां भिन्न-भिन्न हैं। आरंभ में बलवंतराय मेहता समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी राज्यों ने अपने यहां तीन-चरणों वाली पंचायती राज प्रणाली लागू कर दी थी लेकिन अब विभिन्न राज्य अलग-अलग प्रणाली चला रहे हैं। कहीं इस प्रणाली के तीनों चरण लागू हैं तो कहीं केवल एक ही चरण लागू किया गया है।

5. निचले स्तर पर प्रशासनिक इकाई के स्वरूप को लेकर अब भी वाद-विवाद चल रहा है। ग्राम पंचायत के लिये किसी निश्चित आबादी वाला गांव इकाई माना जाए या कोई ग्राम समूह इसकी इकाई हो, पंचायत समिति का अधिकार क्षेत्र छोटा हो या बड़ा स्थानीय स्वशासन की इन इकाइयों से अधिकारी वर्ग को संबद्ध रखा जाए या नहीं, ये बातें अभी विचार-विमर्श का मुद्दा बनी हुई हैं। पंचायत प्रणाली के लिये ये समस्यायें बन गयी हैं। विभिन्न राज्यों ने अलग-अलग तौर-तरीके अपनाये हैं इसलिये इनकी पंचायतों, समितियों व परिषदों का स्वरूप भी भिन्न-भिन्न है और इनके नाम भी अलग-अलग हैं जिनसे भ्रम पैदा होता है।

6. लोकप्रतिनिधियों व अधिकारियों के बीच समन्वय की भी आवश्यकता है। निर्वाचित लोकप्रतिनिधि को अधिकारियों से प्रधानता मिलनी चाहिये तथा अधिकारियों को अपना नैतिक कर्त्तव्य मानते हुये सरल, सीधे ग्रामीणों को लोकतांत्रिक प्रशासन के कारगर संचालन का प्रशिक्षण देकर उनका मार्गदर्शन करना चाहिये।

7. लगता है कि पंचायती राज प्रणाली से आर्थिक विषमता बढ़ी है, कम नहीं हुई क्योंकि विकास के अधिकांश लाभ स्थानीय दबदबे वाले लोगों को मिले हैं और यह वर्ग पहले से ही आर्थिक व सामाजिक दृष्टि से बेहतर है।

अगर ग्रामीण जनता को लोकतांत्रिक अधिकारों के विकेंद्रीकरण का अर्थ ठीक तरह से समझाया जाये, तो पंचायती राज प्रणाली निश्चित रूप से शत प्रतिशत सफल हो सकती है और वांछित परिणाम पूरे दे सकती है। ग्रामीण जनता अगर यह पूरी तरह समझ जाये कि विकास सही अर्थों में तभी हो सकता है जब लोग सामुदायिक विकास कार्यों में भरपूर योगदान दें और इसका लाभ सभी को मिले तो कायापलट होने में अधिक देर नहीं लगेगी।

अनुवाद : ओमप्रकाश दत्त

खुद का न्याय

पूरन सरमा

दूसरे दिन अपने निर्णय के अनुसार हरिराम शहर जाने को तैयार हो गया। जाने से पहले पत्नी से बोला – सुनो, मैं शहर शिवनाथ से राजीनामा करने जा रहा हूं। तुम्हारी राय भी यही है न कि हमें उसका खेत उसे सौंप कर मन से माफी मांग लेनी चाहिए।

पत्नी के सूखे मुख पर मुस्कान खिल गई, जैसे हरिराम ने उसके मन की बात कह दी हो। वह बोली – मैं आज तक आपसे यह कहने का साहस नहीं जुटा पाई थी। सच! हमारी बेईमानी हमें ही खा गयी, शिवनाथ के बच्चों का शाप हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा, अच्छा रहे तुम समय रहते शिवनाथ से माफी मांग लो।

पत्नी की बात सुनकर तो हरिराम को जैसे बल मिल गया। वह शहर चल दिया। शहर में पहुंचकर वह शिवनाथ के घर की ओर चल दिया। घर के सामने आकर वह ठिठका। उसका दिल धक-धक करने लगा। वह भीतर ही भीतर अपने किये पर शर्मिन्दा था। सोच रहा था – शिवनाथ की पत्नी क्या कहेगी उसके लिए तो मैं चोर ही हूं। उसके बच्चे उसे कैसे देखेंगे और फिर पता नहीं स्वयं शिवनाथ भी क्या सलूक कर बैठे, यह सोचकर वह बाहर ही खड़ा रह कर उधेड़ बुन में उलझा रहा।

फिर मन ने ही उसे यह समझाया – हां तू चोर है तो अपराध स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है क्योंकि तू अब चोरी नहीं करने की शपथ ले रहा है। इसलिए इस समय शिवनाथ तेरा अपमान भी कर दे तो उससे माफी मांगने में कोई छोटापन नहीं है।

यह सोचकर हरिराम ने धीरे-धीरे शिवनाथ के घर में प्रवेश किया। शिवनाथ की पत्नी आंगन में अनाज बीन रही थी। शिवनाथ भी पास ही खाट में पड़ा खांस रहा था। वह शायद बीमार था। इसलिए काम पर भी नहीं जा सका था। दोनों को एक साथ देखकर हरिराम को विश्वास बंधा।

पदचाप सुनकर शिवनाथ की पत्नी ने सामने हरिराम को देखा तो अचम्भे में मुंह खुला का खुला रह गया। एक पल बाद ही शिवनाथ ने भी हरिराम को देखा वह खाट से कराहता हुआ उठा और बोला – आओ हरिराम, लगता है जिन्दगी के सबसे बुरे दिन मेरे लिए अब आ गये हैं। यह कहते – कहते शिवनाथ की आंखों से दो गर्म जल की बूंदें टप से कमीज पर चू पड़ीं।

शिवनाथ की दशा देखकर हरिराम अपने आपको नहीं रोक पाया और जाकर शिवनाथ के पैरों से लिपटकर सुबक पड़ा। शिवनाथ भी जैसे इसके लिए तैयार था, वह भी उसके साथ रोता रहा। एक पल बाद हरिराम ने अपना आंसुओं से भरा चेहरा ऊपर उठाया और शिवनाथ से कहा – शिवनाथ तुम मुझे अपने मन से माफ कर दो। मैंने तुम्हें दुखाकर अपने को बरबाद कर लिया। देखते नहीं मेरी क्या हालत हो गई है। सच बताओ तुम मुझे माफ करोगे या नहीं।

किस बात के लिए हरिराम, माफ तो तुम मुझे करो। अब मैं उस जमीन के लिए किसी भी हालत में मुकदमा नहीं लड़ सकता। मेरा सब कुछ लुट गया। अब और मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, शिवनाथ ने कहा।

मुझे शर्मिंदा मत करो शिवनाथ। गलती तो मैंने की जो तुम्हारे साथ बेईमानी का खेल खेलकर तुम्हारी जमीन को हड़पना चाहा। पर मुझे भी अपनी बेइमानी का फल पूरी तरह मिल गया है, शिवनाथ। मैंने अपने किये का फल भोगा है और सही है यदि तुमने मुझे माफ नहीं किया तो और न जाने कितने दिन भोगना पड़ेगा। शिवनाथ अपना खेत सम्भालो, मुकदमा वापस लो और मुझे माफ करो। मैं तुम से राजीनामा करने आया हूं। हरिराम की बात सुनकर शिवनाथ दर्द से कराहा और बोला – हरिराम कैसे वक्त पर

आये हो, जब तुम और मैं दोनों बुरी तरह लुट गये हैं। अच्छा होता यदि तुम पंच फैसले के समय ही मेरी बात मान लेते। खैर, जो हुआ सो हुआ। मेरी तो बुद्धि ही फिर गई थी। मैं क्या बताऊं बेईमानी और लोभ के आगे सारा ज्ञान कुयें में गिर पड़ा था। तुमने मुझे सही सबक सिखा दिया, शिवनाथ! मेरे बच्चों को आज रोटी तक नहीं है। इतना कहकर हरिराम फिर शिवनाथ के पैरों में गिरकर रोने लगा।

शिवनाथ की आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे। उसने हरिराम को उठाकर अपने सीने से लगाया और कहा – छोड़ो गयी बातों को हरिराम आगे का जीवन कुछ बने ऐसा उपाय सोचो। वैसे तुमने उस समय सच ही कहा था। क्या जरूरत है पंचों की, जब हम अपना फैसला आप कर सकते हैं तो पंच मामले सुलझाने के बजाये उलझाते हैं। इसलिए बढ़िया रहता है यदि आदमी परस्पर मुसीबतों को परस्पर मिल बैठकर ही सुलझा ले। सच्चा न्याय तो खुद का न्याय है। जिसे दो आदमी खुद अपने ज्ञान से हल करते हैं। सही भी है, सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाता है तो उसे भूला हुआ नहीं माना जाता। चलो, खाना नहीं खाओगे।

शिवनाथ की बात से हरिराम का मन प्रसन्नता से भर उठा, वह बोला – सच, बड़े भाई तुम मुझे सुबह का भूला मानकर ही माफ कर दो। मुझ से यह सब कुछ लोभ के अन्धेपन में हो गया।

बस अब चुप भी रहो। अब जब हम भाई हैं तो फिर एक-दूसरे के सामने किस बात की सफाई। लो खाना खाओ।

हरिराम ने देखा शिवनाथ की पत्नी दो मोटी-मोटी रोटियों पर चटनी रखकर खड़ी थी। हरिराम के मुंह में पानी आ गया। वह खाने पर टूट पड़ा। खाने के बाद दोनों देर तक भावी जीवन को संवारने के उपायों पर विचार करने लगे।

शाम ढले हरिराम ने गांव लौटने की बात कही तो शिवनाथ ने उसे रोक लिया और कहा कि कल चले जाना। इस बीच वे अपनी कठिनाइयों पर मिल बैठकर बातचीत करेंगे। हरिराम शिवनाथ का कहा नहीं टाल सका और वह रुक गया। शिवनाथ की तबियत खराब होने से भी हरिराम को चिन्ता थी, अतः उसने एक रात वहां रुकना ठीक ही समझा।

रात हुई तो दोनों फिर बातें करने लगे। इस बीच हरिराम और शिवनाथ के लिए शिवनाथ की पत्नी चाय भी ले आई थी। चाय का घूंट भरते हुए शिवनाथ बोला – एक बात है हरिराम ठीक रहे यदि गांव वापस मैं भी लौट चलूं। शिवनाथ की बात सुनकर हरिराम को खुशी हुई पर फिर वह उदास होकर बोला – लेकिन शिवनाथ इस समय तुम वहां करोगे क्या? बरसात हुई नहीं, खेत सूखते चले जा रहे हैं। ऐसे में अभी यहां शहर में काम काज चल तो रहा है। फिर तुम से मेरी स्थिति भी छुपी हुई नहीं है। मैं खुद तुम से शहर में काम दिलवाने के लिए कहने वाला था।

बात तुम्हारी ही ठीक है। गांव में एकदम जाने से कोई बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में जब तुम भी वहां गांव में परेशान हो तो – अच्छा रहे यहीं चले आओ – शिवानाथ बोला।

लेकिन मैं यहां आकर करूंगा क्या? मैं तुम्हारे सिर पर बोझ और बन जाऊंगा – हरिराम विवशता के साथ बोला।

मेरे ऊपर किस बात का बोझ, हरिराम तुम गांव से आओगे तो काम नहीं लगने तक तो मेरे पास ही रहोगे और दूसरी जगह कहां रहोगे।

वह तो ठीक है, लेकिन पहले किसी काम की बातचीत हो जाये तो ठीक रहे।

इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं कल ही अपने ठेकेदार से बात करता हूं। उसके काम यहां कई स्थानों पर चलते हैं, निश्चित ही वह तुम्हें काम पर लगा लेगा – शिवनाथ बोला।

यह हुई न बात, भाई। आगे की जब तक नहीं सोचेंगे नुकसान तो होगा ही। फिर तय यह रहा कि यदि काम मिल जाता है तो पहले मैं अकेला ही यहां आऊंगा। बाल-बच्चे सब गांव में रहेंगे। उनकी व्यवस्था मैं यहां रहकर करता रहूंगा – हरिराम ने अपने मन की बात शिवनाथ को कही।

विचार तो कोई बुरा नहीं है। होना भी यही चाहिए। मेरे विचार से अब हमें शहर में रहकर कम से कम इतनी पूंजी का इंतजाम तो कर ही लेना चाहिए, जिससे यदि हम गांव लौटने की तय करें तब वहां खेतीबाड़ी का काम संभालने तक गृहस्थी चला सकें। शिवनाथ ने आगे की योजना सुझाई तो हरिराम ने ताली बजाकर कहा – क्या पते

की बात कही है शिवनाथ भाई तुमने! हमें शहर पर ही निर्भर नहीं रहना है। हमें अपने गांव ही लौट चलना है। जहां हमारे पूर्वजों के घर बार और खेत हैं। गांव की मिट्टी से सच इतना प्रेम क्यों होता है।

यही मेरा मन मानता है, हरिराम! यदि बरसात अगली फसल पर हो जाती है तो हमें इस बीच जाकर खेत को बो देना है। वहां तुम्हारी पत्नी खेत की देखभाल करेगी और फिर लगेगा कि फसल अच्छी है तो हम फिर यहां से गांव लौटने में जरा भी भूल नहीं करेंगे। क्यों ठीक है न शिवनाथ ने कहा।

बहुत अच्छा विचार आया है शिवनाथ तुम्हारे मन में। ऐसे उपाय करके ही हम लोग अपने जीवन को सही रास्ता दे सकते हैं।

इस तरह दोनों मित्र देर तक बातें करते रहे। पता ही नहीं चला कब उन्हें नींद आ गई।

दूसरे दिन दोनों राजी नामे का पत्र लिखकर अपने अपने वकीलों के पास पहुंचे। वकील दोनों को एक साथ देखकर चकरा गये। उनसे कुछ भी बोलते नहीं बना। वकील इतना ही पूछ पाये – यह एकाएक तुम दोनों को क्या हुआ कल तक तुम लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने थे और आज बरसों पुराने प्रिय मित्र बने चले आ रहे हो!

हम तो दोस्त शुरू से ही हैं वकील साहब! वह तो बीच में एक समय ऐसा आ गया था, जिससे हम दोनों की मति ही फिर गई थी। भगवान ने अब हमारी आंखें खोल दी हैं और हमारा जीवन बरबाद होने से बचा लिया है, वरना हमारी यह कोर्ट – कचहरियों में जाने-आने की औकात ही क्या है, शिवनाथ और हरिराम ने एक साथ बात कही तो वकील कटकर रह गये और उनका सुलहनामा कोर्ट में देने को कहकर विदा कर दिया।

वकील के यहां से लौटकर शिवनाथ और हरिराम दोनों वापस घर लौटे तो आते ही खाना परोसा गया और दोनों मित्र साथ-साथ खाने लगे।

खाने के बाद शिवनाथ काम पर जाने को तैयार हो गया। वह हरिराम से बोला – सुनो हरिराम तुम भी तैयार हो जाओ। ठेकेदार से तुम्हारी बात करा दूंगा।

हरिराम भी तैयार हो गया। शिवनाथ काम पर पहुंचा तो ठेकेदार मिल गया। ठेकेदार से राम...राम करने के बाद शिवनाथ हरिराम को मिलवाता हुआ बोला – ठेकेदार साहब! यह मेरा भाई है। गांव से आया है। गांव में खेत उजड़ गये हैं। इसे काम की जरूरत है। आपके यहां काम हो तो बड़ी कृपा हो।

ठेकेदार का मूड अच्छा था अतः बोला – हां... हां.... काम क्यों नहीं है। सदर बाजार में जहां हमारा काम चल रहा है, वहां भेज दो इसे। वहां के सुपरवाइजर से कहना मैंने भेजा है।

लेकिन मेरी तो ड्यूटी का समय हो गया है ठेकेदार साहब मैं इसे जगह बताने कैसे जा सकूंगा – शिवनाथ बोला। अरे ड्यूटी शुरू हो गई तो क्या हुआ जाओ चले जाओ – बताकर चले आना। ठेकेदार की इस बात से हरिराम और शिवनाथ दोनों का मन बल्लियों उछल गया।

दोनों चलने लगे तो शिवनाथ ने हरिराम की ओर देखा। हरिराम की आंखों में आंसू थे। शिवनाथ उसे डांटता हुआ प्रेम भाव घोलता हुआ बोला – क्या बात है रे हरिराम। खुशी के समय में तुम्हारी आँखों में आँसू कैसे!

क्या बताऊं शिवनाथ। मैं तुम्हारे अहसानों का बदला किस तरह चुका पाऊंगा समझ में नहीं आ रहा है। हरिराम रूआंसा होकर बोला।

कैसी बातें करने लगा है फिर तू। अरे यह तो मेरा धर्म था, इसे चाहे तुम पड़ौसी धर्म कह दो या भाई का धर्म कह दो और कुछ नहीं तो मानव धर्म तो है ही।

बुरा तो नहीं है शिवनाथ एक मैं हूं जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया और तुम्हें बेकार में परेशान किया। एक तुम हो मेरा सब कुछ कर रहे हो। सच ऐसा प्रेम जीवन में पहली बार देख रहा हूं वरना कौन किस के लिए क्या करता है यह तो तुम मानते हो हरिराम ने कहा।

तुम बार-बार क्यों पुरानी बातें याद करते हो। यह समझो वह हरिराम और शिवनाथ मर गये। उन दोनों के जन्म फिर से हुये हैं। वह तो हम दोनों से ही अनजाने में भूल हुई थी और अब हमने अपनी भूल को सुधार लिया है, उसे दुबारा नहीं करने की ठानी है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। हम यदि मिलकर चलेंगे तो सच मंजिल को प्राप्त कर हीं लेंगे। शिवनाथ की इस बात से हरिराम के मन को बहुत विश्वास और चैन मिला।

इस तरह बातें करते-करते दोनों सदर बाजार में उस स्थान पर आ गये जहां उसी ठेकेदार का काम चल रहा था।

शिवनाथ सुपरवाइजर के पास गया और ठेकेदार का सन्देश बताकर बोला—यह आदमी है जिसे काम देना है। सुपरवाइजर ने अच्छा कहकर हरिराम को काम बताया और शिवनाथ अपने काम के लिए फटाफट चल दिया।

शाम को हरिराम और शिवनाथ घर पहुंचे तो हरिराम की प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। वह प्रसन्न था। वह शिवनाथ को देखते ही बोला—भाई शिवनाथ, मालिक तो बढ़िया है। उसने दोपहर में आकर पूछा — क्यों भाई खुश हो।

दुनिया में अच्छे-बुरे दोनों ही तरह के आदमी हैं, हरिराम अपना ठेकेदार नेक और अच्छे मन से काम करने वाला आदमी है। किसी भी दुखिया को देखता है तो पूरी-पूरी सहायता करने का प्रयास करता है — शिवनाथ ने कहा।

शिवनाथ की पत्नी तब तक चाय बनाकर ले आई। चाय पीते समय हरिराम बोला—शिवनाथ मैं एक पत्र गांव तो डाल देता हूँ। घर पर चिन्ता हो रही होगी। एक दिन की कह कर आया था। लिख देता हूं मेरा यहां काम लग गया है। किसी तरह चिन्ता न करें।

बिल्कुल सही है, हरिराम! पत्र तुम्हें घर आज ही डाल देना चाहिए ताकि चिन्ता-फिकर न रहे और सुनो सात दिनों बाद पैसा मिले वह भी सारा गांव ही भेज देना। वे भी पूरी आस लगाये होंगे। शिवनाथ ने हरिराम से यह कहा तो हरिराम बोला—सारा पैसा कैसे भेजूंगा, शिवनाथ! यहां भी तो मेरा खाने-पीने, चाय-बीड़ी का खर्च हो रहा है। उसे कौन भरेगा। जब मैं कमाने लगा हूं फिर क्यों नहीं अपना खर्चा दूंगा।

अरे बावले, वह तो ठीक है। आगे सब व्यवस्था कर लेंगे एक बार तो पैसा पूरा भेज ताकि वे लोग अपनी व्यवस्था कर सकें। फिर यह घर तुम्हारा ही तो है। इसमें खर्च मैंने किया या तुमने किया, एक ही बात है। शिवनाथ की बात के आगे हरिराम कुछ नहीं बोल सका।

इस तरह दोनों मित्रों की मित्रता गहरी से गहरी होती चली गई। दोनों को एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल लगने लगा। इधर इस बीच बरसात अच्छी हो गई तो दोनों गांव आकर खेत बो आये। हरिराम की पत्नी खेतों की देखभाल करने लगी।

हिल-मिलकर काम करने से दोनों के परिवारों की माली हालत में भी काफी सुधार हो गया था। हरिराम के बच्चे गांव में स्कूल जाने लगे थे तो शिवनाथ के शहर में।

भगवान की कृपा ही कहिए कि दिया भी तो भगवान ने छप्पर फाड़कर। बढ़िया बरसात होने से दोनों के खेतों में खूब अनाज पैदा हुआ। दोनों की दरिद्रता दूर करने में खेतों का और हरिराम की पत्नी का भी बहुत बड़ा हाथ था जिसने अकेले सार-संभाल करके मिट्टी से सोना निकाल लिया था। शिवनाथ और हरिराम दोनों प्रसन्न थे।

एक दिन दोनों ने विचार करके तय किया कि अब गांव चलकर पूरी लगन से, मेहनत से काम करना ही ठीक है। अब उनके पास पूंजी भी इकट्ठी हो गई थी। दोनों ने बैलों की एक नयी जोड़ी खरीदी और गांव जाकर खेती करने लगे।

सारा गांव इस बात से हैरान था कि जिस हरिराम और शिवनाथ में मुकदमेबाजी चल रही थी, उन्हें एकाएक यह क्या हुआ है, उनके परिवार एक ही जगह रह रहे हैं। दोनों के घर में खुशहाली का राज है। कोई चिन्ता फिकर नहीं है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। कुयें से पानी निकालकर खेत में छोड़ रहे हैं। दोनों की पत्नियां क्यारियों में पानी मोड़ रही हैं। खेत की मेड़ पर रखा ट्रांजिस्टर बज रहा है।

उनकी इस खुशहाली को देखकर गांव के पंचों ने भी महसूस किया कि एकता और प्रेम में बहुत बड़ी शक्ति है। वैरभाव रखकर जिन्दगी को नहीं संवारा जा सकता। सभी कहते थे प्रेम भाव हो तो शिवनाथ और हरिराम जैसा। जहां लेशमात्र भी दुख नहीं था। कोई भेदभाव नहीं था। गांव के अनेक परिवारों ने हरिराम और शिवनाथ की मित्रता से सबक भी सीखा क्योंकि खुशहाली के लिए ऐसा करना उन्होंने आवश्यक समझा। यदि वे मुकदमेबाजी और वैरभाव को बढ़ावा देते तो ऐसे दिन आज देखने को नहीं मिलते। उनसे छुटकारा पाकर ही विकास हो पाया था। वे दोनों भी इस बारे में अपने खुद के न्याय से सुखी थे। जीवन बिना किसी बाधा के आराम से गुजर रहा था।

सिकन्दरा—303326 (जयपुर)

पंचायती राज का पुनर्जीविकरण

डा.एन.आशीर्वाद

भारत प्रजातंत्र के लिए वचनबद्ध है। हम अपना विकास सुनियोजित अर्थव्यवस्था से करना चाहते हैं। हमारा विश्वास है कि वास्तविक विकास सभी स्तरों पर सरकारी तन्त्र में लोगों की भागीदारी से ही सम्भव हो सकता है। भारत तो गांवों में बसा है, इसलिए भारत का विकास, काफी हद तक प्रशासन में ग्रामीण लोगों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत में सन् 1959 में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना की गई थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में आयोग ने इस बात पर बल दिया कि योजना बनाने का काम सबसे निचले स्तर से शुरू किया जाए और पंचायतों को आयोजना का केन्द्र बनाया जाए। इस प्रकार 'निचले स्तर से योजना बनाने' के विचारों को मान्यता दी गई थी, और आशय यह था कि पंचायतें ग्रामीण प्रशासन की प्राथमिक इकाई के रूप में काम करें। लेकिन पिछले चार दशकों के अनुभवों से पता चलता है कि पंचायती राज प्रणाली में किसी प्रकार की उन्नति नहीं की है।

अधिकांश राज्यों में यह प्रणाली मरणासन्न हो गई है। अनेक समितियों, आयोगों और अन्य अनुसंधान अध्ययनों ने पंचायती राज प्रणाली की निष्क्रियता के अनेक कारण बताए हैं। जैसे : (1) स्थानीय समस्याओं के प्रति नागरिकों की उदासीनता, (2) परिपक्व और अनुभवी नेतृत्व का अभाव, (3) गुटबन्दी, पक्षपात और समायोजन, (4) वित्तीय साधनों की अपर्याप्ता और उनका कम उपयोग, (5) लोगों में तकनीकी योग्यता और अन्त: विभागीय समन्वय का अभाव, और (6) उत्तरदायित्वों में दोहरापन।

ऊपर बताये गए सभी कारणों में मेरे मतानुसार, चौथा कारण अर्थात पंचायतों के पास धनराशि का अभाव है। इससे उनकी स्थानीय स्वायत्ता समाप्त हो जाती है। इस प्रणाली को और अधिक ओजस्वी बनाने तथा इसे स्थायित्व प्रदान करने के लिए पंचायती राज के वित्तीय स्रोतों का कुशल प्रबन्ध तथा संसाधनों का बेहतर संचालन होना चाहिए। इस लेख में आन्ध्र प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं की अनेक वित्तीय समस्याओं का अध्ययन करने का मामूली प्रयास किया गया है और इन स्थानीय निकायों के लिए स्वयं संसाधन बढ़ाने की शक्तियों और क्षमताओं को सुनिश्चित करने के तरीकों के सुझाव दिए गए हैं।

बुनियादी कारण

राज्य में पंचायतों के प्रभाव हीन होने का मुख्य कारण उन्हें दिए गए संसाधनों का आवश्यकता से कम होना और पर्याप्त तथा उचित प्रशासनिक तन्त्र की कमी होना है। लेकिन यह उन्हें दी गई धनराशि उन्हें सौंपे गए कार्यों को कुशलता से पूरा करने के लिए काफी नहीं है, तभी सही माना जा सकता है जब यह बात सिद्ध की जाए कि पंचायतों ने उन्हें दी गई धनराशि का पूरा उपयोग किया है।

राजस्व के विद्यमान साधनों को पूर्ण रूप से उपयोग में लाने की समस्या केवल कर और गैर-कर वाले संसाधनों पर लागू होती है जिसके लिए वे केवल राजस्व के साधन हैं जिन पर पंचायतों का नियंत्रण है। कर राजस्व में पंचायतों द्वारा लगाए गए और एकत्र किए गए कर (अथवा पंचायतों की अपनी कर-आय) और सरकार के करों में उसका भाग, दोनों शामिल होते हैं। पंचायतों के अपने करों से आय के साधन हैं:– 1. मकान कर, 2. लाईब्रेरी उपकर, 3. व्यवसाय कर, 4. वाहन कर, 5. पानी कर और 6. राज्य के करों में पंचायतों का भाग जैसे (क) स्टाफ शुल्क, (ख) स्थानीय उप-कर और (ग) मनोरंजन कर। गैर-कर राजस्व में 1. शुल्क, 2. आय कर और 3. अनुदान सहायता शामिल हैं। केन्द्र से राज्यों को अथवा राज्यों से निगमों और नगर पालिकाओं को अनुदान-सहायता के पैटर्न के विपरीत वे मकान-कर के बराबर अनुदानों और अंतिम संस्कार अनुदानों तक ही सीमित हैं।

पंचायतों की वित्तीय स्थितियां

राज्य में 19,540 ग्राम पंचायतें हैं। उनमें से अधिकांश केवल नाम मात्र के लिए ही हैं। उनमें न तो आर्थिक और न ही प्रशासनिक सक्षमता है। लगभग 62 प्रतिशत पंचायतों की जनसंख्या 200 से कम है। इनमें से 440 पंचायतों की

जनसंख्या 500 से कम है। यह बात हास्यप्रद लगती है लेकिन सही है कि यहां ऐसी भी ग्राम पंचायतें हैं जहां केवल 25 घर हैं। इस प्रकार राज्य के कुल 19,540 ग्राम पंचायतों में से लगभग 18 हजार गैर-अधिसूचित पंचायते हैं। सरकार इनके प्रशासन का भार वहन नहीं करती है। ये गैर-अधिसूचित पंचायतें इस स्थिति में नहीं हैं कि अपने कार्यों की देखरेख के लिए नियमित पूर्ण-कालिक स्टाफ रख लें। सरपंच की अनुपस्थिति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता जो पंचायत के कार्यालय का दरवाजा भी खोल सके। कुछ पंचायतों में तो कार्यालय तक भी नहीं हैं। महत्वपूर्ण आंकड़ों से लेकर करों को इकट्ठा करने तक के सभी काम सरपंच को स्वयं ही करने पड़ते हैं। कुछ पंचायतों में संलेखों के रख-रखाव के लिए सरपंच को एक अंशकालिक क्लर्क पर निर्भर रहना पड़ता है। यह क्लर्क सरकार की सेवा शर्तों के अन्तर्गत नहीं आता। इन पंचायतों में एकत्र किए जाने वाले कर नगण्य होते हैं। ये अंशकालिक क्लर्कों का वेतन देने के लिए भी पूरे नहीं पड़ते और यदि सरपंच अनपढ़ होता है तो स्थिति और भी दयनीय हो जाती है।

47 प्रतिशत पंचायतों की वार्षिक आय 500 रुपये से भी कम है। राज्य में ऐसी लगभग 178 पंचायतें हैं जिनकी वार्षिक आय 500 रुपये भी नहीं है। नरसिंहन समिति के निष्कर्षों से पता चलता है कि श्रीकाकुलम और विशाखापतनम एजेंसी क्षेत्रों में ऐसी भी पंचायतें हैं जिनकी वार्षिक आय 60/- रुपये हैं। ये ग्राम पंचायतें इतनी असहाय हैं कि गांव का दीया भी नहीं जला पातीं। बढ़ती हुई कीमतों, मुद्रा स्फीति और रुपये के अवमूल्यन के कारण वे पंचायतें, जिनका वित्तीय स्थिति काफी अच्छी समझी जाती है, भी स्थानीय निकायों के प्राथमिक कार्य जैसे गलियों में प्रकाश, पीने के पानी की सप्लाई और गांव की सफाई आदि करने में असमर्थ हैं। आन्ध्रप्रदेश सरकार द्वारा इन स्थानीय निकायों को दी जाने वाली धनराशि पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की तुलना में काफी कम है। महाराष्ट्र में अनुदान की दर प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 2.50 रुपये से 5.00 रुपये के बीच है। आन्ध्र प्रदेश में यह अनुदान केवल एक रुपया है। स्थानीय उपकर जो भूमि लगान पर लगाया जाता है, उसका 50 प्रतिशत पंचायतों को दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा भूमि लगान समाप्त कर दिये जाने के कारण अब इस उपकर से होने वाली आय नगण्य है।

राज्य सरकार की उदासीनता के कारण पंचायतों के आबंटित किए गए साधनों से उन्हें आय नहीं हो रही है। प्रोराम्बोक भूमियों, पशु चरागाह मैदानों, स्थानीय वनों को, ग्राम पंचायत के अधिनियम, पंचायतों के क्षेत्राधिकार में दर्शाया गया है, लेकिन उन्हें पंचायतों को हस्तान्तरित नहीं किया गया है। इस आशय का एक सरकारी आदेश पहले ही है परन्तु अभी तक इसका पालन नहीं किया गया है। वास्तव में पोराम्बोक भूमि जिन्हें पंचायत के नियंत्रण में लाया जाना चाहिए, इस पर लोगों ने कब्जा कर रखा है, और पंचायतों द्वारा इस भूमि को खाली कराने के अनुरोध पर राजस्व विभाग के अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया है।

यदि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों को उदार वित्तीय सहायता न दे तो कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें स्थानीय निकायों को कम से कम वे सुविधाएं तो देनी चाहिए जिनसे वे वित्त निगमों और ऐसी अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त कर सकें। यदि ये सुविधाएं मिल जाएं तो पंचायत संस्थाएं शापिंग काम्पलैक्स और सामाजिक वानिकी जैसे कार्य शुरू कर सकती हैं। यदि कोई पंचायत ऐसी परियोजनाएं शुरू करे जिनका उद्देश्य समाज कल्याण हो, और उसमें सरकार से कोई प्रोत्साहन न मिले तो यह सरकार की ओर से बाधा डालना नहीं तो और क्या संज्ञा दी जा सकती है ?

महाराष्ट्र और गुजरात के विपरीत आन्ध्र प्रदेश के सरपंचों को सामुदायिक कल्याण और विकास कार्यों के लिए कोई स्वीकृति देने के अधिकार नहीं है चाहे इन कामों की नितान्त आवश्यकता है। यहां तक कि बजट में से मामूली–सी राशि भी खर्च करने के लिए भी प्रभागीय पंचायत अधिकारी का अनुमोदन अनिवार्य है। इस प्रक्रिया में अवांछनीय देरी होती है।

यदि राज्य सरकार का समर्थन मिल भी जाए तो भी पंचायत राज का स्वरूप ग्रामीण विकास के अनुरूप नहीं है। इस समय इनकी आय का साधन बहुत सीमित है। बहुतसी पंचायतें इन साधनों का भी पूरा प्रयोग नहीं कर पा रही हैं। छोटी पंचायत के सरपंच के पास, गांव में घर-घर जाकर स्थानीय कर एकत्र करने का न तो समय है और न ही धैर्य। बड़ी पंचायतों में, जहां करों को एकत्र करने के लिए स्टाफ की समस्या नहीं है, परन्तु सरपंच अनेक कारणों से इस स्टाफ का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। वाहनों पर कर जिसे पंचायतों को लगाने और एकत्र करने का अधिकार है, उसे भी पूर्ण रूप से एकत्र नहीं किया जा रहा है।

अनेक मामलों में मकान-कर की वास्तविक राशि मकान के आकार और क्षेत्रफल के आधार पर नहीं बल्कि भूस्वामी के राजनीतिक सम्बन्धों के आधार पर निश्चित की जाती है। इस प्रकार ग्राम पंचायतों, विशेष रूप से छोटी ग्राम पंचायतों की आय इतनी कम है कि वह गाँव के लिए अति अनिवार्य सेवाओं का प्रबन्ध भी नहीं कर पाती। आन्ध्र प्रदेश के ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा-54 में यह परिकल्पना की गई है कि ग्राम पंचायत को कम से कम निम्नलिखित कार्य तो करने ही होंगे– ग्रामीण विकास, सड़कों का रखरखाव, सफाई, पीने के पानी की सप्लाई, गांव के तालाबों की मरम्मत आदि। यह बड़े आश्चर्य की बात है कि एक पंचायत जिसकी वार्षिक आय बड़ी मुश्किल से एक हजार रुपये है, इन कार्यों और सेवाओं को भली भांति किस प्रकार पूरा कर सकती है।

अपने राजस्व साधन जुटाना

पंचायतों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उन्हें वर्तमान लीक से मुक्त कराना और उन्हें प्रशासन और विकास की एक सक्षम इकाई बनाने के लिए साधनों का पता लगाना अत्यन्त आवश्यक है। उन्हें पहले वित्तीय स्वायत्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि वे प्रशासनिक स्वायत्ता के साथ कार्य कर सकें। इसके लिए उनके पास वित्तीय साधन बढ़ाने की शक्तियां होनी चाहिए। अपने वित्त को बढ़ाने के लिए उन्हें वर्तमान राजस्व साधनों में यथा सम्भव वृद्धि करनी होगी। जबकि वर्तमान राजस्व साधनों को पूर्ण रूप से एकत्र नहीं किया जाता, नए राजस्व साधनों के तर्क पर विचार करना औचित्यपूर्ण नहीं है। लेकिन, जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है, राजस्व के वर्तमान साधनों को भलीभांति एकत्र करने के लिए राज्य की प्रत्येक पंचायत में आवश्यक कार्यकारी तन्त्र का होना अनिवार्य है। इसलिए प्रत्येक पंचायत के लिए कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति, राजस्व के वर्तमान साधनों का बेहतर ढंग से एकत्र किया जाना, नए कर साधनों की सुपुर्दगी, पंचायतों के आकार में वृद्धि, पंचायतों की आय में असमानता को दूर करने के लिए अनुदानों का समान वितरण कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें तत्काल किया जाना चाहिए।

ग्रामीण स्थानीय निकायों को वित्तीय दृष्टि से सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार को पंचायत क्षेत्र में सभी-सामुदायिक परिसम्पत्तियों को पचायतों को सौंपना होगा, पंचायतों को वे प्रोत्साहन देने होंगे जिससे कि वे लाभकारी उद्यम शुरू कर सकें, उदार सहायता अनुदान में वृद्धि, पंचायतों को करों का अधिक अंश देना होगा और उन्हें नए कर साधनों का हस्तान्तरण करना होगा। यह इसलिए उचित है कि पंचायत स्थानीय स्वशासन की पहली इकाई होने के कारण इसे स्थानीय लोगों से कर एकत्र करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए और उनके प्रति उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

यह बहुत ही हास्यप्रद बात है कि राज्य सरकारें केन्द्र के विरुद्ध यह शोर मचाती रहती हैं कि राज्य का कार्यभार चलाने के लिए उन्हें पर्याप्त अधिकार नहीं दिये गए हैं, लेकिन ये ही राज्य अपने अन्तर्गत देने के मामले में शर्म क्यों करते हैं। यदि आन्ध्र प्रदेश सरकार राज्य के पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति सुधारने को वास्तव में उत्सुक है तो सरकार को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए:

1. पंचयती राज संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता, जो आजकल बहुत कम है, को पर्याप्त मात्रा में बढ़ाया जाना चाहिये।

2. महाराष्ट्र में, ग्राम अधिकारी गांव के रिकार्डों का रखरखाव, विभिन्न करों का एकत्रीकरण और ग्राम पंचायतों के संकल्पों का कार्यान्वियन जैसे कार्य कर रहे हैं। ये कार्य नए सिरे से नियुक्त किए गए ग्राम सहायकों को सौंपे जाने चाहिए, जिनके पास कोई विशिष्ट कार्य न होने के कारण वे प्रायः खाली रहते हैं।

3. जिस प्रकार राज्य सरकार बड़ी पंचायतों के स्टाफ़, स्थान के रख रखाव के खर्च को वहन करती है उसी प्रकार छोटी पंचायतों के ऐसे खर्चों को भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

4. छोटी पंचायतों के रख रखाव के लिए खर्च की जाने वाली धनराशि नगण्य मात्र है। जिस प्रकार राज्य कमजोर वर्गों के कल्याण और आदिवासी एजेंसी क्षेत्र के विकास पर खर्च करती है उसी प्रकार पंचायतों पर भी खर्च किया जाना चाहिए।

5. गैर-राष्ट्रीयकृत बस रूट, मछली तालाब, लघु-सिंचाई से आय, सामाजिक वानिकी, खनिजों आदि को मण्डल परिषदों को सौंपा जाना चाहिए और उन साधनों से होने वाली आय का कुछ प्रतिशत भाग निम्न स्तर पर कार्य कर रही ग्राम पंचायतों को दिया जाना चाहिए।

6. पंचायती राज संस्थाओं को इस प्रकार का कानूनी दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें प्रत्येक छोटे से छोटे खर्च के

लिए उच्च अधिकारियों से स्वीकृति की प्रतीक्षा न करनी पड़े। उन्हें निर्णय लेने के लिए और अधिक अधिकार दिये जाने चाहिए।

जब तक ग्रामीण स्थानीय निकायों की शक्तियां नगण्य और संसाधन सीमित रहेंगे तब तक मण्डल पंचायत प्रणाली का अस्तित्व नीचा ही रहेगा और स्थानीय स्वशासन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। पंचायतों में गुटबन्दी को समाप्त करने के प्रयास किए जाने चाहिए। स्थानीय प्रजातांत्रिक संस्था में इच्छुक स्थानीय लोगों को शामिल करने के लिए उचित वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रणाली को लागू करने तक उचित वातावरण तैयार करने से अपेक्षित सुधार हो सकता है।

अनुवाद : श्रीमती किरण गुप्ता

गांव की बहनें हमारी

आशा शुक्ला

व्यर्थ क्यों पीती रहें
बेबस नयन के अश्रु खारी ?
गांव की बहनें हमारी।

समय से पिछड़ी हुई जर्जर प्रथाएँ,
अब न इनकी राह हरगिज रोक पाएँ;
द्वार-देहरी बंधनों को पार करके-
साथ ही युग के चरण ये भी बढ़ाएँ।

ये बढ़ीं जब कर्म-पथ पर,
तब हमेशा नियति हारी।
नया सब बदला हुआ वातावरण हो,
स्वच्छ जन-जन का धवल अन्तःकरण हो;
नारियों को दें उचित सम्मान हम सब—
नहीं उनसे कहीं अनुचित आचरण हो।

शक्ति का प्रतिरूप हैं ये,
शक्ति के ही सब पुजारी।
पर्वतों पर, खेत या खलिहान में हों,
कारखाना या किसी भी खान में हों;
प्रगति की अभिनव कथा लिखती रहें ये—
देश के जयगीत स्वर में, प्राण में हों।

हर दिशा में आज नर को
दे सतत् सहयोग नारी
गांव की बहनें हमारी।

गंजमुरादाबाद, उन्नाव
(उ.प्र.) 241502

पंचायती राज सम्मेलन–एक विश्लेषण

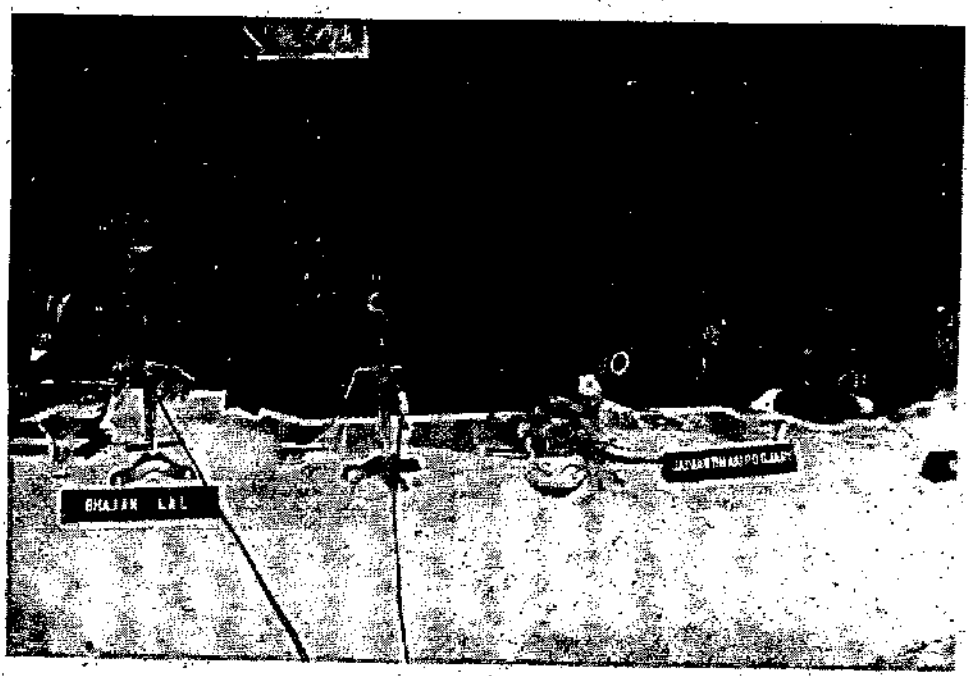

ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में 27 जनवरी, 1989 से 30 जनवरी तक का चार दिवसीय पंचायती राज सम्मेलन सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में दस राज्यों और एक केन्द्र शासित क्षेत्रों के करीब 6,000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का उद्घाटन 27 जनवरी, 1989 को प्रधानमंत्री ने किया। वे 30 जनवरी को देर रात तक चले समापन समारोह में काफी देर तक उपस्थित रहे और समापन भाषण दिया।

सम्मेलन में वक्ताओं ने प्रधानमंत्री के प्रति हृदय से आभार प्रकट किया कि उनकी पंचायती राज में इतनी आस्था हैं और उनका दृढ़ निश्चय है कि पंचायती राज संस्थाओं की पुनः स्थापना शक्तिशाली रूप में होगी। अधिकांश प्रतिनिधिगण इस बात से प्रभावित थे कि प्रधानमंत्री को पंचायती राज प्रणाली की समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी है और उन्होंने इन समस्याओं पर गहराई से विचार किया है। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में इन समस्याओं के हल के लिए कई विकल्प सुझाए। पिछले अनेक वर्षों में पंचायती राज संस्थायें उपेक्षित रही हैं इसलिए स्वयं प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में आए प्रतिनिधिगण विभोर थे और उन्होंने इस सम्मेलन को एक ऐतिहासिक घटना बताया।

चार दिन के सम्मेलन के दौरान लगभग 200 वक्ताओं ने अपनी और अपने सहयोगियों की तरफ से राय व्यक्त की। ये वक्ता चारों श्रेणी के थे यथा ग्राम पंचायतों के सरपंच, पंचायत समितियों के प्रधान, जिला प्रमुख और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष। सम्मेलन की चर्चाओं में उच्च कोटि के विचार व्यक्त किए गए। एक ओर वे प्रतिनिधि थे जिनका पंचायती राज से लम्बे अर्से से गहरा नाता रहा है, दूसरी ओर वे प्रतिनिधि थे जिन्होंने स्थानीय समस्याओं पर गहराई से चिन्तन किया है। कुछ वक्ता ऐसे भी थे जिन्होंने पंचायती राज की मौजूदा दबी हुई प्रणाली के विरुद्ध गहरा आक्रोश व्यक्त किया। कुछ वक्ताओं ने राज्य सरकार के अधिकारियों और विधायकों द्वारा उनके साथ किए जाने वाले दुर्व्यवहार का भी ज़िक्र किया।

निम्नलिखित मामलों में प्रतिनिधियों ने आमतौर पर एक राय व्यक्त की :–

1. **पंचायती राज प्रणाली का पूरे भारत में एक समान स्वरूप होना चाहिए।**
2. **प्रणाली तीन-स्तरीय होनी चाहिए और पंचायतों की अवधि पांच वर्ष हो।**
3. **पंचायती राज निकायों के स्तर और अधिकारों के संरक्षण के लिए संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए।**
4. **नियमित रूप से चुनाव कराये जायें और ये चुनाव आयोग की देखरेख में कराये जाने चाहिए।**
5. **पर्याप्त साधन प्राप्त करने और वित्तीय सुदृढ़ता सुनिश्चित करने के लिए, संसाधनों की ज्यादा सुपुर्दगी की जानी चाहिए और इस कार्य के लिए वित्त आयोग जैसी एक संस्था का होना जरूरी है।**
6. **चुने गए प्रतिनिधियों/निकायों को अधिकारियों द्वारा भंग नहीं किया जाना चाहिए।**
7. **इन संस्थाओं को पर्याप्त अधिकार देने के लिए इनका जिला और अन्य स्तरों के अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण निश्चित किया जाना चाहिए।**
8. **डी.आर.डी.ए./संसद सदस्यों/विधायकों की समिति तथा ऐसी ही संस्थाओं को जिला परिषद में मिला दिया जाना चाहिए।**
9. **नगर पालिकाओं को जिला परिषद से अलग एक निकाय के रूप में बने रहना चाहिए लेकिन दोनों निकायों में एक दूसरे का प्रतिनिधित्व रखा जा सकता है।**
10. **पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को विभिन्न प्रकार की सुविधायें और भत्ते इत्यादि मिलने चाहिए जैसे कि संसद सदस्यों और विधायकों को मिलते हैं।**

अधिकांश प्रतिनिधियों ने यह महसूस किया कि जिला कलेक्टर विकास प्रशासन का अंग नहीं होने चाहिए। कुछ ने यह महसूस किया कि वह जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी न होते हुए एक सदस्य के रूप में रह सकता है।

चुनावों के तरीकों के प्रश्न पर अधिकांश प्रतिनिधियों ने यह महसूस किया कि निचले स्तर पर यह प्रत्यक्ष तौर पर होना चाहिए और उच्च स्तरों पर यह चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हो सकता है। इसी प्रकार कई वक्ताओं ने पंचायत स्तर पर दलगत आधार पर चुनाव न कराए जाने की राय प्रकट की जबकि उन्होंने उच्च स्तरों पर पार्टी के आधार पर चुनाव कराए जाने पर सहमति दी।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों और महिलाओं के आरक्षण के बारे में आम सहमति थी, फिर भी इन वर्गों के आरक्षण की सीमा के बारे में उनके विचार अलग-अलग थे।

समापन सत्र में कृषि मंत्री ने चार दिन की चर्चा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि जब पंचायती राज का जिक्र होता है तब हमारा ध्यान महात्मा गांधीजी की ओर जाता है जिनका आज निर्वाण दिवस है। बापू ने कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बापू के सपने को साकार करने की कोशिश की। इन्दिराजी ने भी उस विचार को आगे बढ़ाया। सम्मलेन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री जी ने आपको पहले ही बता दिया कि पंचायती राज में क्या-क्या त्रुटियां हैं और उन्हें हम किस प्रकार ठीक करने की कोशिश कर सकते हैं। इस विषय पर दो मत हो ही नहीं सकते कि पंचायती राज को मजबूत करना है और उसके द्वारा ही ग्रामीण विकास सही ढंग से हो पायेगा। जो काम पंचायती राज के द्वारा हो सकता है वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। गांवों में रहने वालों को ही उनकी समस्याओं का और समस्याओं का हल अच्छी तरह से मालूम हैं।

कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने यह सम्मेलन ऐसे ही नहीं बुला लिया। उन्होंने पंचायती राज के सन्दर्भ में पहले जिला कलेक्टरों से बात की, उसके बाद इस विषय पर राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों से चर्चा की गयी, समस्या की तह में जाने के बाद ही उन्होंने यह सम्मेलन बुलाया। कुछ लोग इस बात से घबरा गए हैं कि पंचायती राज के पदाधिकारियों का सीधा सम्बन्ध प्रधानमंत्री जी से कैसे हो गया। यह स्पष्ट है कि कुछ लोग चाहते हैं कि पंचायती राज को दबाकर रखा जाए। आप याद रखें कि पंचायती राज प्रजातंत्र की पहली सीढ़ी है और लोकसभा सबसे ऊपर की सीढ़ी है। जिस प्रकार यदि हमारे पांव मजबूत नहीं होंगे तो शरीर लड़खड़ा जायेगा, उसी प्रकार यदि पंचायती राज मजबूत नहीं है तो ऊपर का ढांचा मजबूत नहीं हो पायेगा।

श्री भजनलाल ने बताया कि प्रथम सम्मेलन में उत्तर

(शेष पृष्ठ 60 पर)

नगालैण्ड में विकेन्द्रीकरण : एक प्रयोग

डा० बी.एन. सहाय

संयुक्त सलाहकार, योजना आयोग

सत्ता और दायित्व के विकेन्द्रीकरण के अब तक जो सफल प्रयोग हुए हैं उनमें नगालैण्ड सरकार का प्रयोग विशेष ध्यान आकृष्ट करता है जिसमें गांवों को सीधे योजना-निधि आबंटित करके ग्राम स्तर पर आयोजना तथा कार्यान्वयन की क्षमता धीरे-धीरे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस लेख में इस प्रयोग का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस उम्मीद से कि जनता के पूरे सहयोग से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने और उसे कार्यान्वित करने में नगालैण्ड के अनुभवों का उपयोग हो।

उद्गम

नगालैण्ड में प्रत्येक गांव में विनियामक और कार्य-निष्पादक संस्था के रूप में ग्रामीण परिषद और ग्राम विकास बोर्ड है। ग्राम परिषद की परंपरागत संस्था को (सांविधिक संस्था ग्राम पंचायत के अनुरूप) 1968 में कानूनी दर्जा दिया गया था। बाद में, 1978 में परंपरागत ग्राम परिषदों को विकास के कार्यों को देखने के अधिकार भी दिए गए। इसके परिणामस्वरूप 1980 में प्रत्येक गांव में ग्राम परिषद ने ग्राम और क्षेत्र परिषद अधिनियम 1978 के अंतर्गत ग्राम विकास बोर्ड नियमावली, 1980 के अधीन, ग्राम विकास बोर्ड बनाए। विकास बोर्ड के मुख्य कार्य ग्राम विकास बोर्ड नियमावली 1980 के नियम-3 के अन्तर्गत इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं—

> "ग्राम विकास बोर्ड.....ग्राम या ग्राम के लोगों की उन्नति और विकास के लिए.....योजनाएं और कार्यक्रम बनाएगा.....जिसके लिए वह ग्राम समुदाय के धन या अन्य निधियों का उपयोग करेगा।"

ढांचा

ग्राम विकास बोर्ड में ग्राम परिषद द्वारा नियुक्त सभी कबीलों (खेल) के प्रतिनिधि सदस्य होंगे जिनमें कम-से-कम एक महिला होगी। इनमें से एक साक्षर व्यक्ति को सचिव चुना जाएगा जो मुख्य कार्यकर्ता होगा, ग्राम विकास बोर्ड का अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर होगा जो मध्यस्थ और संयोजक के रूप में काम करेगा और वह ग्राम विकास बोर्ड के बैंक-खातों से रकम निकालने के विषय में वीटो (निषेधाधिकार) का इस्तेमाल कर सकता है। इस संगठन के ढांचे और उसके कार्यों का निर्धारण ग्राम विकास बोर्ड नियमावली में किया गया है।

साधन स्रोत

ग्राम समुदाय की परिसंपत्तियों, सामग्री तथा श्रम के अलावा ग्राम विकास बोर्ड के आय स्रोत निम्नलिखित हैं:—

1. गांव के लोगों द्वारा घरेलू चन्दे, सामुदायिक काम, दान आदि के रूप में जमा राशि।
2. ऊपर (1) के रूप में इकट्ठी रकम के बराबर राज्य सरकार का अनुदान जिसे पांच साल या अधिक की अवधि के लिए बैंक में नियतकालिक जमा के रूप में रखा जाता है। इस निवेश की अधिकतम सीमा 75,000 रुपए हैं। इससे मिलने वाले वार्षिक ब्याज और ऋण-सुविधाओं से ग्राम विकास बोर्ड विकास के कार्य करता है। ये नियतकालिक जमा राशियां ग्राम की विकास पूंजी बनती हैं और दूर-दूर के गांवों को भी वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती हैं।
3. राज्य सरकार का वार्षिक आवर्ती सहायक अनुदान जो 300 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से मिलता है, इसकी अधिकतम सीमा 1,50,000 रुपए और न्यूनतम 15,000 रुपए प्रति ग्राम विकास बोर्ड है। यह सहायक अनुदान गांव की योजना के आकार का मुख्य अवयव होता है। इस अनुदान कार्यक्रम का कार्यान्वयन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्य विधि से किया जाता है।

गतिविधियां

गांव के लोगों द्वारा महसूस की गई जरूरतों (ग्राम विकास बोर्डों द्वारा सम्पन्न योजनाओं में प्रतिष्ठित) के आधार पर राज्य सरकार ने 29 कार्य योजनाएं अनुमोदित की हैं। ग्राम विकास बोर्डों द्वारा प्रयोगात्मक कार्यों के अलावा ग्राम विकास बोर्ड अपनी योजनाएं चुनकर सहायक अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी वार्षिक ग्राम योजना में शामिल करते हैं। यह एक लम्बी सूची है जिसमें ग्राम विकास की व्यापक प्रक्रिया में सुधार करने या उसे आगे बढ़ाने की योजनाएं शामिल हैं।

गांवों का निरीक्षण

कोहिमा जिले के जोत्सोमा गांव और मोकोकचुंग जिले के चुचुईमियांग गांव का निरीक्षण किया गया और वहां के ग्राम

परिषदों तथा ग्राम विकास बोर्ड के सदस्यों से विस्तार से बातचीत की गई। मैं जोत्सोमा में 1981 में गया था, ग्राम विकास बोर्डों का गठन हुआ ही था। यह दौरा सात साल के बाद किया गया। जैसे ही मैंने गांव में प्रवेश किया, मैं देखकर दंग रह गया। गांव ने प्रगति को चुना था। दोनों गांवों का विवरण इस प्रकार है:—

जोत्सोमा: अंगामी नागाओं का यह गांव 5,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और जिला मुख्यालय कोहिमा से 12 किलोमीटर (उत्तर पश्चिम में) है। यहां 300 परिवार (जनसंख्या 1800) रहते हैं जो पहाड़ी ढलान के स्थायी खेतों में धान की खेती करते हैं। कुछ परिवार 'झूम' खेती भी करते हैं और मक्का, बाजरा आदि उगाते हैं। कुछ परिवार आल्डर (मिदुर) पेड़ों, (जिनकी शाखाएं काट दी जाती हैं और तनों को नहीं काटा जाता) के स्थाई वन में बाजरा, आलू और लालमिर्च की खेती करते हैं। इन किसान परिवारों के अलावा कुछ लोग सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं। गांव का साक्षरता प्रतिशत राज्य के औसत 40 से कुछ अधिक है। गांव के बीच प्राथमिक स्कूल है और एक किलोमीटर की दूरी पर मिडिल व हाई स्कूल है। गांव में एक चर्च, एक कम्युनिटी हाल, पानी का नल और स्वास्थ्य केन्द्र हैं। गांव सड़कों से जुड़ा हुआ है।

चुचुईमियांग: आओ नागाओं का यह गांव 4,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है और जिला मुख्यालय मोकोकचुंग से 32 किलोमीटर (उत्तर) में है। यहां 500 परिवार (जनसंख्या 3000) है जिनमें अधिकांश झूम खेती करके धान, मक्का, बाजरा उगाते हैं। कुछ परिवारों ने हाल ही में कॉफी उगाना भी शुरू किया है। यहां देखा गया कि 'झूम' खेती की उपज कम होने के कारण यहां के काफी लोग मोकोकचुंग, कोहिमा और दीमापुर शहरों में रोजी के लिए चले गए हैं और सामाजिक-आर्थिक जरूरतों के लिए गांव से कुछ संबंध बनाए हुए हैं। साक्षरता का प्रतिशत राज्य के औसत से कुछ अधिक है। गांव में प्राथमिक स्कूल है और मिडिल व हाई स्कूल गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर है। गांव में एक नई बनी चर्च, एक कम्युनिटी हाल, नल के पानी की सुविधा और स्वास्थ्य उप-केन्द्र की सुविधा है। हालांकि गांव राज्य के राजमार्ग के किनारे स्थित है, गांव को जोड़ने वाली सड़क अभी कच्ची है।

ग्राम विकास बोर्डों के कार्य

जोत्सोमा का ग्राम विकास बोर्ड 1981 में बना था और चुचुईमियांग का 1980 में। दोनों गांवों में सहायक अनुदान और समान अनुदान योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य हाथ में लिए तथा पूरे किए गए:—

(1) जोत्सोमा:— 1980-81 से तथा 1987-88 ग्राम विकास बोर्ड को कुल 4.75 लाख रुपए सहायक अनुदान मिला जिसमें लगभग 50 योजनाएं हाथ में ली गईं। इनमें से प्रमुख योजनाएं हैं:— एक बड़ा कम्युनिटी (परिषद) हाल, गांव का अनाज भंडार, सामुदायिक धान की चक्की (जिसे औरतें चलाती हैं) सामुदायिक मछली तालाब, महिला समिति का भवन, खेतों के रास्ते में आराम करने के लिए शेड, औरतों द्वारा अनुरक्षित साग-सब्जी की क्यारियां, नालों के ऊपर झूलते पुल, बच्चों का घर, सामाजिक वानिकी आदि और बनाई गई परिसम्पत्तियों का रख-रखाव। ग्राम विकास बोर्ड को 75000 रुपए का अधिकतम समान अनुदान भी मिला। इस प्रकार ग्राम विकास बोर्ड की स्थाई विकास पूंजी 1.75 लाख रुपए है जो बैंक में नियमकालिक जमा के रूप में है। ग्राम विकास बोर्ड ने अभी तक गांव से 70 किलोमीटर दूर दीमापुर में एक भवन के निर्माण के लिए 1.5 लाख रुपए का कर्ज लिया जिससे गांव को 5,000 रुपए प्रतिमास की आमदनी होती है। यह एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जिसमें गांव के लोगों द्वारा शहर में किए गए निवेश की आमदनी वापस गांव के लोगों के काम आती है। बैंक का कर्ज चुकाया जा चुका है और अब शेष आमदनी को भवन का विस्तार करने में लगाया जा रहा है।

(2) चुचुईमियांग:— यहां भी 1980-81 से 1987-88 की अवधि में सहायक अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार से 6 लाख रुपए की राशि मिली। इस सहायता से ग्राम विकास बोर्ड ने 32 योजनाएं पूरी कीं। इनमें कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं—सामुदायिक अनाज भंडार, धान के अतिरिक्त स्टॉक की खरीद, खाल (मोहल्लों) के बीच चिनाई वाले रास्ते, गर्त-शौचालय, खेतों और गांवों के बीच सड़कें, महिला समिति का केला फार्म, सामुदायिक मछली तालाब, महिला समिति का भवन, सामुदायिक कुएं /तालाब (या गांव के आस-पास बारह महीने बहने वाली छोटी नहरें, पुलिया और झूलते पुल आदि, और बनाई गई परिसम्पतियों की देख-रेख। इस अवधि में ग्राम विकास बोर्ड को 75 हजार रुपए का समान अनुदान भी मिला जिससे 1.5 लाख रुपए की स्थाई विकास पूंजी का निर्माण हुआ। इस रकम की जमानत पर ग्राम विकास बोर्ड ने अभी तक 70,000 रुपए का कर्ज गांव या अलग-अलग परिवारों की भलाई के लिए विकास तथा उत्पादन के विविध कार्यों के लिए लिया है।

ग्राम विकास बोर्डों की उपलब्धियां

उपर्युक्त चर्चा से स्पष्ट है कि

(1) गांव के जीवन में सुधार करने वाले कई विकास कार्यों को पूरा किए जाने के कारण ही योजनाओं का चुनाव लोगों की अपनी कल्पनाओं, समस्याओं और जरूरतों के अनुरूप किया गया था।

(2) अगर गांवों के लोगों को मौका दिया जाए तो वे अपनी

तत्काल भौतिक जरूरतों (जैसे भूख से सुरक्षा) और मूल ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए योजनाएं चुन सकते हैं। पहले अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए और बाद में उत्पादन को बढ़ाने और उसमें विविधता लाने के लिए; और

(3) मौका दिए जाने पर गांवों के लोग कम-से-कम खर्च पर मूल्यवान और उपयोगी परिसम्पत्तियों का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए कि लोग अपनी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति के लिए श्रम और सामग्री का योगदान करने को प्रेरित होते हैं।

ग्राम विकास बोर्डों की कार्यविधि का महत्व

पहले दिया गया विवरण इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि प्रत्येक गांव में, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, लोगों के सर्वतोन्मुखी विकास के लिए सरकार और जनता के बीच सफल सहयोग और साझेदारी हो सकती है। यह सपना वास्तविकता में इसलिए बदल सका क्योंकि:

(1) परंपरागत राजनैतिक संस्थानों के महत्व को समझा गया और पुराने और नए विचारों, मूल्यों, संस्थाओं के बीच अच्छा तालमेल स्थापित किया जा सका। इससे सम्भव तनावों और टकराव की स्थितियों से बचा जा सका क्योंकि धीरे-धीरे परिवर्तन चाहने वाले परंपरागत ग्राम प्राधिकारियों (ग्राम पार्षदों के हाथ) और तेजी से परिवर्तन चाहने वाली नई पीढ़ी के टकराव की स्थिति नहीं आई। वास्तव में जहां भी नई और पुरानी पीढ़ी को मिलकर अपने विकास के लिए स्वयं रास्ता बनाना है, वहां ग्राम विकास बोर्डों जैसे मंच के सिवाय और विकल्प ही नहीं है।

(2) जनता और उसकी समस्याओं के सम्बन्ध में हमारी क्या दृष्टि हो, इस बारे में जवाहरलाल नेहरू का एक मूलभूत सिद्धान्त यह था कि विकास समाज की अपनी प्रकृति और प्रतिभा के अनुसार होना चाहिए और कोई चीज़ उन पर लादी नहीं जानी चाहिए। हमें अपने दौरे से लगा कि सरकारी तंत्र ने इस सिद्धान्त को आत्मसात कर लिया है जिसका सबूत जनता के साथ उनके ताल-मेल से मिला। जनता के प्रति उनका रवैया मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक का था, अफसर, बड़े भैया या उपदेशक का नहीं।

(3) विकास की प्रक्रिया परंपरागत सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक संस्थाओं के माध्यम से चलाई गई न कि उनकी प्रतिद्वंद्विता में। इस काम में न उस क्षेत्र में ज्यादा सरकारी तंत्र लाया गया और न अनेक प्रकार की योजनाएं जनता पर थोपी गईं। संयुक्त प्रबंध की कल्पना के अन्तर्गत एक तरफ पुराने और नए (परंपरागत और नवोदित) के बीच और दूसरी तरफ ग्राम और कलैक्टर (प्रमुख सरकारी प्रतिनिधि) के बीच जीवंत सम्बन्ध स्थापित किया गया।

(4) परस्पर संवाद की सुविचारित और सुगम प्रणाली के माध्यम से सरकारी अधिकारियों और ग्रामवासियों को ऐसे अवसर जुटाए गए जिससे एक तरफ सरकारी अधिकारियों में नई तरह की सोच विकसित हुई, दूसरी तरफ ग्राम-नेताओं को आयोजन, प्रशासन और प्रबन्ध कौशल का प्रशिक्षण मिला। यह काम ग्राम विकास बोर्डों के सचिवों और ग्राम परिषद के अध्यक्षों के जिला मुख्यालयों में हुए प्रशिक्षण शिविरों, सम्मेलनों आदि के माध्यम से हुआ। गांव के लोगों में आत्मविश्वास की भावना और लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय स्पष्ट है। एक नए मानव चरित्र का विकास स्पष्ट लक्षित होता है।

(5) ग्राम स्तर पर विकास कार्यों को हाथ में लेने और निधि के उपयोग की खुली व्यवस्था के कारण आंतरिक चौकसी और निगरानी व्यवस्था अपने आप बन गई है।

व्यापक प्रयोग

प्रश्न यह है कि क्या नगालैण्ड ग्राम विकास बोर्डों के प्रयोग भारत के अन्य भागों में किए जा सकते हैं या नहीं, विशेषकर जब विकास के स्तर और सामाजिक-सांस्कृतिक कारक इतने भिन्न हों। इस प्रश्न का उत्तर 'हां' में हो सकता है यदि,

(1) इस विधि का प्रयोग नगालैण्ड जैसे सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक वातावरण में हो, जहां परंपरागत राजनैतिक व्यवस्था विद्यमान हो। हमारे बहुत से पर्वतीय जनजातीय क्षेत्र आवश्यक संशोधनों के साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं। उत्तर-पूर्व के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष रूप से इसका उपयोग किया जा सकता है।

(2) जिन राज्यों में ग्राम पंचायतें काम कर रही हैं वहां भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए ग्राम पंचायतों के ढांचे का अध्ययन करना जरूरी होगा विशेषकर संयुक्त प्रबन्ध और सहकारिता की संकल्पना का समावेश करते हुए।

(3) जहां ग्राम पंचायतें काम नहीं कर रही हैं वहां इन्हें पुनर्जीवित करने की कोशिश जल्दी की जानी चाहिए ताकि जनता योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित न रहे।

यह कहने की जरूरत नहीं कि लोकतंत्र से हमारा देश स्थाई

बन गया है। जरूरत इस बात की है कि विकास और लोकतंत्र के संबंध का जनता के स्तर पर संस्थानीकरण किया जाए जिसके लिए ग्राम पंचायतों और सरकारी तंत्र के बीच साझेदारी की भावना विकसित करनी होगी। इस तरह विकास के लाभ और कष्टों के उचित बंटवारे की संतोषजनक प्रणाली विकसित हो सकती है।

ग्राम विकास बोर्ड आदर्श नियमावली 1980 के अंश

संरचना : ग्राम विकास बोर्ड के सदस्य ग्राम परिषद द्वारा चुने जाएंगे। सदस्यों का कार्यकाल 3 साल का होगा, यदि ग्राम परिषदों ने प्रस्ताव द्वारा कोई और अवधि निश्चित न की हो। इन सदस्यों में ग्राम परिषदों के सदस्य भी हो सकते हैं और वे भी जो ग्राम परिषदों के सदस्य नहीं हैं या जो उम्र, परंपरा या रिवाज के कारण ग्राम परिषदों के सदस्य नहीं बन सकते हैं। कम-से-कम एक महिला ग्राम विकास बोर्ड में जरूर होनी चाहिए जो गांव की महिलाओं का प्रतिनिधित्व करे। सरकारी कर्मचारियों को बोर्ड का सदस्य, सरकार की अनुमति के बाद, चुना जा सकता है।

ग्राम विकास बोर्ड की सदस्यता ग्राम परिषद के प्रस्ताव द्वारा, जिसमें कारण दिया गया है, समाप्त की जा सकती है।

उपायुक्त ग्राम विकास बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होगा।

ग्राम विकास बोर्ड के सदस्य अपने में किसी एक व्यक्ति को सचिव चुनेंगे जो साक्षर होना चाहिए।

अध्यक्ष और सचिव के कर्त्तव्य

जब कभी बोर्ड बैंक से पैसा निकालने के लिए सचिव का प्राधिकार देने का प्रस्ताव पास करेगा तो प्रस्ताव की तीन प्रतियां तैयार की जाएंगी जिन पर बोर्ड की बैठक में उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद सचिव इन तीन प्रतियों के साथ अध्यक्ष से मिलेगा। अध्यक्ष इन प्रतियों की जांच करेगा। अगर वह उनमें कोई गलती नहीं पाएगा तो उन तीनों प्रतियों पर अपने हस्ताक्षर करेगा। इसके बाद एक प्रति चैक के साथ संलग्न होगी, दूसरी प्रति अध्यक्ष के कार्यालय में रहेगी और तीसरी प्रति सचिव द्वारा गांव में वापस लाई जाएगी और अगले महीने की सार्वजनिक सभा में पढ़ी जाएगी।

अगर अध्यक्ष को कुछ मामूली संदेह होगा तो वह अपनी प्रति पर अपने विचार लिखेगा लेकिन दूसरी दो प्रतियों पर अनुमोदन देगा। इसके बाद अध्यक्ष अपनी टिप्पणी की प्रतिलिपियां ग्राम परिषद के अध्यक्ष और सदस्यों को भेजेगा।

अगर अध्यक्ष को प्रस्ताव के औचित्य में गंभीर सन्देह हो तो वह उस प्रस्ताव को अपनी टिप्पणी के साथ पुनर्विचार के लिए भेजेगा, गांव की खुली बैठक के लिए दिन तय करेगा और जनता के समक्ष यह मामला रखा जाएगा। ■

साभार योजना

(पृष्ठ 56 का शेष)

पश्चिमी राज्यों के पंचायती राज के प्रतिनिधि आए है। उत्तरी-पूर्वी और पूर्वी राज्यों तथा दक्षिण राज्यों के ऐसे ही दो सम्मेलन आगामी मार्च और अप्रैल में बुलाए जाएंगे और इन तीनों सम्मेलनों के बाद ही निर्णय लिये जा सकेंगे।

प्रधानमंत्री ने समापन सत्र में प्रतिनिधि वक्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को उनका उचित दर्जा दिलवाने के लिए सभी प्रयास किए जायेंगे ताकि वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों के अनुरूप कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर अंतिम राय मार्च और अप्रैल के प्रारम्भ में होने वाले पूर्वी तथा उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र एवं दक्षिण क्षेत्र के दो सम्मेलनों के बाद ही ली जा सकती है। उन्होंने यह भी बताया कि इन मामलों पर विचार कराने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक समिति भी बनाई गई है। उन्होंने प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि आने वाले बजट सत्र में सरकार आवश्यक विधेयक लाने का प्रयत्न करेगी और पंचायती राज संस्थाओं को फिर सक्रिय करने के मामलों पर इसी वर्ष में ठोस कार्रवाई की जायेगी।

प्रस्तुति—मदनमोहन
वरिष्ठ अनुवादक
ग्रामीण विकास विभाग

टिस्कों का ग्रामीण विकास कार्यक्रम एक समीक्षा

—डॉ. एन.पी. अग्रवाल
सतीश मोहन गोयल

भारत ग्रामीण प्रधान देश है। यहां की 76.3 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। भारतीय ग्रामीण जनसंख्या रूढ़िवादी तथा अशिक्षित होने के कारण आज भी इन क्षेत्रों का सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। साधनों, सुविधाओं, रुचि, यन्त्रीकरण तथा विज्ञान के ज्ञान के अभाव के कारण ग्रामीण परम्परागत कार्य प्रक्रियाओं में संलग्न हैं। भारतीय ग्रामीण मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर हैं। भारतीय राष्ट्रीय आय में आज भी 50% कृषि क्षेत्र का योगदान है। भारतीय भूमि धनी है किन्तु भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में पूंजी व तकनीकी साधनों का अभाव है अतः यहां की कृषि व्यवस्था अत्यधिक पिछड़ी व निम्न स्तरीय होने के कारण भारतीय ग्रामीण प्रतिदिन विश्व के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में निरन्तर पिछड़ता जा रहा है। इसका एक मुख्य कारण भारत में ग्रामीण विकास योजना का अभाव भी है। यद्यपि विगत 30 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिये सरकार द्वारा कई कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा चुके हैं लेकिन वर्तमान समय तक इनका कोई प्रभावशाली ढंग से हल नहीं निकला है। अतः इसके लिये यह नितान्त आवश्यक है कि व्यापारिक व औद्योगिक संस्थायें भी ग्रामीण विकास कार्यक्रम निर्धारित कर इस हेतु कार्यक्रम क्रियान्वित करें। इस सन्दर्भ में टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा ग्रामीण विकास हेतु किये गये कार्य अत्यधिक प्रशंसनीय हैं जिसके कारण जमशेदपुर के आस-पास का ग्रामीण वातावरण विगत वर्षों में अत्यधिक विकसित हुआ है।

टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी ने ग्रामीण विस्तार हेतु कुछ वर्ष पूर्व ग्रामीण विकास योजना प्रारम्भ की। इसके क्रियान्वयन के लिये कम्पनी द्वारा एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम "टाटा स्टील रूरल डवलपमेंट सोसाइटी" है। इस समिति का प्रमुख उद्देश्य जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु कृषि, डेयरी तथा कृषि पर आधारित अन्य कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये सुधारात्मक उपाय खोजना तथा तकनीकी विशेषज्ञ नियुक्त करना था जिससे ग्रामीणों को कृषि तथा अन्य उद्योगों के लिये नई-नई जानकारियां प्राप्त हो सकें। इस कार्य के लिये कम्पनी द्वारा योजना के प्रारम्भिक वर्ष में 1.50 करोड़ रु. का बजट निर्धारित किया, जो मुख्य रूप से जमशेदपुर के 75 गांवों के विकास हेतु व्यय किया गया।

कम्पनी द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम को निम्न तीन मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत क्रियान्वित करने हेतु योजना तैयार की गई:

1. कृषि और फसल विस्तार,
2. सम्बद्ध व्यवसायों जैसे डेयरी, मुर्गीपालन शूकर पालन और बकरी प्रजनन के लिये प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना,
3. ग्रामोद्योग स्थापित करना तथा प्रशिक्षण देना।

कम्पनी द्वारा ग्रामीण विकास हेतु तैयार की गई उक्त योजना के फलस्वरूप जमशेदपुर में तीन बड़े बांधों का निर्माण किया गया क्योंकि कृषि तथा फसल विस्तार कार्यक्रम जल स्रोत तथा सिंचाई की सुव्यवस्थित व्यवस्था पर ही आश्रित हैं। अतः बांधों के निर्माण के कारण ग्रामीण कृषि विस्तार प्रभावी हुआ तथा इससे 75 एकड़ धान की अच्छी फसल को सुरक्षा प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त कम्पनी द्वारा इस शीर्ष के अधीन सिंचाई की सुविधा के लिये जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में आठ कुएं भी खुदवाये गये तथा कृषकों को कम्पनी ने अपने खर्चे पर पम्पसेट व डिलीवरी पाइप भी उपलब्ध कराये जिससे जमशेदपुर के कई गांव लाभान्वित हो रहे हैं।

इस आर्थिक व भौतिक सहायता के साथ-साथ कम्पनी द्वारा ग्रामीणों को कृषि विशेषज्ञों से परामर्श करने की मूल्यवान सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कम्पनी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ जमशेदपुर के ग्रामीण क्षेत्रों का निरीक्षण करते हैं और ग्रामीणों को मिट्टी के स्वरूप, बीज व खाद डाले

जाने की सही तकनीक, उर्वरक शक्ति को बढ़ाने, कृषि की नवीन रीतियों तथा विभिन्न अन्य तकनीकी मामलों की जानकारी प्रदान करते हैं। जिससे कृषक सही समय पर, सही फसल, सही तकनीक के अन्तर्गत बोता है और अच्छी फसल प्राप्त करता है। कम्पनी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञों ने ग्रामीणों को दो फसल (रबी व खरीफ) की जानकारी भी दी जाती है जिससे कृषकों की वर्ष में एक फसल की परम्परागत विचारधारा में परिवर्तन हो रहा है। कम्पनी द्वारा उपलब्ध की गई इस योजना का लाभ प्रारम्भिक वर्ष में लगभग 7500 कृषकों ने प्राप्त किया। कम्पनी द्वारा कृषि और फसल विस्तार कार्यक्रम पर वार्षिक व्यय 10 लाख रु. निर्धारित किये हैं तथा कृषकों को बीज, खाद उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों के लिये कम्पनी द्वारा अतिरिक्त ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई है।

ग्रामीण विकास कार्यक्रम के दूसरे शीर्ष के अधीन कम्पनी द्वारा जमशेदपुर में एक डेयरी स्थापित की है जिससे जमशेदपुर में दूध व पोषण पूर्ति के साथ-साथ ग्रामीण आय में भी वृद्धि हुई है। कम्पनी द्वारा एक फार्म भी चलाया जाता है जिसमें आस-पास के गांवों के दूध को संग्रहित करके उसे सुरक्षित रखकर बेचा जाता है। कम्पनी द्वारा अच्छी नस्लें के दुधारू पशुओं के प्रजनन और उनकी देखभाल के लिये एक इकाई स्थापित की गई है जो ग्रामीणों को दुधारू पशु रखने की आधुनिक तकनीक से अवगत कराती है। यह इकाई शूकर, बकरे-बकरियों, मुर्गी-मुर्गीयों के प्रजनन की अच्छी व्यवस्था करती है। इन दो योजनाओं के पूरक के रूप में कम्पनी द्वारा इनसे सम्बद्ध कुटीर उद्योगों के स्थापना की भी योजना तैयार की है। इनमें मुख्य रूप से डेयरी, पशुपालन तथा मुर्गीपालन ग्रामीण परम्परा और संस्कृति के अधिक निकट होने के कारण ग्रामीणों को अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम है। कम्पनी द्वारा ऐसे कृषि से सम्बद्ध व अन्य कुटीर व लघु उद्योगों की भी स्थापना की है जिनमें ग्रामीण शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है जैसे ईंटें बनाना, बीड़ी बनाना, बेंत व माचिस बनाना आदि।

ग्रामीण उद्योग कौशल की कमी को दूर करने के उद्देश्य से कंपनी द्वारा जमशेदपुर में "ग्राम उद्योग केन्द्र" स्थापित किया है जिसमें लगभग 100 ग्रामीण प्रतिवर्ष उद्योगों के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किये जाते हैं। कम्पनी द्वारा इस ग्राम उद्योग केन्द्र को वित्तीय सहायता दी जाती है और तकनीकी तथा प्रबन्ध व्यवस्था विशेषज्ञ और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कम्पनी ग्रामीण उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिये स्वयं एक करोड़ रु. का प्रतिवर्ष ग्रामीण उत्पादन क्रय करती है।

टिस्को द्वारा बागवानी और सामुदायिक वृक्षारोपण की व्यवस्था पर 1,00,000 रु. प्रतिवर्ष व्यय किये जाते हैं। इसके साथ ही ग्रामीण सांस्कृतिक, प्रौढ़ शिक्षा और अन्य विकास कार्यक्रमों हेतु कम्पनी द्वारा योजना के प्रारम्भिक वर्ष में 6,81,000 रु. आबंटित किये गये। कंपनी द्वारा वनों की सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की गई है तथा ग्रामीणों को ईंधन लकड़ी व पशु सम्पदा को प्रोत्साहित करने हेतु घास व चारा उपलब्ध कराया जाता है।

इस प्रकार निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि टिस्को कम्पनी के ग्रामीण विकास कार्यक्रम स्थानीय समुदाय के लाभ के लिये ही नहीं है, बल्कि यह कम्पनी का एक वास्तविक सामाजिक दायित्व है। कम्पनी द्वारा ग्रामीण विकास हेतु किये गये कार्य प्रशंसनीय हैं। इस सम्बन्ध में कम्पनी को ग्रामीण शिक्षा तथा यन्त्रीकरण की ओर अधिक ध्यान देना आवश्यक है क्योंकि अभी इनका जमशेदपुर में अत्यधिक अभाव है। इस कम्पनी के कार्यों से प्रेरणा प्राप्त कर भारत में अन्य कम्पनियों को भी इसी प्रकार के ग्रामीण विकास के कार्यक्रम देश की प्रगति हेतु आयोजित करके अपने सामाजिक दायित्व की पूर्ति करनी चाहिये।

सह-प्रोफेसर (रीडर)
लेखा एवं व्यावसायिक सांख्यिकी विभाग,
राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

राजगृह का विकास मेला

कृष्ण मुरारी सिंह 'किसान'

राजगृह बिहार की राजधानी पटना से 101 किलोमीटर दूर नालंदा जिले में पड़ता है। हर तीसरे वर्ष पर पौराणिक और धार्मिक दृष्टिकोण से लगने वाला राजगृह मलमास मेला का नामकरण इस वर्ष बिहार सरकार ने विकास मेला रखा है। गत वर्ष इस मेला का आयोजन 16 मई से 14 जून 1988 तक किया गया। राजगृह धार्मिक एकता का भी अनोखा केन्द्र है। महाभारत काल के सम्राट जरासंध के युग में गिरिव्रज और मगध सम्राट बिम्बसार पुत्र अजात शत्रु के समय से राजगृह नाम से प्रसिद्ध यह स्थल भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के साथ-साथ हिन्दुओं का पवित्र मिलन स्थल रहा है। अतः समस्त भारतवर्ष के साथ-साथ श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, जापान आदि के लोग भी यहां तीर्थ यात्रा के लिए आते रहते हैं। आज का राजगृह वन और पर्वतों से घिरा एक सुन्दर दर्शनीय स्थल भी है। यहाँ कई गर्म जल के झरने हैं, जिसका पानी सल्फर मिश्रित होने के कारण अनेकानेक रोगों को दूर करने में सक्षम है। आणविक ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा राजगृह के उष्ण जल कुंडों की रेडियोधर्मिता का आकलन किया गया। जन साधारण को आसानी से समझाने के लिए यहां उदाहरण स्वरूप ब्रह्मकुंड की रेडियोधर्मिता की जानकारी दे रहा हूँ। जैसे ब्रह्मकुंड की रेडियोधर्मिता 5.84×10^{12} क्यूरीज/सी.सी. है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि राजगृह का मलमास मेला पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, वैज्ञानिक और आधुनिक विकास की जानकारी देने वाला है। स्वभावतः लाखों यात्री राजगृह आए। इस मेले का उपयोग बिहार सरकार के विभिन्न विकास विभागों द्वारा प्रचार एवं प्रदर्शन के कामों के लिए भलीभांति उपयोग किया गया। जनता को यह बताने की कोशिश की गई है कि पंचवर्षीय योजना के अनुसार व्यक्ति किस प्रकार अपनी उन्नति के साथ-साथ राष्ट्र की उन्नति भी कर सकता है। इससे जनता में नई रोशनी फैली है ऐसा मेरा विश्वास है।

अब विभिन्न विभागों एवं संगठनों के पंडाल को देखें— सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार के पंडाल बड़े ही आकर्षक थे। इस पंडाल में बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं मंत्रालयों के विकास संबंधी कार्यकलापों की सचित्र जानकारी बड़ी ही रोचक थी। सचित्र होने के कारण गांव के अनपढ़ लोग भी बड़ी रुची से विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी ले रहे थे। इस विभाग के कई कर्मचारी भी समझाने में लगे थे। जमीन की नमी बनाए रखने के लिए तकनीकी सुधार और भूमि तथा जल संसाधनों की बेहतरी, उन्नत बीजों का विकास और उनका समुचित वितरण के साथ-साथ सूखे की संभावनाओं को कम करने के संबंध में सरकारी कार्यक्रमों को पेश किया गया था। पंडाल में बहुत भीड़ थी।

सिंचाई जल का बेहतर उपयोग के संबंध में बिहार सरकार का आश्वासन यह था कि— जलग्रहण क्षेत्रों का विकास और नदी घाटियों तथा डेल्टाओं में जल निकासी साधनों को उन्नत बनाएंगे। सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई प्रबंध सुधारेगी। जिन स्थानों में पानी जमा हो जाता है या जमीन ज्यादा खारी हो जाती है, उसे रोकेंगे और पानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। नदियों, कुओं आदि भूमिगत जल के उपयोग का संयोजन करेंगे।

खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे। दलहन का अधिक उत्पादन प्राप्त करेंगे। फलों और शाक-भाजी की उपज बढ़ाने पर ज्यादा जोर देंगे। कृषि की ऊपज के आधुनिक ढंग से भंडारण उसकी साज संभार और विक्रय की सुविधाएँ के पर्याप्त साधन देंगे। पशुओं और दुग्ध उत्पादकों की उत्पादकता बढ़ाने में उन्हें विशेष सहायता देंगे। मछलियां पैदा करने पर भी अधिक ध्यान दिया जाएगा। बातों को इस तरह से पेश किया गया था कि लगता था जैसे हरित क्रांति, नील क्रांति और श्वेत क्रांति की सफलता बिहार को जल्दी ही मिलने वाली है।

महिलाओं की समानता पर सरकार का विचार इस प्रकार था— नारी की गरिमा, मर्यादा को ऊँचा बढ़ायेंगे। स्त्रियों की समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ायेंगे। नारी अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ायेंगे। औरतों के लिए रोजगार और प्रशिक्षणों के कार्यक्रम लागू करेंगे। राष्ट्र निर्माण और आर्थिक विकास में स्त्रियाँ समानता के आधार पर हिस्सा ले

सकें ऐसी व्यवस्था करेंगे। दहेज के खिलाफ जनमत उभारने और दहेज विरोधी कानून लागू करने की कारगार व्यवस्था करेंगे। इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार प्रारंभ से ही सचेत रही है एवं उसके उन्मूलन हेतु दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 एवं दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 को राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में लागू किया गया है। इस अधिनियम के अनुसार दहेज लेना या देना या दहेज की माँग बहु के माता-पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से करना अपराध घोषित कर दिया गया है। प्रारंभ में उस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को छः महीने से 2 वर्ष तक का कारावास एव 5000-10000 रुपये तक का आर्थिक दंड किए जाने का प्रावधान किया गया है। किन्तु अब दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति को पाँच वर्षों का कारावास एवं पन्द्रह हजार रुपये का आर्थिक दंड या दहेज में प्राप्त राशि जो अधिक देय होगी वही अपराध करने वाले व्यक्ति को देय होगी। मेलों में इसका प्रदर्शन काफी प्रभावशाली रहा और जन जागरण हुआ।

राष्ट्रीय बचत योजनाओं की जानकारी भी विकास मेलों में जनसाधारण को दी गई। डाकघर बचत बैंक खाता में कम से कम 20 रुपया एक खाते में जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए ज्यादा से ज्यादा 25 हजार रुपया एक खाते में या कई खातों में मिलाकर एवं संयुक्त रूप से दो या तीन व्यस्कों के लिए 50 हजार रुपया तक जमा किया जा सकता है। 5.5 प्रतिशत वार्षिक दर से जमा रकम व सूद दिया जाएगा। उसके अलावे 'किसान विकास पत्र' और कई योजनाओं के बारे में भी लोगों को मार्गदर्शन दिया गया।

परिवार कल्याण विभाग के शिविरों में परिवार नियोजन के बारे में परिवार सीमित करने के बारे में कई विधियों की जानकारी सचित्र दी गई।दो बच्चों का मानदंड जनता को स्वेच्छा से स्वीकार करने पर मार्गदर्शन किया गया। बच्चों के प्रति माता-पिता की जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहन देने, शिशुओं की मृत्यु दर कम करने और मातृ और शिशु कल्याण सुविधाओं पर भी प्रभाव डाला गया।

पर्यटन विभाग के शिविर में बिहार के पर्यटन स्थलों के बारे में सचित्र जानकारी दी गई। उनमें पटना, गया, बोध गया, देव (औरंगाबाद), नालंदा, पावापुरी (नालंदा), सासाराम (रोहतास), बक्सर, जगदीशपुर (भोजपुर), मनेर रांची, नेतरहाट, जमशेदपुर, हजारीबाग, पारसनाथ धनबाद, बोकारो, देवघर, मुंगेर और भी बाँध की बड़ी अच्छी जानकारी दी गई।

राजगृह में दो देशों के बौद्ध विहार भी हैं। जापान के बौद्ध विहार 'वेनुवन' के नाम से प्रसिद्ध है। उनके महंत से मैंने बातचीत की। उन्होंने बताया कि लोगों को रहने औ पानी की व्यवस्था वेनुवन की ओर से की गई है 'नामु-भ्यो-हो रेंगे क्यों' बौद्धमंत्र से 'बौद्ध विहार' गूँज रह था। उसका अर्थ होता है विश्व शांति और प्रेम। बर्मा के 'बौद्ध विहार' के हाइ प्रीस्ट भी. यू. जयंता जो 83 वर्ष पुराने ने बताया कि राजगृह मेला विश्व शांति और प्रेम का प्रती हैं। विरायतन जो जैनियों का पवित्र स्थान है मेले में बड़ा ह आकर्षक लग रहा था। इसके महंत ने बताया कि राजगृ मेला में सभी धर्म और जाति के लोग भाग लेते हैं इससे राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। राजगृह में 'मखदुम नाम का एक कुंड है। मखदुम शाह सर्फउद्दन का जन्म पटन जिले के मानसरिफ में हुआ था। उन्होंने तेरहवीं सद में राजगृह के जंगलों में बारह वर्ष गुजारे थे। ऊपर के ए घिरे स्थान की एक छोटी-सी गुफाओं में ध्यान करते थे। व उनका मजार कुंड के रूप में है जहाँ मलमास मेले के अवस पर हिन्दु और मुसलमान भाई साथ-साथ स्नान करते हैं संत झुनकिया बाबा द्वारा निर्मित छोटी लंका नाम ठाकुरबारी हिन्दु की गति विधियों का केन्द्र थी। यहाँ भजन कीर्तन, प्रवचन और यश का मिला जुला आयोजन मेले भ चलता रहा। राजगृह में एक गुरुद्वारा भी है जो मेले यात्रियों को कई प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते मैंने देखा।

मेले की शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को समर्पित थी। भार सरकार,सूचना एवं जन संपर्क विभाग,गीत और नाटक प्रभ के द्वारा बिहार की संस्कृति को उजागर करता था। उस मगही, भोजपुरी और मैथिली लोक गीतों भजन, कीर्तन कौव्वाली, गजल के द्वारा मेले में दर्शनार्थियों का मन मोह ले थे। इनका कार्यक्रम देर रात तक निःशुल्क चलता था सशुल्क कई थियेटर कम्पनियां, सर्कस, झूला, चिड़ियाघ आदि के द्वारा लोगों का मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्द्धन भ हुआ। अतः राजगृह का विकास मेले ने बहुमुखी प्रभाव जनम पर छोड़ा ऐसा मेरा विश्वास है।

अध्यक्ष, किसान संघ ग्राम-बरमा, पोस्ट-कैथम
जिला-मुंगेर, बिहार-8111

विकास में अग्रणी : बपावर कलां पंचायत

घनश्याम वर्मा

काम ही काम। एक से बढ़कर एक निर्माण कार्यों का क्रियान्वयन। सार्वजनिक महत्व के ठोस कार्य हों या व्यक्तिगत लाभ की योजनाएं। लोक कल्याण एवं जन सुविधा की भावना की अभिव्यक्ति की प्रतीक बन गई है, अब जिले की बपावर कलां पंचायत। एक गांव की एक ही पंचायत, जिसकी आबादी है साढ़े तीन हजार। गांव के सभी वर्गों में समन्वय एवं आपसी सौहार्द का वातावरण।

कोटा जिले के सांगोद पंचायत समिति मुख्यालय से 14 किलोमीटर दूर स्थित यह गांव किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। सार्वजनिक महत्व के अनेक कार्य यहां कराये गये जिनसे लोगों को बड़ी राहत मिली। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के तहत गांव में दस लाख रुपये की लागत से खरंजों का निर्माण कराया गया। गत वर्ष अल्प बचत योजना से प्राप्त 40 हजार रुपये की राशि से गांव के सेकेण्ड्री स्कूल के भवन का विस्तार किया गया। इतनी ही राशि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से भी व्यय हुई और चार कमरों का निर्माण कराया गया।

सांगोद-खानपुर सड़क मार्ग पर बसे इस गांव में राजस्थान रोडवेज के लिए बस स्टेण्ड का निर्माण कराया गया। कुल 15 लाख रुपये की लागत का यह बस स्टेण्ड पंचायत के विकास कार्यों का अनूठा उदाहरण है।

इस गांव में बिजली की सुविधा तो 15 वर्ष पूर्व से ही उपलब्ध है। अनेक घरों में विद्युत कनेक्शन हैं। रात को गली मोहल्लों में अंधेरा नहीं रहता क्योंकि पंचायत ने करीब 70 खम्भों पर बिजली के बल्ब लगा रखे हैं। पांच वर्ष से यहां पीने के पानी की सप्लाई व्यवस्था भी है। करीब 250 घरों में नल कनेक्शन हैं। प्रत्येक उपभोक्ता से मात्र 20 रुपये प्रति माह शुल्क लिया जाता है जिससे पंचायत को सालाना 60 हजार रुपये की आमदनी होती है। आवश्यकतानुसार यहां सार्वजनिक नल भी लगाये हुए हैं। हाल में एक हैण्ड पम्प भी लगाया गया है तथा तीन हैण्ड पम्प और लगाये जा रहे हैं।

चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से बपावर में एक प्रथम श्रेणी डिस्पेन्सरी है। डिस्पेन्सरी हेतु पंचायत ने एक लाख रुपये की लागत से भवन का निर्माण करवाया। गांव में दवाइयों की दो दुकानें भी हैं। यहां पशुधन करीब 2 हजार हैं, परन्तु पशु चिकित्सा सुविधा का अभाव ग्रामवासियों को खटकता है। लेकिन ऐसी आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में यहाँ पशु औषधालय भी आरंभ हो जायेगा।

सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत बपावर पंचायत ने जिले में उल्लेखनीय कार्य किया है। वर्ष 1986-87 में वानिकी योजना के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण ने एक लाख 36 हजार रुपये की राशि मंजूर की थी। इस योजना के तहत अब तक एक लाख पौधे लगाये जा चुके हैं।

ग्रामीण गृह निर्माण योजना से बपावर कलां के अनेक परिवार लाभान्वित हुए। हुडको योजना से अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए 40 मकानों का निर्माण कराया गया। प्रत्येक मकान की लागत 4 हजार 750 रुपये में से 1750 रुपये का अनुदान राज्य सरकार ने दिया है। इस आवास कालोनी में खरंजा एवं पेयजल की पूर्ण व्यवस्था है। बिजली लगाने की कार्यवाही चल रही है। इंदिरा आवास योजना के तहत 2 लाख 59 हजार रुपये की लगत से 24 मकानों की एक कालोनी भी यहां बनाई जा चुकी है। बपावर में 16 शौचालयों का निर्माण कार्य भी हाथ में लिया गया है।

गांव में एक माध्यमिक विद्यालय, एक कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक प्राथमिक विद्यालय तथा एक प्राइवेट विद्यालय है। इन विद्यालयों में गांव के और आसपास के कई बालक-बालिकाएं अध्ययन करते हैं। इनके अलावा तीन अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र और दो प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र भी बपावर में चल रहे हैं।

परिवार कल्याण में यह पंचायत जिले में काफी अग्रणी रही है। वर्ष 1985-86 एवं 86-87 में प्रथम स्थान प्राप्त

जिला कलेक्टर धर्मवीर पंचायत के खेल्ड कार्यों के लिए ग्रामीण महिलाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान करते हुए ।

करने पर 50-50 हजार रुपये के नकद पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं।

बपावर पंचायत मुख्यालय पर उप डाक घर, तीन साल से कार्यरत है ही। हाल में यहां सार्वजनिक दूरभाष केन्द्र भी आरंभ हुआ है। विद्युत मण्डल ने अपने कनिष्ठ अभियंता का कार्यालय यहां खोल रखा है तो पुलिस विभाग ने पुलिस चौकी भी। बपावर में ग्राम सेवक, पटवारी, कृषि विस्तार कार्यकर्ता की सेवाएं भी ग्रामवासियों को सुलभ हैं। पंचायत का अपना निजी भवन है जिसमें पंच-सरपंच समय-समय पर बैठकर गांव के विकास की बात करते हैं और योजनाओं को अंतिम रूप देते हैं। इस गांव की एक सहकारी समिति भी है जिसके 250 सदस्य हैं।

बपावर पंचायत को लगभग 6 लाख रुपये की सालाना आय हो जाती है। चुंगी से डेढ़ लाख रुपये तथा भूमि विक्रय से तीन-चार लाख रुपये की आमदनी हो रही है। पंचायत में 45 सफाई कर्मचारी, 10 नाकेदार, 6 नल चालकों सहित 10 चौकीदार हैं जो बीड़ और बस स्टेण्ड पर अपनी सेवाएं देते हैं। विगत तीन वर्षों में एकीकृत ग्रामीण विकास योजना के माध्यम से एक सौ परिवारों को रोजगार के संसाधन सुलभ कराये गये। गांव के दस बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन भी प्राप्त हो रही है।

के.आर.239, सिविल लाइन्स
कोटा (राज.) 324001

उपयोगी गाजर

डा. विक्रम आर्यन्

गाजर एक कंद सब्जी है । यह सारे भारत में उपलब्ध और जानी पहचानी है और सभी जगह यह गाजर के नाम से ही जानी जाती है । अब यह लगभग वर्ष भर ही बाजार में उपलब्ध हो जाती है। गाजर को शाक, अचार, हलवा और सलाद के रूप में आमतौर पर खाया जाता है । केक, भाजिया, समोसे आदि में भी मिलाकर इसे प्रयोग किया जा सकता है।

गाजर सस्ती होते हुये भी बहुत गुणकारी और बलवर्द्धक शाक है। यह मीठी, गरम, जठर अग्नि दीपन करने वाली, हल्की रक्तपित, बवासीर, संग्रहणी, कफ तथा वात नाशक है । इसके अतिरिक्त यह पौष्टिक व रक्तवर्द्धक है। शरीर को पुष्ट करती है। इसमें विटामिन 'ए' सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है । इसमें केरोटीन नामक तत्व होता हैं जो शरीर में पहुंच कर विटामिन 'ए' बनाता है । गाजर में पोटाशियम भरपूर मात्रा में रहता है। इसमें विटामिन 'बी' विटामिन 'सी' और लोहा कम मात्रा में रहता है । विटामिन 'ए' की भरपूर मात्रा से रतौंधी की संभावना खत्म हो जाती है । विटामिन त्वचा के स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। कच्ची गाजर और पत्ता गोभी को काटकर सलाद के रूप में नियमित सेवन करने से नेत्रों की ज्योति को बहुत लाभ मिलता है । यह दांत और हड्डियों की वृद्धि और विकास के लिए भी आवश्यक है । इसे खूब चबा कर खाने से मुंह साफ होता है और दांतों, मसूढ़ों का अच्छा व्यायाम हो जाता है ।

गाजर के रस में जीरा, मिसरी और सेन्धा नमक मिला कर पीने से वायु, अपच और वात विकार नष्ट हो जाता है । भोजन के बाद आधा कप रस प्रतिदिन सेवन करें । गाजर का हलवा या गाजर का रस उचित व अनुकूल मात्रा में (आधा कप से दो कप के बीच पाचन शक्ति के अनुसार) प्रतिदिन सेवन करने से मधुमेह, प्रमेह, खून की कमी आदि दोष दूर होते हैं ।

इसके रस के साथ पालक का रस बराबर मात्रा में पीने से कब्ज दूर होती है । नाक व गले के रोग ठीक होते हैं । रक्त की शुद्धि व वृद्धि होती है । हृदय को बल मिलता है । दमा व श्वास रोग में आराम मिलता है । पित्ताश्य बलवान होता है, पेट के कृमि नष्ट होते हैं ।

गाजर को कच्चा सलाद के रूप में, हलवा बनाकर, शाक बनाकर, अचार या मुरब्बे के रूप में जैसे भी सम्भव हो वैसे ही सेवन करना चाहिए । गाजर खरीदते समय अवश्य देखें कि यह कड़क, बढ़िया आकार की और गहरे रंग की हो । आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहते हो तो आप इसे लगभग चार सप्ताह तक अच्छी अवस्था में रख सकते हैं । वैसे बिना रेफ्रिजरेटर के भी इन्हें अधिक दिन तक अच्छी अवस्था में रखा जा सकता है, वह इस प्रकार कि गाजर साफ करके (गीली न हो) किसी पोलीथीन के लिफाफे में रखकर किसी चीज से मुंह बाँध दें । जब इस्तेमाल करनी हो तब धोकर इस्तेमाल करें ।

सावधानी

इसकी अधिक मात्रा शरीर के लिये हानिकारक है । व्यक्ति की सामान्य जरूरत के लिये जिस भोजन में अधिक केरोटीन हो उसे एक बार भोजन में लेने से पूरे दिन के लिये पर्याप्त है ।

1/1900, मानसरोवर पार्क,
शाहदरा, दिल्ली-110032

भारत में रेशम उत्पादन

राजेश्वर प्रसाद नारायण सिंह

धुंधले अतीत काल से हमारे प्राचीन ग्रन्थों में कषाय यानी रेशम के वस्त्र का उल्लेख होता आया है और इस वस्त्र को परम पवित्र माना गया है। पर इस देश में रेशम का उत्पादन होने का पूर्व काल में कहीं जिक्र नहीं है। कहा जाता है और अन्वेषण से भी इस बात का समर्थन होता है कि रेशमी कपड़े भारत में सर्वप्रथम फारस (अब ईरान) से आये। परन्तु ऐसा जाहिर होता है कि फारस में रेशमी वस्त्रों का उत्पादन बहुत कम था और भारत तथा यूरोप के देशों में भी वे बड़ी कम तादाद में पाए जाते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि यह व्यापार कालान्तर में चीन के हाथों में चला गया और चीन ने यूरोप के समस्त देशों में फारस के रेशमी व्यापार को एक प्रकार से समाप्त कर दिया। उसने एक सड़क बनाई, जो मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाती है और चीन तथा यूरोप को एकसूत्र में बांधती है। यह सड़क अब भी विद्यमान है और 'सिल्क रूट' के नाम से विख्यात है। इसी सड़क से सैकड़ों खच्चरों पर रेशम के गट्ठर लादकर चीनी व्यापारी यूरोप के विविध देशों को जाते थे और वहां रेशमी कपड़ा ऊंची कीमत पर बेच कर चीन लौटा करते थे।

स्वाभाविक था कि भारत में भी चीन के बने हुए कपड़ों का प्रसार होता और यही हुआ भी। मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के कतिपय ग्रन्थों में चीन के बने हुए रेशमी वस्त्र का उल्लेख भी आया है।

उदाहरणार्थ—कालिदास के प्रसिद्ध अभिज्ञान शाकुंतलम् नाटक में इसकी चर्चा इस प्रकार है —

"गच्छति पुरः शरीरम् धावति पुनः अंशस्थित चितः।
चीनामशुकमेव केतोः प्रतिवातम् नीयमनास्य।।"

यह उस समय का जिक्र है जब कण्व ऋषि के आश्रम में कई घण्टे बिता कर राजा दुश्यंत अपनी राजधानी लौट चले। महाकवि का कहना है कि उनके चित्त की ऐसी दशा थी कि शरीर तो आगे जाता था किन्तु चित्त रह-रह कर पीछे की ओर दौड़ता था जैसे कि चीन के कपड़े की बनी हुई पताका हवा में पहले तो आगे जाती है, फिर पीछे की ओर लौटती है।

गर्ज यह कि चीन ने अपने रेशमी वस्त्र व्यापार का भारत में प्रसार सैकड़ों साल पहले कर लिया था। मुझे स्मरण है लड़कपन के वे दिन जब हमारे गांव में अक्सर पीठ पर कपड़ों का एक बंडल स्वयं लादे हुए और एक दूसरा काफी बड़ा बंडल एक कुली की पीठ पर लादे हुए चीनी व्यापारी आ पहुंचता था और हमारे मकान के बरामदे में थान के थान निकाल कर फैला डालता था। सौदा काफी भाव तौल के बाद पटता था और जिस थान की कीमत वह अढ़ाई सौ-तीन सौ रुपये मांगता था, उसे अंत में डेढ़-सवा सौ में देकर चला जाता था।

बहरहाल भारत में रेशमी कपड़ों के उत्पादन का आरंभ सत्रहवीं सदी में ईस्ट इंडिया कम्पनी ने वैसे ही किया, जैसे कि चाय का व्यापार। बंगाल के अनेक ज़िलों में जहां उन वृक्षों के जंगल थे जिनके पत्तों पर रेशम के कीड़े पलते हैं यानी शहतूत आदि, उन्होंने इसकी बागवानी आरंभ की और एक समय ऐसा आया कि मुर्शिदाबाद, श्रीरामपुर और बांकुरा तथा बिहार के छोटा नागपुर इलाके में मानभूम और पुरुलिया के उन जंगली क्षेत्रों में जहां, आदिवासी रहते थे शहतूत के पेड़ लगाए जाने लगे और हर श्रेणी के रेशम के कपड़े शहरों में ले जाने लगे। रेशम का कीड़ा कोया (ककून) रेशम के धागे को उसी तरह बुनता है, जिस तरह मकड़ी अपने जाल को। अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा ककून के भीतर से धागा निकालते हैं। यह सफेद रंग का होता है। कपड़े बुने जाने के बाद उसे रंगा जाता है। पर एक प्रकार का ये रेशम असम के छोटे से क्षेत्र में पाया जाता है जो खुदरंग है। इसका रंग ललछौं पीला होता है और इसमें बड़ी चमक होती है, पर यह बहुत कम तादाद में मिलने के कारण इसकी कीमत बहुत अधिक होती है।

चार ऐसी जगहें हैं जहां सबसे महीन किस्म के रेशे बुने जाते थे और अब भी बुने जाते हैं। वे हैं - मुर्शिदाबाद, भागलपुर, बनारस और श्रीनगर।

देश की स्वाधीनता के बाद हमारी सरकार ने रेशम के उत्पादन और निर्यात पर काफी ध्यान दिया और इसका नतीजा यह हुआ कि गत वर्ष भारत से बहुत बड़ी तादाद में रेशम का निर्यात हुआ और उससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हुई।

ईस्टर्न ट्रेडस इन्जीनियर्स
मोती झील, मुज़फ्फरपुर, बिहार

पंचायती राज सम्मेलन में प्रधानमंत्री का समापन भाषण

बहुत से विषयों पर आपने एकता दिखाई है। चुनाव आयोग हो, पार्टी चिह्न हो, कितनी सुपुर्दगी दी जाए, किस तरह से योजना बनाई जाए, किस तरह कार्यान्वित हो, डी.आर.डी.ए. और दूसरी संस्थाओं के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। कैसे विषयों की सुपुर्दगी की जाए और जिला परिषद का, डी.एम.का तथा प्रशासन का रिश्ता क्या हो। कुछ विचार आपने साधनों पर भी रखें हैं उन पर भी हम गौर करेंगे।

चौधरी भजनलालजी, मंत्रिगण, बहनो, भाइयो और साथियों, आपका दिल्ली का सफर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस से शुरू हुआ, 27 जनवरी को आप राजघाट गए और आज 30 जनवरी है जो गांधीजी का शहीदी दिवस भी है। इन दिनों में आपने जो बातें कीं वे हमारे गणतंत्र दिवस के साथ, संविधान के साथ और गांधीजी के सिद्धांतों के साथ मेल खाती हैं।

करीब 10 राज्यों और एक यू.टी. से आप लगभग 6000 लोग आए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपने इतनी तकलीफ की, दिल्ली आये। मैं आपके विचारों के लिए बहुत आभारी हूँ। हमें उम्मीद है कि जब आपको कैम्प में रहना पड़ा तो आपको कुछ तकलीफ नहीं उठानी पड़ी होगी। अगर कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा चाहते हैं, अगली बार जरूर ठीक हो जाएगा।

जो सुझाव इन दिनों में आए हैं चाहे उन भाषणों के द्वारा आए हैं जो करीब 200 लोगों ने दिए या उन क्विस्चनेअर द्वारा जो आप सबने भरे हैं, उन सभी को हम गहराई और बारीकी से देखेंगे। जिन-जिन लोगों ने बात की है उनका पूरा रिकार्ड रखा गया है और यह रिकार्ड मिनिस्ट्री में रहेगा। मुझे खुशी हुई है कि बहुत से विषयों पर आपके बिल्कुल एक जैसे विचार आये हैं। बहुत कम अन्तर रहा है लेकिन कहीं-कहीं से शिकायतों पर आप से बहस करनी पड़ेगी।

आपने पर्यावरण के बारे में जो बात कही वह बहुत हद तक दुरुस्त है लेकिन यह एक बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई साधारण हल नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर हम एक ही तरफ देखेंगे सिर्फ पर्यावरण को ही बचाते रहेंगे तो विकास नहीं आएगा, गरीबी रहेगी। और जैसा इन्दिराजी ने कहा था, "गरीबी से ज्यादा पोल्यूशन और कुछ नहीं हो सकता है।" तो हमें देखना है कि किस तरह से विकास भी हो और पर्यावरण भी बचे-दोनों चीजें करनी हैं। आमतौर से जो लोग विकास पा चुके हैं, बड़े-बड़े घरों में रहते हैं, बड़े-बड़े शहरों में रहते हैं वे ज्यादा घबराते हैं पर्यावरण के बारे में और काम रोकना चाहते

हैं। लेकिन उनकी दृष्टि एक तरफ ही देखती है। दूसरी तरफ से भी समस्या को देखना है। इसीलिए जरूरी है कि हम पर्यावरण को भी बचाएं और साथ में कोई ऐसी तरकीब भी निकालें कि विकास का काम ठीक हो सके। अगर हम दोनों पहलुओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो कई बार बहुत नुकसान हो जाता है। अभी एक बहन ने कहा था पानी लाने के लिए बहुत दूर पहाड़ों में जाना पड़ता है और पाइप-लाईन लाने की इजाजत इसलिए नहीं मिल रही है कि बीच में जंगल है। जरा सोचिए कि जब हमारे पहाड़ों पर घने जंगल होते थे तो महिलाओं को किसी काम के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था-ना पानी लाने के लिए, ना चारे के लिए और ना ही लकड़ी के लिए। जंगल कट गया तो ना चारा मिला, ना लकड़ी और पानी भी सूख गया। तो ये दोनों समस्याएं जुड़ी हुई हैं और हम उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। असलियत यह है कि वैज्ञानिकों ने पर्यावरण की तरफ काफी ध्यान नहीं दिया, शोर तो सबने मचा दिया लेकिन कोई ये नहीं बता पाया कि इसका इलाज क्या है। ये कोई नहीं बता पाया कि पर्यावरण को नाश करने की हम क्या कीमत दे रहें हैं और इसे ठीक करने की कीमत क्या है। जब तक हम इन सब बातों को ध्यान से नहीं देखेंगे, जांच नहीं करेंगे तब तक जवाब नहीं मिलेगा और हमें एक अजीब-सा बैलेंस रखना पड़ेगा जो कभी भी ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारी कोशिश यही होगी कि पर्यावरण भी बचे और विकास भी हो।

आपने तीन टायर सिस्टम की बात भी की और यह कहा कि पूरे देश के लिए एक ही सिस्टम होना चाहिए। एक तरह से मुझे भी लगता है कि ऐसा होना चाहिए लेकिन मैं बहुत बड़ा 'लेकिन' भी लगा रहा हूँ। लेकिन शायद ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे प्रदेशों में बहुत फर्क है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बड़े-बड़े जिले में लाखों लोग हैं। लेकिन उत्तर-पूर्व में जाइये तो पूरा राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार के एक जिले से भी छोटा है। अब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए जो मॉडल ठीक रहेगा वह अरुणाचल प्रदेश के लिए कैसे ठीक रहेगा। कई ऐसे प्रदेश हैं, जैसे नगालैण्ड, जहाँ दो टायर सिस्टम लागू है क्योंकि ये प्रदेश छोटे हैं। उनके दो टायर के सिस्टम में बहुत अधिक सुपुर्दगी है। बहुत से काम गांव को दे दिए गए हैं और अभी जब वहां राष्ट्रपति शासन लागू था तो और बहुत से काम दे दिए गए थे। आदिवासी इलाकों की समस्याएं अलग हैं और पहाड़ी इलाकों की अलग। तो इसमें देखना होगा कि एक मॉडल निकले या दो। मुझे लगता है कि दो से ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कुछ बातें आपकी तनख्वाहों के बारे में भी उठाई गई हैं। हम इस बात पर पूरा ध्यान देंगे कि उनका स्तर ठीक रहे।

बहुत-सी बातें इस विषय पर भी हुईं कि चुनाव कैसे-डायरेक्ट हों, इन-डायरेक्ट हों, लेजिस्लेशन लाया जाये, कानून बदले जाएं, संविधान बदला जाए। इन सब बातों पर हम ध्यान देंगे। अभी इस विषय पर मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता हूँ कि दो और सेमिनार होंगे। जब तक कलकत्ता और बंगलौर के सेमिनार खत्म नहीं हो जाते तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। आज सुबह हमारी मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। उसमें भी हमने कमेटियां बनाई हैं जिन्हें कल या परसों तक घोषित कर देंगे। जब तक वे भी बहस करके अपनी राय न दें, हम ठीक से तय नहीं कर पाएंगे। इस काम में अभी दो-तीन महीने लगेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है कि संसद के अगले सत्र में ही हम कुछ कानून बदल दें। इतना वादा जरूर करते हैं कि इस साल में ये हो जाएगा।

बहुत से विषयों पर आपने एकता दिखाई है। चुनाव आयोग हो, पार्टी चिह्न हो, कितनी सुपुर्दगी दी जाए, किस तरह से योजना बनाई जाए, किस तरह कार्यान्वित हो, डी.आर.डी.ए. और दूसरी संस्थाओं के साथ क्या रिश्ता होना चाहिए। कैसे विषयों की सुपुर्दगी की जाए और जिला परिषद का, डी.एम.का तथा

प्रशासन का रिश्ता क्या हो। कुछ विचार आपने साधनों पर भी रखें हैं उनपर भी हम गौर करेंगे। टैक्सेशन हो, एक राज्य स्तर का वित्त आयोग हो और कुछ अनटाइड फंड आपके हाथ में होना चाहिए और कहीं पर ऐसा बचाव होना चाहिए जो शक्ति आपको दी जाए वे जल्दी से छीन न ली जाए।

लेकिन जहाँ कुछ विषयों पर आपके विचार बिल्कुल एक जैसे आए, वहीं बहुत से ऐसे विषय भी थे जिनपर आप एकमत नहीं थे। बहुत से ऐसे विषय भी थे जिनपर बहुत कम विचार आये। खासकर कमजोर वर्गों की रक्षा की जो समस्या थी उसपर काफी बातचीत नहीं हुई। कमजोर वर्गों को आपने कमजोर ही छोड़ दिया। इस विषय पर हमें गम्भीरता और गहराई से सोचना पड़ेगा। खासतौर से महिलाओं की समस्याओं पर, हरिजन और आदिवासियों की समस्याओं पर, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों की समस्याओं पर हम ध्यान देंगे। आपको याद रखना है कि ये समस्याएं केवल आर्थिक विकास की ही नहीं है बल्कि सामाजिक विकास की भी हैं। बहुत से वर्ग सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि समाज में भी दबे हुए हैं। इसलिए हमें उनकी शक्ति बनाने के लिए और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए दोनों पहलुओं पर ध्यान रखना होगा।

जिला परिषद, म्युनिसिपेलिटी, ब्लाक और गांव के रिश्ते पर भी आपके विचार ठीक से नहीं आए। एक भाई ने आज शाम को भाषण देते हुए कहा था कि कई शहर ऐसे हैं जो सीवेज देहात में फेंक देते हैं और वह इस्तेमाल नहीं हो पाता। अगर ये ठीक से प्रोसेस हो जाए तो उससे बढ़िया खाद भी मिल सकती है और सिंचाई के लिए साफ पानी भी। लेकिन ये काम तभी हो सकता है जब शहर और देहात के बीच कोई रिश्ता बने। अगर कोई रिश्ता ना बना और दोनों अलग रहे तो कई ऐसे काम नहीं हो पाएंगे जिनसे दोनों का फायदा हो। एक तरह से तो देहात का विकास अलग होता है। लेकिन आज के विकास के वातावरण में यह शहर के साथ जुड़कर भी हो सकता है क्योंकि अगर देहात में आप कुछ पैदा करते हैं तो उसको कहीं बाहर ले जाना पड़ता है। अगर उसकी प्रोसेसिंग होनी है, मिल लगनी है, फैक्ट्री लगनी है, कारखाना लगाना है तो वो भी ज्यादातर छोटे शहर में ही लगेंगे। आज के युवक भी रोज़गार की तलाश में शहर ही जाना चाहते हैं। तो विकास का जो नया ढांचा बनाना है उसमें एक रोल शहर का भी होना है उसके बगैर हम देहात में भी ठीक तरह से विकास नहीं ला पाएंगे। इसलिए इन दोनों को एक साथ देखना है। इसलिए मैं भी पंचायती राज संस्थाओं पर इतना जोर दे रहा हूँ।

आज बड़े-बड़े शहरों में बहुत विकास हो गया है। आप जो भी चीज़ चाहते हैं भारत के बड़े शहरों में मिल जाती है। जो पढ़ा लिखा है वह भी वहीं पहुँच गया। जिसको रोज़गार मिला वो भी वहीं पहुँच गया। तो वापस देहात की तरफ दृष्टि कैसे जाएगी ? तभी जाएगी जब हम देहात को सुपुर्दगी देंगे। सब की दृष्टि देहात की तरफ तभी घूमेगी जब हम कुछ जिम्मेदारी वहां देंगे। आज लोग कहते हैं कि देहात में, जिले में कोई योजना बनाने लायक नहीं मिलेगा। वो कैसे मिले जबकि वहां योजना बनाने की जिम्मेदारी ही नहीं है। जैसे ही हम जिम्मेदारी देंगे वे खुद वहाँ पहुँच जाएंगे। तो हमें देहात की तरफ, जिलों की तरफ एक नई दृष्टि से देखना है। जब तक हमारा ध्यान ठीक से उधर नहीं जाएगा तब तक वे कमजोर रहेंगे।

आपने मल्टी-मेम्बर चुनाव क्षेत्र और प्लानिंग पर भी काफी गहराई से बात नहीं की है। मोटेतौर पर जो बातें हुई हैं उनके बारे में भजनलालजी बोल चुके हैं। अभी 17 लोगों ने भी कुछ बिन्दुओं पर बातें की हैं। मैं इन विषयों की गहराई में नहीं जाना चाहता। जैसा कि मैंने कहा कि जब दो-तीन सम्मेलन हो जाएंगे, एक आध और रिपोर्ट मिल जाएगी तब मैं खुलकर बोलूँगा। उम्मीद है कि यह जल्दी ही हो जाएगा।

एक बात मैं जरूर कहूँगा कि आपका सम्मान होगा। और हम आपको जिम्मेदारी देंगे। अभी शाम को बोलते हुए कुछ भाइयों ने कहा कि कुछ होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि भजनलालजी और ग्रामीण विकास विभाग इस बात पर ध्यान दें। कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं जिन्हें हम सौ प्रतिशत केन्द्र से फाइनेंस करते हैं। जैसे आर.एल.ई.जी.पी., इन्दिरा आवास योजना, ज्योति कुटीर योजना या केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम। मैं चाहूँगा कि विभाग देखे कि कैसे इन कार्यक्रमों में हम आपके हाथ मज़बूत कर सकते हैं। आपको सुपुर्दगी दे सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ही विभाग कुछ तय कर लेगा। लेकिन मैं इसके साथ ये जरूर कहूँगा कि विभाग कुछ क्रॉस चैक भी रखे ताकि कोई गलत बात न होने लग जाए।

एक बात का दुख जरूर हुआ है कि जहाँ हम आपके हाथ मज़बूत करना चाहते हैं, सुपुर्दगी देना चाहते हैं वहीं कुछ ऐसे हमारे भाई भी हैं जो चाहते हैं कि पंचायती राज की संस्थाएं मज़बूत न हों। वे अभी बैठ कर सम्मेलन कर रहे हैं और चाह रहें हैं कि हम आपके हाथ में सुपुर्दगी न दें। लेकिन हम जानते हैं कि भारत की शक्ति बनेगी जब हम आपकी शक्ति बनाएंगे। देश मज़बूत होगा जब गांव मज़बूत होगा, जब ब्लाक मज़बूत होगा, जब जिला मज़बूत होगा। हम सरमायेदारों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। आगे कई कदम उठाने हैं। जैसा कि मैंने कहा, मार्च और अप्रैल में कलकत्ता और बंगलौर में दो और सम्मेलन होंगे। इसके बाद कैबिनेट कमेटी की रिपोर्ट आएगी और हमें उम्मीद है जो भी करना होगा उसके लिए हम बजट सेशन में बिल लाएंगे लेकिन मैं इस साल पक्का वादा करता हूँ।

मैं आपको दुबारा धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं विभाग को और उन लोगों को जिन्होंने इस सम्मेलन को कामयाब बनाने में अपना बहुत समय लगाया है धन्यवाद देता हूँ।

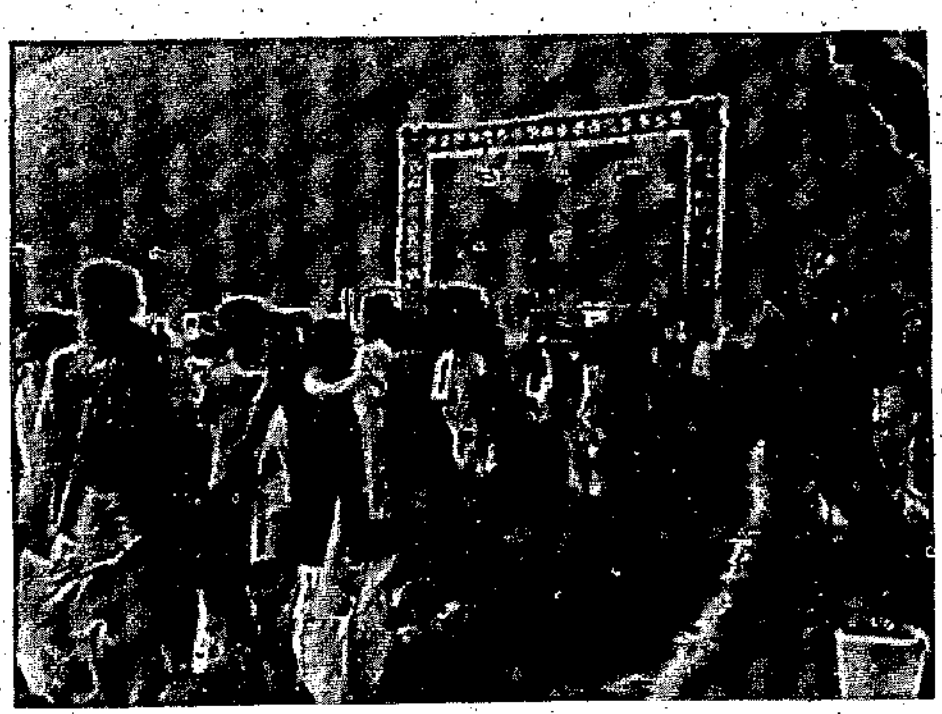

बुराड़ी गांव का दृश्य

सभा को संबोधित करते हुए एक सरपंच (ऊपर) और श्रोतागण (नीचे)

आर.एन./708/57
डाक-तार पंजीकरण संख्या : डी (डी एन) 98
पूर्व भुगतान के बिना एन.डी.पी.एस.ओ., नई दिल्ली में डाक में डालने
की अनुमति (लाइसेंस) : यू (डी एन)-55

RN/708/57
P & T Regd. No. D (DN) 98
Licenced under U (DN)-55
to post without pre-payment at NDPSO, New Delhi

डा. श्याम सिंह शशि, निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित और
वीरेन्द्रा प्रिंटर्स, हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग
नई दिल्ली-110005 द्वारा मुद्रित